रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2003

REGISTERED No. DL—33001/2003

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUILISHED BY AUTHORITY

सं॰ 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26, 2003 (वैशाख 6, 1925)

No. 17] NEW DELHI, SAURDAY, APRIL 26, 2003 (VAISAKHA 6, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दीजाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to ths Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 515

भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 339

भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किएगए संकल्पों और असांविधिक आदेशों व सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 517

भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 617

भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 1571

भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *

भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 3767

भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 12[illegible]

भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक *

1—31GI/2003

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 515

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 339

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence 1

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 517

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 617

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 1571

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . —

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 3767

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 129

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . . *

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2003

सं. 50-प्रेज/2003--राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

(1) वाई. गंगाधरन, अपर पुलिस अधीक्षक, एस.आई.बी. हैदराबाद।

(2) एन. मधुसूदन रेड्डी, अपर पुलिस अधीक्षक, करीमनगर।

(3) सी. नागेश्वर राव, निरीक्षक, एस.आई.बी. ईन्ट, हैदराबाद।

(4) एन. वेन्कटा स्वामी, उप निरीक्षक, सारंगपुर, पुलिस स्टेशन, करीमनगर।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

1.7.2002 को पी. डब्ल्यू के पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी प्लाटून की दो टुकड़ियों के (लगभग 15 व्यक्ति) करीमनगर जिले के धर्मपुरी पुलिस स्टेशन के गांव नरेला की पहाड़ियों में मौजूद होने के बारे में एक आसूचना रिपोर्ट प्राप्त हुई। श्री वाई. गंगाधर, अपर पुलिस अधीक्षक ने श्री सी. नागेश्वर राव, निरीक्षक और एन. मधुसूदन रेड्डी, अपर पुलिस अधीक्षक, (आपरेशन) करीमनगर ने पी. डब्ल्यू उग्रवादियों को निष्क्रिय करने के लिए दो ग्रे हाऊन्ड स्पेशल असाल्ट यूनिटों सहित पांच पार्टियों के साथ एक विस्तृत योजना बनाई। श्री वाई. गंगाधर ने स्वयं सर्व/श्री एन. मधुसूदन रेड्डी, अपर पुलिस अधीक्षक, श्री नागेश्वर राव, निरीक्षक और एन. वेन्कटा स्वामी, उप निरीक्षक के साथ एक असाल्ट यूनिट सूर्या का नेतृत्व किया, ताकि अभियान की समग्र कमान उनके हाथ में रहे और वे इस अभियान में भाग लेने वाली सभी यूनिटों का समन्वय कर सके। 1.7.2002 की रात में, उपर्युक्त सूचना के अनुसरण में पांच यूनिटों को नरेल्ला क्षेत्र के लिए भेजा गया और छानबीन शुरु कर दी गई। 2.7.2002 को, श्री गंगाधर ने नरेल्ला की पहाड़ियों में सनकेनाबोरू पहाड़ी पर कुछ लोगों की गतिविधियां देखी। श्री गंगाधर ने इस पार्टी को दो भागों में विभाजित किया और उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में जानने के लिए सनकेनाबोरू पहाड़ियों की तरफ बढ़े। श्री वाई. गंगाधर और श्री नागेश्वर राव ने 11 ग्रे हाऊन्ड कमान्डो की एक टुकड़ी के साथ और श्री एन. मधुसूदन रेड्डी और श्री एन. वेन्कटा स्वामी ने 10 ग्रे हाऊन्ड कमान्डों की दूसरी टुकड़ी के साथ पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। वहां छिपे उग्रवादियों (लगभग 15) ने पुलिस पार्टियों को देख लिया और ए.के.-47, एस.एल.आर. और .303 राईफलों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। श्री गंगाधर के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने, उग्रवादियों की गोलीबारी का सामना पहले किया, हालांकि उनके पास कोई उपयुक्त आड़ नहीं थी। वे भूमि पर लेट गए और उग्रवादियों की भारी गोलीबारी का जवाब देते हुए रेंगते हुए पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसी बीच, श्री रेड्डी, अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व वाली दूसरी टुकड़ी ने गोलीबारी का दूसरा मोर्चा खोल दिया और उग्रवादी, इन दो टुकड़ियों की गोलीबारी के बीच फंस गए और यह गोलीबारी 40 मिनट से अधिक समय तक चली जिसमें पी. डब्ल्यू की पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी की प्लाटून ने असाल्ट पुलिस पार्टी का कड़ा मुकाबला किया। गोलीबारी बंद हो जाने के बाद, मुठभेड़ स्थल से वामपंथी उग्रवादियों के चार शव मिले। इन चारों शवों की पहचान नयलाकोन्डा रजीथा उर्फ पदमाक्का एन.टी.एस. जैड सी. सदस्य और डिवीजनल कमेटी सचिव, सी.पी. आई.एम.एल.पी.डब्ल्यू की करीमनगर पश्चिमी डिवीजन, जिस पर 5 लाख रु. का इनाम था, मादीपल्ली कनकैया उर्फ सागर स्पेशल एक्शन टीम और स्पेशल गुरिल्ला दस्ते का कमान्डर, जिसके सिर पर 2 लाख रु. का इनाम था, उपाला श्रीनू उर्फ विक्रम, स्पेशल गुरिल्ला दस्ते का सदस्य और मानासा उर्फ कंचरेला मीनामा, पदमाक्का का गार्ड के रूप में की गई। कार्रवाई के बाद एक ए.के.-47 राईफल, एक एस.एल.आर. और दो .303 राइफल बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री वाई. गंगाधर, अपर पुलिस अधीक्षक, एन. मधुसूदन रेड्डी, अपर पुलिस अधीक्षक, सी. नागेश्वर राव, निरीक्षक और एन. वेन्कटा स्वामी, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है और फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 जुलाई, 2002 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 51 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक:

श्री यू. संजीव,
उप निरीक्षक, मतवाडा पुलिस स्टेशन ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.4.2000 को 8.30 बजे ओ. एस.डी. वारंगल को एक सी. आई से सूचना मिली कि पी.डब्ल्यू जी के जिला समिति सचिव, रामा कृष्णा और उसकी पत्नी सहित 25 पी.डब्ल्यू जी उग्रवादी वारंगल जिले के गांव कोउकोन्डा के नजदीक चन्द्रागिरी पहाडियां में एक बैठक कर रहे हैं । ओ.एस.डी. ने वारंगल शहर स्थित ग्रेहाऊन्ड असाल्ट यूनिट और 5 जिला गारद यूनिटो को बुलाया और अभियान की योजना बनाई और पुलिस को तैनात किया । 1 बजे, ओ.एस.डी. को सन्देश मिला कि पी.डब्ल्यू.जी. उग्रवादियों और पुलिस के बीच गोलीबारी हो रही है और दोनों तरफ से हो रही इस गोलीबारी में एक कान्सटेबल जख्मी हो गया है । जब उप निरीक्षक, यू. संजीव और उसकी पार्टी ओ.एस.डी. के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो सभी पुलिस कार्मिक एक स्थान पर एकत्र हो गए और मुठभेड के स्थान पर खुशियां मनाने लगे । अचानक उप निरीक्षक, यू. संजीव और उसकी पार्टी पर पहाड़ियों से भारी गोलीबारी हुई और पुलिस कार्मिक इधर-उधर भाग गए । उप निरीक्षक, यू. संजीव अपने कार्मिकों को सुरक्षित स्थान पर वापस लाए । लगातार पीछा करते रहने और झुलसाने वाली गर्मी की दोहरी मार के कारण कुछ असाल्ट यूनिटों ने आगे अभियान चलाने में अपनी असमर्थता प्रकट की । इस मौके पर, उप निरीक्षक, यू. संजीव ग्रुप का नेतृत्व करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए । उनकी सहायता तीन युवा आर.एस.आई. द्वारा की गई । ओ.एस.डी. और अन्य कार्मिको ने कवर फायरिंग की, उप निरीक्षक, यू. संजीव और उनकी टीम दुश्मनो की गोलियों से जख्मी हो सकने के गम्भीर खतरे के बावजूद उनके पास बुलैट प्रुफ जैकेट नहीं थी, की परवाह न करते हुए पहाड़ी पर चढ़े । इस कार्रवाई के दौरान दुश्मनों को गुफाओं से बाहर निकालने के लिए उन्होने कुछ हथगोले फेंके । लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि सारे पतों में आग लग गई जिससे घना धुंआ छा गया । उप निरीक्षक, यू. संजीव और उनके साथियों ने, ओ.एस.डी. के निर्देशों का अनुसरण करते हुए गुफाओं पर हमला बोल दिया, जहां पर उनका उग्रवादियों के साथ आमने-सामने का मुकाबला हुआ, जिसमें वारंगल सिटी कमेटी सैकेट्री, श्याम, वारंगल जिला समिति सदस्य, राजाराम और स्टेशन थानापुर के एल.जी.एस. स्वपन सहित पांच उग्रवादी मारे गए । ये उग्रवादी अनेक पुलिस कार्मिकों और सिविलियनो की हत्या के लिए जिम्मेवार थे । उग्रवादियों से एक 9 एम.एम. कारबाईन, एक एस.एल.आर. दो राइफले, 303, एक 410 मस्कट और 6 एस.बी.बी.एन./डी.बी.बी.एल. हथियार बरामद हुए । इस मुठभेड में कुल 12 उग्रवादी मारे गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री यू. संजीव, उपनिरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया और सेवा की उच्चतम परम्परा को निभाते हुए उच्चकोटि का बलिदान दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 अप्रैल, 2000 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 52 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री टी. योगानन्द,
अपर पुलिस उप-आयुक्त ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

मुम्बई का मोहम्मद हनीफ उर्फ यामीन टकला, छोटा शकील के एक गिरोहों में से एक गिरोह का नेता था । मुम्बई पुलिस को उसकी तलाश थी क्योंकि वह मुम्बई में और इसके आस-पास 6 हत्याओं और 10 सम्पत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त था । मुम्बई पुलिस ने उसका सक्रियता से पीछा किया था, इसलिए हनीफ ने हैदराबाद को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बना लिया तथा आई0एस0आई0 और छोटा शकील के साथ सम्पर्क करके चोरी छिपे अपनी गतिविधियां चलाई । हनीफ फरार था और समाज के लिए वह एक खतरा था और आई0एस0आई0 की गतिविधियां बेकाबू थी, अतः अपर पुलिस उप-आयुक्त टी. योगानन्द ने हनीफ को पकड़ने का काम एक चुनौती मानकर लिया । उन्हें यह सूचना मिली की वह 4.11.2001 को लगभग 0230 बजे, गोलकुन्डा के नजदीक झाडियों में आग्नेयास्त्रों के लाने ले जाने के अवैध धन्धे में लगा हुआ है । हनीफ स्कूटर के पीछे बैठा हुआ था और उसका सहयोगी स्कूटर चला रहा था । वेस्ट जोन टास्क फोर्स के साथ अपर पुलिस उपायुक्त टी योगानन्द, ने आधीरात के बाद बदमाशों को आते देखा लेकिन उनके पास संगठित होने के लिए बहुत कम समय था । हनीफ को पकड़ने के किसी सुविचारित योजना से वे भाग सकते थे । अतः अपर पुलिस उपायुक्त टी. योगानन्द, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना और अपने जीवन के प्रति खतरे से पूरी तरह अवगत होते हुए उन पर झपट पड़े, जो रफ्तार से जा रहे वाहन पर बैठे थे । जबकि स्कूटर का चालक अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गया, हनीफ ने अपनी पिस्तोल निकाली और गोलियां चलाई । अपर पुलिस उपायुक्त टी. योगानन्द और उनकी टीम के सदस्यों ने आत्मरक्षा में तुरन्त गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप हनीफ की मृत्यु हो गई । सुबह होने पर, एक चीन निर्मित पिस्तौल, 4 देशी रिवाल्वर, 8 एम.एम. पिस्तौल के 15 सक्रिय कारतूस, एक खाली कारतूस, एक खाली मैगजीन, एक विस्फोटक डिवाइस और .30 पिस्तौल के 2 सक्रिय राऊन्ड बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री टी. योगानन्द, अपर पुलिस उप आयुक्त ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 नवम्बर, 2001 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 53 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री जे. अमरेन्द्र रेड्डी
निरीक्षक, करीमनगर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.8.1999 को लगभग 0400 बजे **श्री** जे. अमरेन्द्र रेड्डी निरीक्षक को सूचना मिली कि करीमनगर जिले के महादेवपुर क्षेत्र, प्रथीगताना, सी.पी. आई.एम.एल.(सी.पी.) के अशोकाना दलम, करीमनगर जिले के अदवी मुथारम मंडल के गांव कोनमपेट के आरक्षित वन में एकत्र हुए हैं। श्री रेड्डी, एक पार्टी के साथ तुरंत घटनास्थल की तरफ गए। घनें आरक्षित वन मे छानबीन करते समय, उन्होंने देखा कि व्यक्तियों का एक ग्रुप, कोनमपेट के आरक्षित वन में एक टेन्ट में एकत्र हो रखा हैं। पुलिस को देखने पर, उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायी। श्री रेड्डी ने तुरन्त गोलियों का जवाब दिया और अपनी पार्टी को मोर्चा सम्भालने के लिए कहा और उग्रवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने जीवन को खतरे में डालकर हमला आयोजित किया। 45 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, जिसमें 5 उग्रवादी मारे गए। श्री रेड्डी ने पांचों उग्रवादियों को मार गिराया। गोलीबारी के स्थान से एक .30 केलीबर स्प्रिंग फील्ड राइफल (अमेरिका निर्मित), एक .30 कारबाईन (अमेरिका निर्मित), एक 3 एम.एम. राइफल (अमेरिका निर्मित) एक .12 बोर डी.बी.बी.एल., 8 किट बैग, टेंट, बर्तन, पार्टी का साहित्य, 153 सक्रिय गोलाबारुद बरामद हुआ। मारे गए दलामों की पहचान i)चेरुपल्ली रमेश उर्फ अशोक, कमांडर, ii)चेरुपल्ली लक्ष्मी उर्फ लक्समक्का, उप कमांडर iii)बिस्कुला सभाक्का उर्फ भरताक्का iv)मेकला वेंकटास्वामी उर्फ राजेश और v)चन्द्रागिरी नागैय्या उर्फ नागन्ना दलम सदस्य के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में, श्री जे. अमरेन्द्र रेड्डी, निरीक्षक, करीमनगर ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 अगस्त,1999 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 51/- पेज/2003-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री के. श्रीनिवास,
सीनियर कमाण्डो-1241

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

10.3.2002 को सूचना मिली कि 100 से 150 पी.डब्ल्यू.जी. उग्रवादियों का एक ग्रुप नागावम रिजर्व के घने वन क्षेत्र में ठहरा हुआ है और इतूरुनाग्राम पुलिस स्टेशन पर हमला करने तथा पुलिस कार्मिकों की हत्या और शस्त्रों को लूटने की योजना बना रहा है। कुछ और ब्योरों का पता लगाने के बाद, श्रीनिवास सीनियर कमांडो अपनी यूनिट के साथ आपरेशन के लिए चल पड़े। 11.3.2002 को जब यह टुकड़ी क्षेत्र की तलाशी ले रही थी, तो पी.डब्ल्यू.जी. उग्रवादियों के संतरी ने पुलिस पार्टी को देख लिया और तत्काल गोलियां चलायीं। पास में डेरा डाले हुए अन्य उग्रवादी सतर्क हो गए, उन्होंने मोर्चा सम्भाला और स्वचालित शस्त्रों से पुलिस पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी किए जाने से पुलिस कार्मिकों का जीवन गंभीर खतरे में पड़ गया। अदम्य साहस दिखाते हुए, श्रीनिवास उग्रवादियों की संतरी चौकी के नजदीक गए और भारी जोखिम उठाते हुए एक हथगोला फेंका। हथगोले के विस्फोट से उग्रवादी भयभीत हो गए, जिससे पुलिस पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। उसके बाद पुलिस पार्टी पर हल्की मशीन गन से भारी गोलीबारी हुई। अनुकरणीय वीरता दिखाते हुए श्री श्रीनिवास आगे बढ़े और एल.एम.जी. चलाने वाले उगग्रादी को मार गिराया और इस प्रकार, अनेक पुलिस कार्मिकों के मूल्यवान जीवन की रक्षा की। एल.एम.जी. चलाने वाले मृतक आतंकवादी की पहचान मूला रमेश, खम्माम मिलिट्री प्लाटून सदस्य के रूप में की गई। इस अभियान में 8 उग्रवादी मारे गए, जबकि श्री यू. संजीव, उप निरीक्षक भी मारे गए।

मुठभेड़ स्थल से 1 एल.एम.जी., 2 एस.एल.आर., दो .303 राइफल, 9 एम.एम. कारबाईन, एक, 3 डी.बी.बी.एल., चार एल.एम.जी. और एस.एल.आर. मैगजीनें, 30 सक्रिय कारतूस बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, श्री श्रीनिवास, सीनियर कमांडो ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 मार्च, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 55 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करत हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री दिलीप भाराली,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.10.2001 को 10.30 बजे अपराह्न को गोकलगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पालघाट डब्ल्यू.पी. के प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप भाराली को अब्बास अली से सूचना प्राप्त हुई कि डकैतों का एक ग्रुप उसके गांव पर चढ़ाई कर रहा है। श्री दिलीप भाराली ने 7वीं ए.पी. बटालियन के 8 कार्मिकों के साथ गांव हाजिरहाट की तरफ कूच किया। जब श्री भाराली पूछताछ करने के बाद उस गांव से अपनी पार्टी के साथ लौट रहे थे तो उल्फा गुट के एक ग्रुप ने अधुनातन हथियारों से पुलिस पार्टी पर अचानक भारी गोलीबारी कर दी। इसके फलस्वरुप श्री भाराली और ड्राईवर रामनाथ राय सहित सभी पुलिस कार्मिक, गोलियों से जख्मी हो गए। गंभीर रुप से जख्मी होने के कारण ड्राईवर रामनाथ राय ने वाहन को रोक लिया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए, श्री भाराली जो पेट में गोली लगने से गम्भीर रुप से जख्मी हो गए थे, स्वंय ड्राईविंग सीट पर बैठे और जख्मी ड्राईवर को अपनी बगल में बैठाकर वाहन को चलाकर घात के स्थान से पालघाट डब्ल्यू.पी. ले गए। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर अदम्य साहस दिखाते हुए 4 बहुमूल्य जानें, शस्त्र और गोलाबारुद बचाया।

इस मुठभेड़ में, श्री दिलीप भाराली, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 अक्तूबर, 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 56 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री त्रिपुरारी सिंह,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

22.12.1998 को कार्य बल तैयार किया गया और अपराधी तुतली सिंह और उसके गिरोह के छिपने के स्थान को घेरने के लिए तैनात किया गया। कमांडो बल ने तुतली सिंह और उसके गिरोह के छिपने के स्थान का पता लगाया और सुबोध सिंह के घर, जहां बदमाश डेरा डाले हुए थे, को घेरने में भाग लिया। जब घेरा डाला जा रहा था, तो गिरोह के कुछ सदस्यों ने पुलिस पर गोलियां चलायीं। श्री त्रिपुरारी ने उन्हें चेतावनी दी। एक गोली इस अधिकारी के बाएं हाथ में लगी, क्योंकि वह इस कार्रवाई में सबसे आगे थे और गिरोह के सदस्यों को बाहर आने के लिए ललकार रहे थे तथा यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन्हें सशस्त्र पुलिस कार्मिकों द्वारा चारों दिशाओं से घेर लिया जाए। उन्होंने अपने सर्विस रिवाल्वर से तत्काल गोलियां चलायीं। इसके बाद सशस्त्र बल ने भी गोलीबारी की। लगभग 6 से 7 अपराधी, सुबोध सिंह के मकान के पिछले दरवाजे, जो पश्चिमी दिशा की तरफ था, से बाहर आए। बाहर आते हुए वे पुलिस पर गोलीबारी करते रहे। श्री त्रिपुरारी सिंह ने उनका पीछा किया। प्रभारी अधिकारी, त्रिपुरारी सिंह, ने अपने जीवन को खतरे में डाला और वे अपराधी की गोली लगने से जख्मी हो गए, तब भी श्री सिंह, धीरे-धीरे लेकिन सावधानी से, जख्मी अपराधी के नजदीक गए, जो अपने साथियों के साथ भागते हुए जमीन पर गिर पड़ा था। उसके जख्मों से खून रिस रहा था। उसकी सीने में गोली लगी थी। उसके दाहिने हाथ में कारबाईन थी। प्रभारी-अधिकारी ने कारबाईन अपने हाथ में ले ली, इसकी मैगजीन खोली और उसमें 9 एम.एम. के 9 सक्रिय कारतूस पाये। आगे जांच करने पर यह प्रतीत होता था कि कारबाईन पर लिखी संख्या को मिटाया गया है। जख्मी अपराधी की पहचान तुतली सिंह के रुप में की गई जिसने बाद मे दम तोड़ दिया। भागने वाले अपराधियों की पहचान, निरंजन सिंह, रामअवतार शर्मा, संजय मुन्ना के रुप में की गई जो सभी गांव हारियो के रहने वाले थे।

इस मुठभेड़ मे, श्री त्रिपुरारी सिंह, उप निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 दिसम्बर, 1998 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 57 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहम्मद शफी,
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

19.12.2001 को पुलिस स्टेशन पुंछ के एस.एच.ओ., को किरनी क्षेत्र में उग्रवादियों के मौजूद होने के बारे में सूचना मिली। पुलिस स्टेशन से एक पुलिस टुकड़ी तुरंत घटनास्थल को रवाना हुई। उग्रवादियों को पकड़ने के लिए संदिग्ध क्षेत्र की घेराबंदी की गई। अचानक उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी कर दी। बांयी दिशा से आतंकवादी द्वारा स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाने के कारण पुलिस टुकड़ी घेरे को तंग नहीं कर पा रही थी। श्री मो. शफी, हैड कांस्टेबल, बायी दिशा से उग्रवादियों की गोलीबारी को समाप्त करवाने के लिए स्वंय आगे आए। अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए और अपने जीवन को खतरे में डालकर, वे रेंगते हुए गोलीबारी करने वाले उग्रवादियों की तरफ बढ़े। कांटों और कंकड़ों से पूरी तरह भरे हुए इस क्षेत्र में लगभग 40-45 गज की दूरी तक रेंगते हुए जाने के बाद, श्री शफी उग्रवादियों के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गए और उन्होंने उग्रवादियों पर एक हथगोला फेंका और उन्हें मार गिराया। इस मुठभेड़ में, 5 उग्रवादी मारे गए। इस कार्रवाई के बाद निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद हुआ :-

(i)	ए.के. 56 राइफल	-	2 नग
(ii)	पिस्तौल	-	1 नग
(iii)	रिवाल्वर	-	1 नग
(iv)	रेडिसो सेट	-	1 नग
(v)	आर.डी.एक्स	-	12 किलोग्राम
(vi)	हथगोले	-	2 नग
(vii)	यू.बी.जी.एल. हथगोला	-	22 नग
(viii)	मैगजीन ए.के.	-	2 नग
(ix)	ए.के. गोलाबारुद	-	2 नग

इस मुठभेड़ में, श्री मो. शफी, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 दिसम्बर, 2001 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 58 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहम्मद शरीफ
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

28.9.2001 को अरई क्षेत्र में उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली। श्री मोहम्मद शरीफ, हैड कांस्टेबल ने अपने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को संगठित किया और इस क्षेत्र की घेराबंदी की। घेराबंदी करने के दौरान जवानों पर उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी तथा हथगोले फेंके। एक स्थान से गोलीबारी होने के कारण जवान आगे नहीं बढ़ सके। इस स्थान से होने वाली गोलीबारी की आड़ में अन्य उग्रवादी घेरे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। मोहम्मद शरीफ, हैड कांस्टेबल ने इस उग्रवादी का मुकाबला करने के लिए स्वयं को पेश किया। मोहम्मद शरीफ पिछली ओर से उसके पास पहुंचे। इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियों के बावजूद वह रेंगते हुए उग्रवादी के मोर्चे की ओर बढ़े तथा उसके नजदीक पहुंचने में सफल हो गए। आमने सामने की लड़ाई में वे उस उग्रवादी को मार गिराने में सफल हो गए तथा इसके परिणामस्वरुप पुलिस पार्टी अन्य उग्रवादियों का मुकाबला कर सकी। इस मुठभेड़ में, सभी सातों उग्रवादी मारे गए। कार्रवाई के बाद निम्न मदें बरामद हुईं :-

(i)	ए.के. 56/656 राइफलें	-	6 नग
(ii)	ए.के. मैगजीन	-	24 नग
(iii)	रेडियो सेट	-	3 नग
(iv)	हथगोले	-	20 नग
(v)	पिठु	-	4 नग

इस मुठभेड़ में, श्री मुहम्मद शरीफ, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28.9.2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 59 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सुरजीत कुमार
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 11.11.2001 को पूंछ जिले के खावरियां क्षेत्र में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर श्री सुरजीत कुमार, उप निरीक्षक ने अपनी पुलिस पार्टी तथा सुरक्षा कार्मिकों के साथ एक अभियान प्रारंभ किया तथा उग्रवादियों के संभावित मार्ग पर घात लगाई। जब घेराबंदी की जा रही थी तो ऊंचे स्थान पर छिपे उग्रवादियों ने नीचे पोजीशन लिए सैनिकों पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। तथापि, उग्रवादियों की भारी गोलीबारी की परवाह न करते हुए श्री कुमार ने घेरा डाले रखा। इन्होंने स्वयं पुलिस दल का नेतृत्व किया और उन्होंने रेंगते हुए उस स्थान की ओर बढ़ना जारी रखा जिधर से उग्रवादी गोलीबारी कर रहे थे। आमने-सामने की लड़ाई में वे एक उग्रवादी को मारने में सफल रहे। इस अभियान में जो कई घंटे चला, सभी दस विदेशी आतंकवादी मारे गए। मारे गए चार आतंकवादियों की पहचान (1) अबू अबरार, कमांडर, लश्करे तैयबा(2) अब खालिद मुल्तानी (3) खालिद महमूद मुल्तानी तथा (4) अबू अफगानी के रुप में हुई। कार्रवाई के बाद निम्नलिखित मदें बरामद हुईं :-

(i)	पीका	-	1 नग
(ii)	ए.के. राइफल	-	6 नग
(iii)	पिस्तौल	-	3 नग
(iv)	वायरलैस सैट	-	3 नग
(v)	मैगजीन ए.के.	-	12 नग
(vi)	गोली बारुद ए.के.	-	120 राउन्द
(vii)	पीका बेल्ट	-	100 राउन्द
(viii)	पहचान पत्र	-	4 नग

इस मुठभेड़ में, श्री सुरजीत कुमार, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 नवम्बर, 2001 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 60 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहम्मद सादिक
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

13.12.2001 को हरी सुरनकोट में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना प्राप्त हुई। श्री मोहम्मद सादिक को ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ, इन उग्रवादियों को पकड़ने का कार्य सौंपा गया। जब खोज़ी पार्टी गांव में पहुंची तो उन्होंने एक उग्रवादी को चट्टान पर खड़े देखा। उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया परन्तु उसने अन्धाधुन्ध गोलीबारी प्रारंभ कर दी। पुलिस ने गोलीबारी का जवाब दिया जिसके परिणामस्वरुप यह उग्रवादी मारा गया, लेकिन गुफा में छिपे हुए एक अन्य उग्रवादी की ओर से गोलीबारी अभी भी जारी थी। यह गुफा पर्वत की चोटी के पास थी तथा तीखा ढलान होने के कारण गुफा तक पहुंचने का मार्ग कठिन था। मोहम्मद सादिक स्वेच्छा से इस तीखे ढाल पर चढ़ने के लिए आगे आए। वे स्वयं को छिपते-छिपाते गुफा तक पहुंचने में सफल हो गए और उन्होंने गुफा के अंदर एक हथगोला फेंका जिसके परिणामस्वरुप वे वहां छिपे उग्रवादी को मारने में सफल रहे। इस अभियान में कुल मिलाकर 2 उग्रवादी मारे गए। इस कारवाई के बाद निम्नलिखित मदें बरामद की गईं :-

(i)	ए.के. राइफल	-	2 नग
(ii)	मैगजीन ए.के.	-	4 नग
(iii)	ए.के. गोली बारुद	-	70 राउन्द
(iv)	पाउच	-	2 राउन्द

इस मुठभेड़ में, श्री मोहम्मद सादिक, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 दिसम्बर, 2001 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 61 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जोगिन्दर सिंह

हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

3/4.9.2001 को स्पेशल आपरेशन ग्रुप सुरनकोट को उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। श्री जोगिन्दर सिंह, हैड कांस्टेबल के नेतृत्व में सुरक्षा कार्मिकों सहित एस.ओ.जी. सुरनकोट की टीम लक्षित स्थान की ओर रवाना हुई तथा उन्होंने रात्रि के प्रथम प्रहर में वहां घेरा डाल दिया। भोर में उग्रवादियों का एक ग्रुप पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरता दिखा। उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई परन्तु उन्होंने प्रत्युत्तर में गोली चलाना शुरु कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी गोलीबारी प्रारंभ कर दी जिसके परिणामस्वरूप दो उग्रवादी मारे गए। अन्य दो उग्रवादियों ने भाग कर एक घर में शरण ले ली जहां से उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरु कर दी। जब दोनों ओर से भारी गोलीबारी हो रही थी तो श्री जोगिन्दर सिंह, हैड कांस्टेबल अपनी जान की परवाह न करते हुए मकान के पिछले ओर की खिड़की तोड़ कर उस मकान में घुसने में सफल हो गए। मकान के अंदर अंधेरा था। श्री सिंह ने चुप-चाप आगे बढ़कर उग्रवादियों को ढूंढ लिया तथा उस दिशा में गोलियां चलाई। बाद में मकान से दो उग्रवादियों के शव बरामद किए गए। इस मुठभेड़ में चार उग्रवादी मारे गए। कार्रवाई के बाद निम्नलिखित मदें बरामद की गईं :-

(i)	ए.के. 56 राइफलें	-	4 नग
(ii)	ए.के. मैग्जीन	-	12 नग

इस मुठभेड़ में, श्री जोगिन्दर सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4.9.2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 62 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सुनील दत्ता

पुलिस अधीक्षक(आपरेशन्स) बड़गाम ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

29-30 जुलाई, 2001 के बीच की रात में ग्राम गोईगाम, जिला बारामूला के एक पवित्र स्थान के भीतर उग्रवादियों की मौजूदगी के बारें जानकारी प्राप्त होने पर एस.ओ.जी. बड़गाम ने 194 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, 2 आर.आर. और 122 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता से उक्त पवित्र स्थान की घेराबंदी की। पवित्र स्थान में मौजूद उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने को कहा गया लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए सैनिकों पर अंधाधुन्ध गोलीबारी कर दी जिसमें 2 आर.आर. के श्री आर.के. बहुगुणा गंभीर रुप से घायल हो गए। सैनिकों पर निरंतर गोलीबारी के बावजूद उन्होंने मस्जिद की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए जवाबी गोलीबारी नहीं की। उग्रवादियों को निष्क्रिय करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मस्जिद की पवित्रता भंग न हो, एक सटीक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बड़गाम के एस.पी. ऑपरेशन, श्री सुनील दत्ता ने स्थिति का जायजा लिया तथा ऑपरेशन की योजना बनाई। इन्होंने फंसे हुए उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी तथा हथगोले फेंके जाने के बावजूद टीम का नेतृत्व किया। यह अधिकारी, अपनी जान की परवाह न करते हुए, पुलिस कार्मिकों द्वारा की जा रही गोलीबारी की आड़ में पवित्र स्थान तक रेंगते हुए गए और वे मस्जिद में प्रवेश करने में सफल हो गए तथा बड़े कौशल और दृढ़ निश्चय के साथ फंसे हुए उग्रवादियों को मार गिराने में कामयाब हो गए। यह आपरेशन आठ घंटे से अधिक समय तक चला ओर न तो मस्जिद को और न हीं पुलिस पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा। मारे गए उग्रवादियों से तीन ए.के. मैग्जीनों सहित तीन ए.के. 47 राइफलें बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में, श्री सुनील दत्ता, पुलिस अधीक्षक आपरेशन्स ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30.7.2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 63 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नजीर हुसैन
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

2.1.2002 को श्री नजीर हुसैन, पुलिस और सेना की उस संयुक्त टीम के एक सदस्य थे जिस पर उस स्थान, जहां उग्रवादी छिपे हुए बताए गए थे, की घेराबंदी करने के दौरान, उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की गई। एक उग्रवादी यू.एम.जी. थामे हुए सुरक्षा बलों पर गोलियां चला रहा था जिसके परिणामस्वरुप अन्य उग्रवादी घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यू.एम.जी. की गोलीबारी की आड़ में कुछ उग्रवादी घेराबंदी तोड़ने और भाग निकलने में सफल हो गए। यू.एम.जी. थामे उग्रवादी को निष्क्रिय करना आवश्यक हो गया था। उग्रवादी पहाड़ी की चोटी पर थे। श्री नजीर हुसैन ने इस उग्रवादी का मुकाबला करने के लिए स्वयं को पेश किया। उग्रवादियों की ओर से भारी गोलीबारी के बावजूद श्री हुसैन 75 मीटर से अधिक दूरी तक रेंगते हुए खाई में छिपे उग्रवादियों के पास पहुंचे। बुरी तरह बहते खून की परवाह न करते हुए इन्होंने उस उग्रवादी को मार गिराने में सफलता पाई। इसके परिणामस्वरुप, अन्य उग्रवादी घेरा तोड़कर भागने में असफल रहे। इस मुठभेड़ में, पांचों उग्रवादी मारे गए। इस कार्रवाई के बाद निम्नलिखित मदें बरामद हुईं :-

(i)	ए.के. राइफल	-	3 नग
(ii)	मैगजीन ए.के.	-	13 नग
(iii)	ए.के. राइफल का गोला बारुद	-	310 राउन्ड
(iv)	पिस्तौल	-	1 नग
(v)	पिस्तौल की गोलियां	-	5 नग
(vi)	यू.एम.जी.	-	1 नग

इस मुठभेड़ में, श्री नजीर हुसैन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2.1.2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 64 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री गोविन्द सिंह (मरणोपरांत)

कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

12.2.2002 को दरहल पुलिस थानें के एस.एच.ओ. को ग्राम चंबी तरार में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उस क्षेत्र में एक ऑपरेशन चलाने की योजना बनाई गई। उग्रवादियों ने पुलिसपार्टी को देखते ही अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दीं जिसके जवाब में आपरेशन पार्टी ने भी गोलीबारी की। पुलिस थाने से अतिरिक्त कुमुक भी मंगाई गई। प्रारंभिक मुठभेड़ में एक कट्टर उग्रवादी मारा गया परन्तु अन्य उग्रवादी विपरीत दिशा में भागा तथा उसने पहाड़ी पर उच्च स्थान पर मोर्चा जमा लिया। पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया। इसी बीच, पुलिस थाने से अतिरिक्त कुमुक तथा रिजर्व पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई। अत्यधिक साहस का परिचय देते हुए कांस्टेबल गोविन्द सिंह उस ओर बढ़े जहां उग्रवादी छिपा हुआ था और पुलिस पार्टी पर गोलियां चला रहा था। आमने-सामने की लड़ाई में कांस्टेबल गोविन्द सिंह ने उस उग्रवादी को मार गिराया। कांस्टेबल गोविद सिंह भी गंभीर रुप से जख्मी हो गए तथा बाद में उन्होंने घावों के कारण दम तोड़ दिया। मारे गए उग्रवादियों की पहचान अल-बदर गुट के जिला कमांडर तारिक तथा एरिया कमांडर जाजर के रूप में की गई। मुठभेड़ स्थल से 2 ए.के. 47 राइफलें, 5 मैगजीनें तथा ग्रेनेड बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री गोविन्द सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया तथा सेवा की उच्चतम परम्परा को निभाते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12.2.2002 से दिया जाएगा।

(हस्ताक्षर)

(बरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 65 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री के.एल. खजूरिया (मरणोपरांत)

सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.10.2001 को ग्राम नटनुस्सा, जिला कुपवाड़ा में उग्रवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर एस.ओ.जी. हंडवाड़ा तथा सीमा सुरक्षा बल की 17/81 बटालियन के जवानों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान की योजना बनाई तथा इसे निष्पादित किया। पास-पड़ोस के मकानों की प्रारंभिक तलाशी लेने के बाद तमाम कोशिशें लक्षित मकान पर केन्द्रित की गईं। 81वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट विकास भारद्वाज तथा एस.ओ.जी. हंडवाड़ा के दो कांस्टेबलों तथा सीमा सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल के साथ सहायक निरीक्षक के.एल. खजूरिया, सावधानीपूर्वक संदिग्ध मकान में घुस गए। मकान की अटारी में घुसने के समय बक्सों/फर्नीचर के पीछे छिपे उग्रवादियों ने तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाईं। सहायक उप निरीक्षक खजूरिया ने उसी तल पर साथ के स्थान पर मोर्चा संभाल लिया तथा उग्रवादियों के साथ बहादुरी से लड़े तथा एक उग्रवादी को उसी तल पर मार गिराया। सहायक उप निरीक्षक के सीने दाईं बाजू, बांये कंधे तथा नाक के दाहिनी ओर गोली लगने के बावजूद भी वे साहसपूर्वक उग्रवादियों से लड़े तथा उस घर में दस मिनट तक गोलीबारी/मुठभेड़ के बाद उतर कर नीचे आए तथा गंभीर अवस्था में मकान से बाहर आ गए। तथापि, अस्पताल ले जाते समय उन्होंने घावों के कारण रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

स्थल से निम्नलिखित मदें प्राप्त हुईं :-

1.	ए.के. 56 राइफल	-	1 नग
2.	राइफल ग्रेनेड लांचर	-	1 नग
3.	मैगजीन ए.के. 56 राइफल	-	5 नग(एक आधी टूटी हुई)
4.	ई.एफ.सी.	-	55 नग
5.	वायरलेस सेट के हिस्से	-	(सभी जले हुए)

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत)श्री के.एल. खजूरिया, सहायक उप निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया तथा सेवा की उच्चतम परंपरा को निभाते हुए उच्च कोटि का बलिदान दिया।

यह राष्ट्रपति का पुलिस पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27.10.2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 66 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री शरबत हुसैन शाह,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

19 नवम्बर, 2001 को कांस्टेबल शरबत हुसैन शाह हरी सुरानकोट में एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे । इस पार्टी ने ऊंचाई पर कुछ उग्रवादियों का पता लगाया । ये उग्रवादी, पुलिस पार्टी और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे थे । उग्रवादियों को निष्क्रिय करने के लिए बलों को खड़ी ढाल पर चढ़ना था । लगातार गोलीबारी और खडी ढाल श्री शाह को इस टुकड़ी का नेतृत्व करने से नहीं रोक सके। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए यह कांस्टेबल उग्रवादियों के काफी नजदीक पहुंच गया और इस प्रक्रिया में इन्होंने दो उग्रवादियों का स्वयं ही सफाया कर दिया । इस कार्रवाई के दौरान एक किरच उनकी दाईं आंख में आ लगी । ऐसा होने पर भी यह कांस्टेबल अपने कार्मिकों का नेतृत्व करता रहा और अन्ततः मुठभेड़ में एच.एम. के एक क्षेत्रीय कमाण्डर सहित 6 विदेशी उग्रवादियों को मार गिराया गया । कांस्टेबल को बाद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया । मुठभेड़ स्थल से, 04 राइफल ए.के.-47, 09 मैगजीन ए.के., 01 स्नाईपर राइफल, 01 मैगजीन स्नाईपर राइफल, 240 राउन्द गोला बारूद ए.के., 10 राउन्द गोलाबारूद स्नाईपर, 01 रेडियो सेट यास्सू, 12 हथगोले, 10 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, और यू.बी.जी.एल ग्रेनेड-02 बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री शरबत हुसैन शाह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 नवम्बर, 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 67 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहम्मद रशीद,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

08.10.2001 को मलहन क्षेत्र में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई । कांस्टेबल मोहम्मद रशीद और अन्य पुलिस कार्मिकों को 9 पैरा के साथ छान-बीन अभियानों में भाग लेने के लिए तैनात किया गया । यह अन्धेरी रात थी और टुकडियों को घने जंगल से होकर गुजरना था । जब पार्टी जंगल में जा रही थी तो उग्रवादियों ने उनपर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । सैनिकों ने मोर्चा सम्भाला और गोलीबारी का जवाब दिया परन्तु वह उग्रवादियों को मार नहीं सके। उग्रवादी बलों के समीप आ रहे थे और प्रभारी अधिकारी ने उग्रवादियों की भारी संख्या में मौजूदगी के मद्देनजर अपनी टुकड़ियों को पीछे हटने की सलाह दी । कांस्टेबल रशीद, तथापि, पीछे नहीं हटे और उग्रवादियों की तरफ आगे बढ़ते रहे । उग्रवादियों में से एक के साथ लड़ाई में कांस्टेबल रशीद उसे मौके पर ही मार गिराने में सफल हो गए । तब तक और कुमुक पहुंच गई और एक मुठभेड़ हुई जो लगभग 7 घंटे तक चली । तथापि, उग्रवादी बचकर भागने में सफल रहे । मारे गए उग्रवादी की पहचान अबू उबैदा, जे.इ.एम. गुट के जिला कमाण्डर के रूप में की गई । मारे गए उग्रवादी से, एक ए.के.-56 राइफल, 04 ए.के. मैगजीन, ए.के. गोला बारूद के 60 राउन्द, रेडियो सैट-1 और हथगोले-3, बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में, श्री मोहम्मद रशीद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 अक्तूबर, 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 68 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

श्री विशाल शर्मा,
उप निरीक्षक, जम्मू और कश्मीर

श्री धीरज कोहली, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल, जम्मू और कश्मीर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

30.03.2002 को लगभग 1015 बजे, दो उग्रवादियों ने अपने बस्तों से ए.के. राइफलें बाहर निकाली और रघुनाथ जी मन्दिर, जम्मू के सामने चौराहे के सामान्य क्षेत्र में अन्धाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी । एक उग्रवादी सिटी चौक की तरफ गया और दूसरा एस एस बी के दो गार्डों को मारने के पश्चात रघुनाथ जी मन्दिर में प्रवेश करने में सफल हो गया। सिटी चौक की तरफ गए उग्रवादी का पीछा उप निरीक्षक विशाल शर्मा और कांस्टेबल निर्मल प्रकाश, के0रि0पु0 बल ने किया । दोनों अधिकारी, मन्दिर के बाहर द्वार पर नियमित तैनाती, जिसमे एक उप निरीक्षक, और पुलिस स्टेशन सिटी के तीन अधिकारी और के0रि0पु0 बल की एक सैक्शन शामिल थी, का एक भाग थे । सिटी चौक की तरफ बढ़ते हुए उस उग्रवादी ने दो व्यक्तियों को मार दिया तथा 18 व्यक्तियों को घायल कर दिया । रास्ते में, उसने हरी थियेटर के सामने खड़ी सेलो कार पर एक ग्रेनेड भी फेंका जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई । उप निरीक्षक विशाल शर्मा और कांस्टेबल निर्मल प्रकाश अपने ऊपर गोलीबारी होने के खतरे के बावजूद उग्रवादी का पीछा करते रहे । वे अन्ततः उस उग्रवादी को मारने में सफल हो गए । दूसरा उग्रवादी, जो रघुनाथ जी मंदिर में घुस गया था, ने एक महिला तीर्थयात्री और एक मन्दिर कर्मचारी को मार दिया । कांस्टेबल धीरज कोहली ने सूझबूझ और जिम्मेवारी की भावना का परिचय देते हुए उग्रवादी का पीछा किया जिसने नटराज मन्दिर की बगल में स्थित छोटे समाधि मन्दिर में शरण ले ली । कांस्टेबल धीरज कोहली बहादुरी से उस उग्रवादी के साथ लड़े जो उस ग्रेनेड के हाथ में फटने से मारा गया जिसे वह ले जा रहा था । कांस्टेबल धीरज कोहली भी इस मुठभेड़ में शहीद हुए । मुठभेड़ के पश्चात् 2 ए.के. 47 राइफलें, 8 ए.के.-मैगजीन, मैगजीन के साथ एक चीनी पिस्तौल, ए.के. राइफल के 125 राउन्द, पिस्तौल के 15 राउन्द और 7 प्लास्टिक ग्रेनेड बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री धीरज कोहली, कांस्टेबल और श्री विशाल शर्मा, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 मार्च, 2002 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 69 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मकसूद खान,
एस जी कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20.02.2002 को एस जी कांस्टेबल मकसूद खान हरी में एक छान-बीन अभियान में एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे । छान-बीन पार्टी पर उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी की गई । श्री खान ने अपने जवानों को मोर्चा संभालने का निदेश दिया । उग्रवादियों की गोली उनके बिल्कुल पास से होकर निकली । चूंकि एस जी कांस्टेबल मकसूद खान के साथ सीमित संख्या में जवान थे अत: यह सम्भव नहीं था कि उग्रवादियों पर हमला किया जाए, क्योंकि उग्रवादी भारी संख्या में उपस्थित थे । इसलिए, श्री खान ने उग्रवादियों से भिड़ने के लिए एक युक्ति निकाली । उन्होंने उग्रवादियों को धोखे में रखने के लिए अपने सैनिकों को गोलीबारी न करने की सलाह दी । यह उग्रवादियों की तरफ बढ़ने के लिए स्वयं आगे आए और लगभग 50 गज चुपचाप रेंगने के पश्चात, उग्रवादियों के नजदीक पहुंच गए । आमने-सामने की गोलीबारी में वह उग्रवादियों का सफाया करने में सफल हुए । इस मुठभेड़ में, सभी तीनों उग्रवादी मारे गए । 3-ए.के. 56 राइफलें, 09 मैगजीन ए.के., 93 राउन्द गोलाबारुद ए.के., टूटे हुए 2 रेडियो सेट, 7 हथगोले और 8 डेटोनेटर इलैक्ट्रिक भी बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री मकसूद खान, एस.जी. कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 फरवरी, 2002 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 70 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मसूफ अहमद,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20.7.2001 को जिला पूंछ के शैला नदियां-गरियां क्षेत्र में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में एक सूचना मिली। तद्नुसार, एक पुलिस पार्टी उप निरीक्षक मसूफ अहमद की कमान में उस क्षेत्र में आपरेशन चलाने के लिए रवाना हुई । उग्रवादी कंटीली झाड़ियों और जंगली घास वाले घने जंगल में थे । आपरेशन पार्टी जब उस क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी तो छिपे उग्रवादियों ने एकाएक भारी गोलीबारी शुरू कर दी । गोलीबारी के बावजूद, आपरेशन पार्टी ने उस क्षेत्र की घेराबंदी की और आगे बढ़ती रही । आपरेशन पार्टी का घेरा पल-पल तंग होता जा रहा था । इसी बीच, गोलियों की एक बौछार उप निरीक्षक मसूफ अहमद पर हुई जो उनके बिल्कुल पास से गुजर गई । उन्होंने एक उग्रवादी को घेराबन्दी तोड़ने का प्रयास करते देखा । बड़े साहस का परिचय देते हुए और भारी गोलीबारी से विचलित हुए बगैर, श्री मसूफ अहमद, उप निरीक्षक ने उग्रवादी पर गोलीबारी की और उसे मार गिराने में सफल हुए । धैर्य और दृढ़ता के साथ उप निरीक्षक मसूफ अहमद और उनकी पार्टी 03 अन्य दुर्दान्त उग्रवादियों को भी समाप्त करने में सफल रही । उस क्षेत्र की तलाशी के दौरान: (क) 4 ए.के.-47/56 राइफलें (ख) 15 ए.के. मैगजीनें (ग) गोला बारूद ए.के. 820 राउन्द (घ) 01 आर पी जी लौंचर (ड) 60 एम.एम. मोर्टर - 01 (च) 60 एम एम मोर्टर बम - 11 (छ) एक रिमोट के साथ यू ए वी और लौंचर 04 (ज) आर्मी सैल 01 (झ) यू बी जी एल 07 (ञ) यू बी जी एल ग्रेनेड 03 (ट) यू बी जी एल एच/ग्रेनेड 34 (ठ)आर पी जी रॉकेट 09 (ड) आर पी जी बूस्टर 09 (ढ) डब्ल्यू/ सेट 02 (ण) डब्ल्यू/सेट एंटिना 15 (त) आई इ डी ट्रीग्रिंग डिवाइस 33 (थ) लाइकली आई ई डी बूस्टर 29 (द) पानी की बोतल 12 (ध) पाउच 04 (न) इलैक्ट्रिक डेटोनेटर 20 (प) रूक सेक 12 (फ) डायरी 01 (ब) शॉल (भ) भारतीय मुद्रा 10,000/- रूपये (म) पाकिस्तानी मुद्रा 1680/- (य) ए.के. ट्रेसर 15 राउन्द भी बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री श्री मसूफ अहमद, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20.07.2001 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 71 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. सुनील कुमार, भा0पु0से0 पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) श्रीनगर
2. फारूख अहमद रेशी, निरीक्षक
3. हरबिन्दर सिंह, हैड कांस्टेबल
4. नरेन्द्र कुमार, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उग्रवादियों की छत्तरहामा, जाकूरा क्षेत्र में उपस्थिति और अतिविशिष्ट व्यक्तियों की हत्या करने की उनकी योजना के बारे में, विशिष्ट सूचना पर, श्री सुनील कुमार, पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) श्रीनगर की कमान में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया । 20.11.2001 को, पहाड़ के ऊपर स्थित एक मकान में छिपे उग्रवादियों को पकड़ने के लिए एक आपरेशन शुरू किया गया । आपरेशन पार्टी ने उस मकान को तीन तरफ से घेरना प्रारम्भ कर दिया । श्री सुनील कुमार की कमान में यह पार्टी सामने से ऊपर चढ़ी । इस पार्टी ने धीर-धीरे, लगभग रेंगते हुए चढ़ना प्रारम्भ किया क्योंकि घर में छिपे उग्रवादियों को ढाल साफ-साफ दिखाई दे रही थी । श्री सुनील कुमार को सूचित किया गया कि उग्रवादियों ने 2-3 नागरिकों को बन्धक बना रखा है । इसलिए बड़े पैमाने पर हमला करने से इन नागरिकों की जान को खतरा हो सकता था। श्री सुनील कुमार ने निरीक्षक फारूख अहमद रेशी, हैड कांस्टेबल हरबिन्दर सिंह और कांस्टेबल नरेन्द्र कुमार को अपने साथ, मकान के समीप आने को कहा ताकि नागरिकों को निकाला जा सके। अचानक अन्दर से गोलियों की बौछार हुई। इससे पूर्व कि तीनों मोर्चा सम्भालते, एक ग्रेनेड अन्दर से फेंका गया जो उनके बहुत समीप फटा । क्षण भर भी गंवाए बगैर श्री सुनील कुमार ने अन्तिम हमला करने का निर्णय लिया क्योंकि देरी करने से आतंकवादी बन्धकों को मार सकते थे और अन्धेरे का लाभ उठा कर पीछे से बचकर भाग सकते थे । तीनों ने घर की तरफ रेंगना प्रारम्भ किया और जब वह घर से मात्र 10 मीटर की दूरी पर थे तो उन पर फिर से अन्दर से भारी गोलीबारी हुई । श्री सुनील कुमार ने मकान के अन्दर उग्रवादियों को देख लिया और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी । एक उग्रवादी नीचे गिर गया और दूसरा खिड़की से बाहर कूदा और श्री सुनील कुमार की तरफ आया । हैड कांस्टेबल हरबिन्दर सिंह और कांस्टेबल नरेन्द्र कुमार तुरन्त हरकत में आए और उस पर दोनों ने एक साथ गोलीबारी की जिससे वह उग्रवादी उनसे मात्र 5 मीटर की दूरी पर उसी समय मारा गया। पुलिस ने बन्धकों को छुड़ा लिया । मारे गए उग्रवादी पाकिस्तानी आतंकवादी थे जिनके नाम हैं:- हफीज अशान अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ डा0 शोकतर उर्फ डा0 नईम, अल बदर का चीफ कमाण्डर, निवासी पाकिस्तान और सैयद तालहा अहमद उर्फ अमीर उर्फ तंजील उर्फ इमरान अल बदर का कमाण्डर, निवासी पाकिस्तान । मारे गए उगग्रादियों से 01-ए.के. 47 राइफल, 01 ए.के.-56 राइफल, 04 ए.के. मैगजीन, ए.के. गोलाबारूद के 15 राउन्द, 02 राइफल ग्रेनेड, 01 ग्रेनेड थ्रोअर, 01 वायरलैस सेट और 10 मेटरिक्स बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में, सर्व श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) श्रीनगर, फारूख अहमद रेशी, निरीक्षक, हरबिन्दर सिंह, हैड कांस्टेबल और नरेन्द्र कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 नवम्बर, 2001 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 72 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहम्मद शकूर (मरणोपरांत)

कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

कुछ उग्रवादियों के गांव छावा, जिला राजौरी में उपस्थिति की सूचना प्राप्त होने पर, एस.ओ.जी. राजौरी/सेना ने 24-25/05/2002 को उक्त गांव की घेराबन्दी और तलाशी का अभियान शुरू किया । इस अभियान के दौरान, कांस्टेबल मोहम्मद शकूर, सिपाही शविन्दर सिंह ओर एस.पी. ओ. मोहम्मद असलम और सेना के कुछ जवान उस मकान की तरफ बढ़े जहां से उग्रवादी, तलाशी पार्टी पर अन्धाधुंध गोलीबारी कर रहे थे । कांस्टेबल मोहम्मद शकूर अपनी जान की परवाह न करते हुए अकेले ही उस घर के अन्दर घुस गए । एक उग्रवादी, जो पलंग के नीचे छिपा हुआ था, ने कांस्टेबल पर गोलीबारी कर उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया । तब तक, कांस्टेबल शविन्दर सिंह ओर एस.पी. ओ. मोहम्मद असलम ने मोर्चा सम्भाल लिया और उस का पता लगाकर उसे मार गिराया । उन्होंने कांस्टेबल मोहम्मद शकूर के शव को भी ढूंढ निकाला । इस कार्रवाई में तीन दुर्दान्त उग्रवादी मारे गए । मारे गए उग्रवादियों की पहचान बाद में एच एम गुट के मोहम्मद शहीद उर्फ अबू बिलाल, अलबदर गुट के जब्बर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर निवासी और जे ई एम गुट के सुल्तैन टीपू, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर निवासी के रूप में की गई । कार्रवाई स्थल से निम्नलिखित समान बरामद हुआ:- (i) 03 राइफल ए.के.-56 (ii) 14 मैगजीन (iii) 01 पिस्टल (iv) 03 हथगोले (v) 01 वायरलैस सेट (vi) 46 राउन्द ए.के. गोला बारूद (vii) 01 यू बी जी एल गोला-बारूद ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री मोहम्मद शकूर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया और सेवा की उच्च परम्परा को बनाए रखते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 मई, 2002 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 73 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अशोक कुमार गुप्ता, भा.पु.सेवा, उप महानिरीक्षक
2. नियाज अहमद, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

11.01.2002 को प्रात: श्री अशोक कुमार गुप्ता, भा.पु. सेवा, उप महानिरीक्षक, अनन्तनाग को एक स्त्रोत से सूचना प्राप्त हुई कि विभिन्न उग्रवादी गुटों के 2 जिला कमांडर 1 बटालियन कमांडर और एक कंपनी कमांडर सहित 6 कुख्यात उग्रवादी, अनंतनाग जिला मुख्यालय से 50 कि.मी. दूर डी.एच. पोरा तहसील कुलगाम में जिला उधमपुर की सीमा से लगी पीर पंचाल पहाड़ियों में एक गूजर कोठा (बेहाक) में एक बैठक करने के लिए इकठ्ठे हुए है। यह भी पता चला कि उग्रवादी प्रात: अपने छिपने का स्थल बदल सकते हैं। श्री गुप्ता, उप महानिरीक्षक ने बर्फ से ढकी पहाड़ियों के तग दर्रों या अंधेरे में रास्ते में संभावित प्रतिघात का जोखिम उठाते हुए अंधेरे में शून्य से नीचे के तापमान में बलों को लामबंद किया। श्री गुप्ता, उप महानिरीक्षक ने सुरक्षा बलों को सूचित करने और उन्हें तुरंत पीछे आने के लिए कहकर एस.ओ.जी. कुलगाम के 14 कांस्टेबलों के साथ आगे बढ़े। उनकी अगुआई में दल तीन घंटे तक बर्फ से ढकी दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने के पश्चात 0600 बजे नाका बेहक, होम पाथरी पहुँचा। बेहक, दोदा कुचन जंगलों के ऊपर समुद्र तल से 10500 फुट की ऊँचाई पर है। दल अभी वहां पहुँचा ही था कि उग्रवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी शुरु कर दी। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से सुरक्षा बल कार्मिकों की जानें खतरे में पड़ गई जो अभी चढ़ ही रहे थे और इस बात की सम्भावना थी कि उग्रवादी कार्मिकों को आहत करके भाग सकते हैं। श्री गुप्ता ने चुनौती स्वीकार की और अपने जीवन की परवाह न करते हुए, उन्होंने कांस्टेबल नियाज अहमद के साथ उग्रवादियों पर हठात आक्रमण करने का निर्णय लिया। श्री गुप्ता, उप महानिरीक्षक ने शेष दल को नीचे रक्षात्मक पोजीशन लेने तथा उग्रवादियों को लगातार लेकिन एक-एक कर गोली चलाकर उलझाऐ रखने के लिए कहा। कांस्टेबल नियाज अहमद के साथ श्री गुप्ता, उप महानिरीक्षक ने बायीं तरफ से दुर्गम पहाड़ी और छोटी पहाड़ियों पर चढ़ना शुरु किया। कुछ मिनटों में वे, कांस्टेबल नियाज अहमद के साथ उग्रवादियों के पीछे की तरफ से पहुँचने में सफल हो गए और उन्होंने उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी कर दी। उग्रवादियों ने तत्काल रक्षात्मक पोजीशन ले लीं। इसी बीच अन्य सुरक्षा कर्मी और निकट आ गए तथा घेराबंदी कर ली। मुठभेड़ लगभग 7 घंटे तक चली जिसमें सभी 6 उग्रवादी मारे गए। कोठा, जिसे छिपने के स्थान के रुप में प्रयोग किया जा रहा था से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारुद बरामद हुए, जो गोलीबारी के कारण आग लगकर नष्ट हो गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री अशोक कुमार गुप्ता, भा.पु.से उप महानिरीक्षक और नियाज अहमद कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 11 जनवरी, 2002 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 74 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. टीएच. कृष्णातोम्बी सिंह, उप निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का तृतीय बार)
2. मोहम्मद युसुब अली, सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

14.11.2000 को लगभग 11 बजे पूर्वाहन को एक सूचना मिलने पर कि 5/6 सशस्त्र युवकों ने फैयेंग गांव से एक एल.एम.एल. वेस्पा का अपहरण कर लिया है, निरीक्षक एम. मुबी सिंह, उप निरीक्षक टीएच. कृष्णातोम्बी सिंह और सहायक उप निरीक्षक युसुब अली के नेतृत्व में 3 कमांडो दलों को उपर्युक्त क्षेत्र में उन व्यक्तियों को पकड़ने के लिए तैनात किया गया। जब तीन कमांडो दल इरेंग गांव के नजदीक सिग्दा डैम हिल रेंज की तरफ बढ़ रहे थे, तभी कुछ सशस्त्र युवकों ने अचानक कमांडो पर गोलियां चला दीं। कमांडो अपने-अपने वाहनों से बाहर कूद गए और मोर्चा लिया तथा जवाबी गोलीबारी की। निरीक्षक एम. मुबी सिंह के समग्र प्रचालन नियंत्रण में कमांडो ने युक्तिपूर्ण और रणचातुर्य से जवाबी कार्रवाई की। उप निरीक्षक कृष्णातोम्बी सिंह के दल ने उत्तर-पश्चिम दिशा की तरफ से घेरा डाला, सहायक उप निरीक्षक युसुब अली और उसके दल ने दक्षिण-पश्चिम तरफ से घेरा डाला जबकि निरीक्षक मुबी और उसका दल पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ा। यह पहाड़ी क्षेत्र था और आगे घना जंगल था और सुसज्जित उग्रवादियों ने उपयुक्त पूर्व-योजना के साथ कमांडो पर लाभकर पोजीशन से हमला किया। इन सभी दबावों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कमांडो ने तेजी से और युक्तिपूर्ण तरीके से जवाबी कार्रवाई की। आखिरकार, भारी गोलीबारी के बीच, निरीक्षक मुबी सिंह और उनके पीछे - पीछे राइफलमैन इबुंगो निडरता से रेंगते हुए आगे बढ़े और युवकों पर गोलिया चलायी। ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ युवक निरीक्षक मुबी तथा राइफलमैन इबुंगो द्वारा की गई भीषण गोलीबारी और अदम्य वीरता के कारण जख्मी हो गए। युवकों के पास पहाड़ी की तरफ वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। निरीक्षक मुबी ने डब्ल्यू.टी. सेट पर उप निरीक्षक कृष्णातोम्बी और सहायक उप निरीक्षक मोहम्मद युसुब अली को सूचित किया कि जख्मी हुए युवक पश्चिमी पहाड़ियों की तरफ भाग रहे हैं। उप निरीक्षक कृष्णातोम्बी और सहायक उप निरीक्षक मोहम्मद युसुब अली ने तत्काल उनके भाग निकलने के रास्ते को दोनों तरफ से रोक दिया और अंतत: दोनों अधिकारियों ने सीधे युवकों का सामना किया। उग्रवादी, जो अधुनातन हथियारों से सुसज्जित थे, देवदार वृक्षों के पीछे से निरंतर गोलीबारी करते रहे। तथापि, उप निरीक्षक कृष्णातोम्बी सिंह और सहायक उप निरीक्षक मोहम्मद युसुब अली मुठभेड़ में दो सशस्त्र युवकों का सफाया करने में कामयाब हो गए। इन युवकों की बाद में (1) चिगैंगबाम जितेन उर्फ नोंगदेम्बा, थाओरोईजाम गांव, मनिंग लेकई और (2) पी एल ए का फाकुंग अवांग लोइकाल खूखार कार्यकर्ता के हिजाम बिशेशर सिंह उर्फ मचा के रुप पहचान की गई। घटनास्थल से क्रमश: 10 सक्रिय कारतूस और 6 सक्रिय कारतूस से भरी 2 (दो) ए.के.-56 राइफलें बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री टीएच. कृष्णातोम्बी सिंह, उप निरीक्षक और मोहम्मद युसुब अली, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक का बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 नवम्बर, 2000 से दिया जाएगा।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 75 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. शाहनवाज खान, कंपनी कमांडर (मरणोपरांत)

2. अजय कुमार तिवारी, कांस्टेबल (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

11.3.98 को पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री डी.एल. रतनाम को, एक विश्वसनीय सूचना मिली कि एक खूंखार आतंकवादी और खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ, जरनैल सिंह सतराना उर्फ जाईला, जिसके सिर पर 6.5 लाख रु0 का इनाम भी था और जिसकी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को तलाश है, श्री कृपा राम यादव उर्फ ढिल्लर के घर में रघुनाथपुर, पुलिस स्टेशन [illegible], जिला बहराइच में मौजूद है। तदनुसार, पुलिस अधीक्षक बहराइच ने अपेक्षित बल को बुलाया और अपराधी को पकड़ने के लिए अभियान की योजना बनाई। उन्होंने बल को चार दलों में विभाजित किया जिसका नेतृत्व श्री शिव प्रसाद उपाध्याय, सी. ओ. [illegible] और सी. ओ. [illegible] श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ने किया। पुलिस दलों ने, आतंकवादी के छिपने की तरफ तत्काल कूच किया और श्री कृपा राम यादव के घर को घेर लिया तथा अपराधी से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। क्योंकि वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, पुलिस अधीक्षक ने, श्री एल.आर. दिवाकर, निरीक्षक को इस घर के अंदर आंसू गैस का एक हथगोला फेंकने का निदेश दिया अन्यथा हो सकता था कि आतंकवादी शाम तक बाहर न निकले और रात में अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। आतंकवादी ने आगे बढ़ रहे पुलिस दल पर उन्हें मारने और बल में आतंक फैलाने के इरादे से ए.के.-47 से अंधाधुंध गोलीबारी की। एस.ओ. मोतीपुर, एस.ओ. रुपायेदिहा, कंपनी कमांडर और कांस्टेबल सर्वश्री जय प्रकाश सिंह और अजय कुमार तिवारी ने मोर्चा लिया और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादी पर गोलीबारी की। इस पर आतंकवादी ने पश्चिमी दरवाजा खोला और गोलियां चलाता हुआ बाहर निकला, तथा पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ा। सी. ओ. नानपाड़ा और पी.ए.सी. कांस्टेबल राम कृपाल साही ने आतंकवादी पर गोलियां चलायीं, जो श्री अजय कुमार तिवारी के नजदीक पहुँच गया, जिनकी राइफल दो राउंड गोलियां चलाने के पश्चात बंद हो गई थी, और उग्रवादी ने उन पर गोलियां चलाईं तथा दक्षिण की तरफ बढ़ गया। स्वयं को घिरा हुआ पाकर, आतंकवादी पुलिस वाले पर निरंतर गोलीबारी करता हुआ गांव की तरफ आगे बढ़ा। सी. ओ. रिसिया ने भी अपने

साथियों के साथ आतंकवादी पर गोलीबारी शुरु कर दी लेकिन आतंकवादी की गोली श्री शोहराब खान, कंपनी कमांडर और कांस्टेबल जय प्रकाश सिंह को लग गई। श्री शोहराब खान घटनास्थल पर गिर गए। कांस्टेबल जय प्रकाश सिंह ने जख्मी होने के बावजूद और एस.ओ. मोतीपुर तथा एस.ओ. रुपायेदिहा एक वृक्ष की आड़ लेकर निरंतर गोलीबारी करते रहे। आतंकवादी दक्षिण से उत्तर को अंदर की तरफ आने वाले रास्ते से, गांव में घुस गया और गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस दल जिसका नेतृत्व सर्वश्री डी.एल. रतनाम, पुलिस अधीक्षक, एल.आर. दिवाकर, निरीक्षक, उदय राज तिवारी, एस.ओ. रुपायेदिहा, एस.ओ., मोतीपुर, सी. ओ. रिसिया और गनर हैड कांस्टेबल ए.पी. रामरक्षा पाठक, ने दिवार ओर कुऐं की आड़ लेते हुए, गोलीबारी शुरु कर दी और आतंकवादी को घटनास्थल पर मार गिराया। श्री शोहराब खान, कंपनी कमांडर और कांस्टेबल अजय कुमार तिवारी, जो जख्मी हो गए थे, ने बाद में जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। कार्रवाई के पश्चात 102 सक्रिय कारतूसों के साथ एक ए.के. 47 राइफल और तीन मैगजीन, पिस्तौल के 09 सक्रिय कारतूस, तार सहित एक डिटोनेटर, बम बनाने के प्रयोग में आने वाला दो रंगों में रासायनिक पाउडर, 9 चार्जर, .303 राइफल का एक खाली कारतूस (खोखा)और 40,650रु0 नकद बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत)सर्व/श्री शोहराब खान, कंपनी कमांडर और अजय कुमार तिवारी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11मार्च,1998 से दिया जाएगा ।

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 76 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री शरद प्रताप सिंह,
निरीक्षक, एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन मोठ, झांसी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

17.8.2000 को निरीक्षक एस.पी. सिंह को एक स्त्रोत से सूचना प्राप्त हुई कि धन सिंह धीमर का गैंग जिला जालोन, पुलिस स्टेशन दाबोह, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से अपहृत आठ पीड़ितों के साथ पिछले कई दिन से पाहुज नदी के किनारे घूम रहा है और पुलिस स्टेशन पंदोखर जिला दतिया मध्य प्रदेश श्री एस.पी. सिंह, निरीक्षक ने टेलीफोन पर इस सूचना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को इसकी जानकारी दी। पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी ने, पाहुज नदी से सटे हुए 8 या 10 कि.मी. तक फैले घने जंगल में धन सिंह धीमर गिरोह के, 8 अपहृत व्यक्तियों के साथ मौजूद होने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी सूचित किया। उप महानिरीक्षक ने अपने मुखबिर को, दतिया (मध्य प्रदेश) से सटे क्षेत्र में तंगघाटी और जंगलों में डकैत धन सिंह की मौजूदगी, दोनों स्त्रोतों से पुष्टि होने तक, श्री एस.पी. सिंह, को सौंप दिया। गत्तारा गांव सजन्नी पुलिस स्टेशन समथर के जंगल में एक छानबीन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार 18.8.2000 को निरीक्षक एस.पी. सिंह के नेतृत्व में एक धावा बल गठित किया गया जो मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर पहुँचने के लिए जंगल में गया। प्रातः 8 बजे के लगभग, पुलिस दल ने देखा कि शस्त्रों से पूरी तरह से सुसज्जित 10-12 लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। जब डकैतों का गिरोह आ गया तो निरीक्षक, एस.पी. सिंह ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा क्योंकि वे चारों तरफ से घिर चुके थे। डकैतों ने अकारण गोलीबारी शुरु कर दी। अचानक गोलीबारी के कारण एक गोली, सनसनाती हुई निरीक्षक सिंह के सिर के ऊपर से निकल गई, लेकिन वे बच गए। निरीक्षक एस.पी. सिंह ने अपने दल की आड़ लेने ओर अपने बचाव में गोलीबारी करने का निदेश दिया। चीखने की एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी को गोली लग गयी हो। एक व्यक्ति अपने हाथ ऊपर उठाए यह चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए उनकी तरफ आया कि वह एक अपहृत व्यक्ति है। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट न पहुंचे इसलिए निरीक्षक एस.पी. सिंह और उनके दल ने गोलीबारी बंद कर दी और अपराधियों का पीछा किया लेकिन वे भागने में सफल हो गए। अपहृत व्यक्ति ने स्वयं को प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बताया। तलाशी के दौरान, सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते हुए, निरीक्षक एस.पी. सिंह ने एक डकैत को मृत पाया। बाद में डकैत की पहचान, छदामी धीमर एक कट्टर, कुख्यात अपराधी और धन सिंह गिरोह के सदस्य के रुप में की गई जिस पर 22,500/-रु0 का इनाम था। वह इससे पहले गिरोह के सरगना धन सिंह और प्रेम धोबी के साथ पुलिस हिरासत से भाग गया था। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित मदें बरामद हुईं:-

(i) एक .303 बोर राइफल (ii) एक .303 बोर 10 कारतूस वाली एक बेल्ट (iii) राइफल के चैंबर में इस्तेमाल किया गया एक कारतूस (iv) .325 बोर के 25 कारतूसों की एक बेल्ट (v) 12 बोर के 25 कारतूसों की एक बेल्ट (vi) स्टील की 6 चेन।

इस मुठभेड़ में, श्री शरद प्रताप सिंह, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 अगस्त, 2000 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 77 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नैना सिंह कोरंगा

सुबेदार, 6 असम राइफल्स

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

लाजू में नेशनल सोशलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) ग्रुप के उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर, बी कंपनी के सुबेदार नैना सिंह के नेतृत्व में एक टुकड़ी को इन उग्रवादियों, जो लाजू गांव, तिरपा जिले से जबरन धन उगाही कर रहे थे, को मारने/पकड़ने के लिए भेजा गया। सुबेदार नैना सिंह ने 2.5.2002 को 0700 बजे से 1600 बजे तक लगभग 200 घरों वाले समूचे गांव की तलाशी ली लेकिन वहाँ उग्रवादियों का कोई अता-पता नहीं था। उसके पश्चात, अपनी ओर से पहल करते हुए, सुबेदार नैना सिंह अपनी टुकड़ी को घने जंगल से होकर खड़ी पहाड़ियों से नीचे गांव की झूम झोपड़ियों तक लाए। एक झोंपड़ी के नजदीक, जिसका प्रवेश द्वार बंद किया गया था, सुबेदार नैना सिंह को संदेह हुआ और टुकड़ियों के साथ उसकी घेराबंदी की। उसके पश्चात अपने साथ एक और जवान को लेकर, सुबेदार नैना सिंह प्रवेश द्वार के नजदीक बढ़े और जैसे ही उन्होंने उसे ठोकर मार कर खोला, उन्होंने हथियारों से लैस चार से पांच व्यक्तियों को अंदर बैठे पाया। अपने दल के लिए सशस्त्र उग्रवादियों से उत्पन्न गंभीर खतरे को भांपते हुए, सुबेदार नैना सिंह तत्काल कूदे और उन्हें दबोच लिया और साथ-साथ अपनी टुकड़ी से अतिरिक्त मदद के लिए चिल्लाए। तत्काल चार जवानों ने झोंपड़ी में प्रवेश किया और अन्य व्यक्तियों को काबू कर लिया तथा अतिरिक्त हथियार बरामद किए। इस द्रुत कार्रवाई में सूबेदार नैना सिंह एन.एस.सी.एन.(के) के पांच उग्रवादियों को जिंदा पकड़ने में कामयाब हुए और गोली चलाए बगैर, दो ए.के.-56 राइफलें, एक 7.62 एम.एम. एस.एल.आर., और एक एम-21 राइफल सहित चार हथियार बरामद किए।

इस मुठभेड़ में, श्री नैना सिंह कोरंगा, सुबेदार ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 मई, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 78 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री आर.एस. मनराल
कमांडेंट, 120 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20.10.2001 को लगभग 1345 बजे, उग्रवादियों द्वारा आई.ई.डी. को प्लांट करने के बारे में एक विशिष्ट सूचना पर, कमांडेंट आर.एस. मनराल ने उस विशेष क्षेत्र में तैनात रोड ओपनिंग दल को उग्रवादियों के भागने के संभावित रास्तों को बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी व्यूह अभियान योजना तैयार की और 138 बटालियन और विशेष ऑपरेशन ग्रुप की उपलब्ध टुकड़ियों को लामबंद किया। कमांडेंट मनराल ने टुकड़ियों को तीन विभिन्न दलों में विभाजित किया और तलाशी अभियान शुरु करने से पहले उन्हें संपूर्ण क्षेत्र की घेराबंदी करने के आदेश दिए। तलाशी शुरु होने के पश्चात, एक तलाशी दल ने नाले के निकट घनी बनस्पति में छिपे हुए तीन उग्रवादियों को देखा। उग्रवादियों ने अपने स्वचालित हथियारों से तलाशी दल पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। उनकी गोलीबारी काफी उग्र थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने गोलीबारी को कारगर रुप से निष्क्रिय कर दिया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के दौरान, एक उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया गया। तथापि, शेष दो उग्रवादियों ने ऊँचे-नीचे तल वाले नाले और घनी बनस्पति का लाभ उठाते हुए भागने का प्रयास किया। लेकिन कमांडेंट मनराल, जोकि घटनास्थल पर मौजूद थे, ने भाग रहे उग्रवादियों को देख लिया और उन्होंने अपने दल को उनका पीछा करने का आदेश दिया। कमांडेंट मनराल, ने आगे से अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के बीच अपने प्राणों की परवाह किए बिना उनका पीछा करना शुरु कर दिया। दल, उग्रवादियों को एक बनस्पति बाग, जिसके चारों तरफ दीवार थी, में घेरने में कामयाब हो गए जहां पर उग्रवादियों को अच्छी आड़ मिल गई। बगीचे के अंदर फंसे उग्रवादियों ने दल को उलझाए रखा तथा कुछ समय तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। कमांडेंट मनराल ने बनस्पति बगीचे पर धावा बोलने का निर्णय लिया ताकि उग्रवादी आसन्न अंधेरे का फायदा न उठा सकें। वे स्वयं, अपने दल के साथ रेंगते हुए, बनस्पति बगीचे के लगभग 15 गज नजदीक तक गए जहां से उन्होंने अपने दल के कांस्टेबल बिमलेश और त्रिलोचन सिंह को उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए बनस्पति बगीचे के अंदर ग्रेनेड फेंकने का निदेश दिया। रेंगते हुए आगे जाकर अधिकारी ने स्वयं पोजीशन ली और उग्रवादियों के भाग निकलने के रास्ते को कवर कर लिया। कमांडेंट मनराल के दल द्वारा फेंके गए ग्रेनेडों के फलस्वरुप, बगीचे के अंदर फंसे दो उग्रवादियों ने कमांडेंट मनराल और दल पर भारी गोलीबारी करके बनस्पति बगीचे से भागने का प्रयास किया। कमांडेंट मनराल को इसका आभास था और ऐसे प्रयास के लिए तैयार थे। उन्होंने स्वयं काफी निकट से, दोनों उग्रवादियों को उलझाए रखा और उन्हें घटनास्थल पर मार गिराया। इस अभियान में, जे.ई.एम. ग्रुप के कुल तीन खूंखार उग्रवादी मारे गए। क्षेत्र की तलाशी लेने पर, 2 ए.के. राइफलें, 1 पिस्तौल सी जेड, 3 राइफल ग्रेनेड्स, 2 रिसीवर यूनिट आई.ई.डी., 5 इलैक्ट्रिक डिटोनेटर, 1 टिफिन बॉक्स (जिसमें आई.ई.डी. फिट था) बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री आर.एस. मनराल, कमांडेंट, 120 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 अक्तूबर, 2001 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 79 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अनू टी.पी., सहायक कमांडेंट, 136 बटालियन
2. बलविन्दर कुमार, कांस्टेबल, 136 बटालियन
3. उधब राभा, कांस्टेबल, 136 बटालियन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

14.05.2002 को, कलाहारा वन में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशिष्ट सूचना के आधार पर, श्री अनू टी.पी. सहायक कमांडेंट कंपनी कमांडर, 136 बटालियन त्रियथ (राजौरी), जम्मू और कश्मीर ने विशेष अभियान की योजना बनाई। श्री अनू टी.पी. सहायक कमान्डेन्ट आपरेशन बेस मनु से 14 अन्य रैंको के साथ पता लगाओ और विनाश करो मिशन पर, 1000 बजे जंगल की तरफ बढ़े। वन क्षेत्र में छानबीन करने के दौरान, दल ने एक ढोक की तरफ एक महिला की संदिग्ध गतिविधि देखी और उससे पूछताछ करने पर उसने उस क्षेत्र में उग्रवादियों की मौजूदगी की पुष्टि की। कांस्टेबल बलविन्दर के साथ सहायक कमान्डेन्ट अनू चतुराई से ढोक की तरफ बढ़े, जहां आतंकवादियों के छिपे होने का संदेह था। जब वे ढोक के नजदीक थे, तभी दो आतंकवादी नाले की तरफ भागने की कोशिश में ग्रेनेड फेंकते हुए और गोलियां चलाते हुए दरवाजे से बाहर कूद पड़े जहाँ पर पहले से रुकावटें खड़ी की गई थीं। कांस्टेबल उधब राभा ने सूझबूझ दिखाते हुए प्रभावी रुप से कार्रवाई की और दोनों आतंकवादियों को घटनास्थल पर ही मार गिराया। उसके पश्चात, ढोक से जहां पर शेष आतंकवादी छिपे हुए थे, रुक-रुक कर गोलीबारी जारी रही। तथापि, सहायक कमान्डेन्ट अनू और कांस्टेबल बलविन्दर कुमार ढोक की तरफ गोलियां चलाते रहे, जिससे उग्रवादी भाग नहीं सके। उसके बाद, सहायक कमान्डेन्ट अनू और कांस्टेबल बलविन्दर कुमार, रेंगते हुए युक्तिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े और ढोक से लगभग 10 से 15 गज तक की दूरी तक पहुंच गए और कमांडिंग पोजीशन ले लीं। कुछ देर बाद दो आतंकेवादी बच कर भागने की चेष्टा में भारी गोलीबारी करते हुए ढोक से बाहर निकले। सहायक कमान्डेन्ट अनू ने अनुकरणीय नेतृत्व और साहस का प्रदर्शन करते हुए, कांस्टेबल बलविन्दर कुमार के साथ मिलकर दोनों उग्रवादियों को घटनास्थल पर मार गिराया। सहायक कमान्डेन्ट अनू ने अनुमान लगाया कि ढोक में और आतंकवादी छिपे हुए हो सकते हैं। इसी बीच टी.ए.सी. मुख्यालय 136 बटालियन और 142 बटालियन से राकेट लांचर के साथ कुमक पहुँच गई। चूंकि समय बीतता जा रहा था और अंधेरा होने से पहले अभियान को पूरा करना था, इसलिए ढोक को रॉकेट दागकर नष्ट कर दिया गया। मलबे की तलाशी लेने पर, 3 ए.के. 56 राइफलें, एक हथगोला, 1 वायरलैस सेट और गोलाबारुद के अतिरिक्त एक और उग्रवादी का शव बरामद किया गया। मुठभेड़ में कुल मिलाकर एच.एम.(पी.पी. आर.) और अल-बदर से संबंध रखने वाले पांच विदेशी आतंकवादी मारे गए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री अनू टी.पी. सहायक कमान्डेन्ट, बलविन्दर कुमार, कांस्टेबल और उधब राभा कांस्टेबल 136 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 मई, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 80 - प्रज/2003-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री प्रेम पाल सिंह
कांस्टैबल, 104 बटालियन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

9 दिसम्बर, 2001 को सूचना मिलने पर, गांव कारपोरा (बडगाम) में एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। गांव को, एक साथ, तीन विभिन्न दिशाओं से घेरा गया और संदिग्ध मकान के चारों तरफ भी अलग से एक आंतरिक घेरा डाला गया। मकान की योजनाबंद तरीके से तलाशी की गई। लगभग 0900 बजे, जब गुलाम नबी वानी के घर की तलाशी ली जा रही थी, तो अंदर छुपे हुए आतंकवादियों ने अचानक भारी गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके। यू.बी.जी.एल. से ग्रेनेड दागे। कांस्टेबल प्रेमपाल सिंह, जो अंदरुनी घेरे में थे, पर उग्रवादियों ने अचानक गोलियों और हथगोलों की बौछार कर दी। वे बांयी भुजा के अग्र भाग में गोली लगने से जख्मी हो गए, जिससे उनकी कोहनी की हड्डी टूट गई। एक गोली उनके सीने पर भी लगी लेकिन बुलैट प्रुफ जैकेट के कारण वे बच गए। इससे विचलित हुए बिना, निडरता से कांस्टेबल प्रेमपाल सिंह ने मोर्चा बदला और अपने जख्मों की परवाह न करते हुए अपना काम करते रहे। अत्यधिक चौकसी के साथ, उन्होंने एक उग्रवादी को मकान के प्रथम तल पर एक खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा, जो भागने की योजना बना रहा था। गोली लगने से गंभीर रुप से जख्मी होने की परवाह न करते हुए और सीने पर गोली लगने के सदमें के बावजूद कांस्टेबल प्रेमपाल सिंह रेंगते हुए ऐसे बेहतर स्थान की तरफ बढ़े, जहां से वह उग्रवादी पर अधिक प्रभावी गोलीबारी कर सकते थे। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी के बीच, वह जल्दी ही चयनित स्थान पर पहुंच गए और जख्मी होने के बावजूद इतना सटीक निशाना लगाया कि गोली उग्रवादी के सिर पर लगी और वह मर कर प्रथम तल की खिड़की से बाहर जीमन पर आ गिरा। कांस्टेबल प्रेमपाल सिंह द्वारा पहले खूंखार उग्रवादी को मार दिए जाने से आपरेशन पार्टी का मनोबल बढ़ गया और शेष दो उग्रवादी हतोत्साहित हो गए। इस निर्भीक साहस से अत्यधिक प्रेरित होकर आपरेशन पार्टी ने भीषण मुठभेड़ में शेष दो उग्रवादियों को भी मार गिराया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर ए.के. श्रेणी की 3 राइफलें, ए.के. श्रेणी की 6 मैगजीन, 2 चीन निर्मित पिस्तौल, 1 यू.बी.जी.एल. और गोला बारुद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री प्रेमपाल सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 दिसम्बर, 2001 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 81 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राकेश डबराल
सूबेदार ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

4 फरवरी, 2002 को, डी.सी.(जी.) टीम बांदीपुर के सूबेदार(जी) राकेश डबराल को, एस.एच.क्यू. बांदीपुर से सटे हुए गांव कुनान के नजदीक छुपने के एक ठिकाने पर दो कुख्यात उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली। सूबेदार (जी) राकेश डबराल, डी.सी. (जी) टीम बांदीपुर के चार व्यक्तियों के साथ सेक्टर एच.क्यू. बांदीपुर को कुमुक भेजने का अनुरोध करके, तत्काल उस स्थान की और रवाना हुए।सूबेदार (जी) राकेश डबराल ने पांच सदस्यों की अपनी टीम का नेतृत्व किया और पहाड़ी पर एक नाले में स्थित ठिकाने के बहुत नजदीक पहुंच गए। टुकड़ियों को आते देख, छिपे हुए उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी।सूबेदार (जी) राकेश डबराल और उनकी टीम ने जीमन पर मोर्चा सम्भाला और उग्रवादियों की गोलीबारी का कारगरता के साथ जबाव दिया। कुमुक, जिसमें एक हैड कांस्टेबल और 4 अन्य सदस्य थे, जिस स्थान पर सूबेदार (जी) राकेश डबराल ने मोर्चा ले रखा था वहां से 50 फुट पीछे पहुंच गई थी। उन्हें, एक किनारे से निकट से गोलीबारी करके मदद देने के लिए कहा गया। सूबेदार (जी) डबराल उग्रवादियों की ओर भारी गोलीबारी का सामना करते हुए, रेंगते हुए उनके छिप्ने के ठिकाने के नजदीक पहुंच गए और उग्रवादियों पर गोलियां चलायी, जिसके परिणामस्वरुप एक उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया। दूसरे उग्रवादी ने दो बड़े शिलाखण्डों के पीछे शरण ले ली और गोलीबारी करता रहा। सूबेदार (जी) राकेश डबराल ने उग्रवादियों पर हथगोले फेंके। उग्रवादियों और जवानों के बीच गोलीबारी होती रही और अन्ततः दूसरा उग्रवादी भी मारा गया। बाद में, मृत उग्रवादियों की पहचान, एल.ई.टी. गुट से संबंधित जावेद, कूटनाम देवा, पुत्र मो. अमीन दीवानी, निवासी कुनान, बांदीपुर और अबू बकर, निवासी मुल्तान (पाक) के रुप में की गई। इस मुठभेड़ के दौरान सीमा सुरक्षा बल की 20वीं बटालियन के कांस्टेबल जावेद खान किरचे लगने से मामूली रुप से जख्मी हो गए। क्षेत्र की तलाशी लेने पर, 02 राइफलें ए.के. श्रेणी, ए.के. श्रेणी का 102 गोलाबारुद, 2 वायरलेस सेट और 04 हथगोले बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, श्री राकेश डबराल, सूबेदार, सीमा सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 फरवरी, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 82 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री प्रकाश वैष्णव
कांस्टेबल, 161 बटालियन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

31 जनवरी, 2002 को लगभग 1650 बजे ओ.पी. पार्टी, जिसमें सीमा सुरक्षा बल की 161वीं बटालियन के कांस्टेबल अमरजीत सिंह, कांस्टेबल राम आसरे सरोज और कांस्टेबल प्रकाश वैष्णव थे, अपनी ड्यूटी करने के बाद, सीमा चौकी फान्दा, जिला दक्षिणी गारो हिल्स (मेघालय) लौट रही थी। जब तीनों जवान, क्षतिग्रस्त पुलिया को पार कर रहे थे तो सीमा स्तम्भ सं0 1162/9-एस और 1162/10-एस के बीच उग्रवादियों ने उन पर घात लगाकर भारी गोलीबारी की। कांस्टेबल प्रकाश वैष्णव तत्काल नाले में कूद पड़े और एक टीले पर मोर्चा सम्भाल लिया। उग्रवादियों द्वारा की गई गोलीबारी के परिणामस्वरुप कांस्टेबल अमरजीत सिंह गोली लगने से जख्मी हो गए और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी के दौरान, एक उग्रवादी ने कांस्टेबल राम आसरे सरोज को मारने और उनका हथियार छीनने की कोशिश में उन पर खुखरी से हमला किया। कांस्टेबल प्रकाश वैष्णव ने तत्काल गोली चलायी और उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया। दूसरा उग्रवादी, जो घात लगाकर छिपा हुआ था, ने कांस्टेबल प्रकाश वैष्णव पर हमला किया लेकिन उसे भी कारगर गोलीबारी करके मार गिराया गया। इसी बीच, कांस्टेबल राम आसरे सरोज, जो गोली लगने से जख्मी हो गये थे, ने भी जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। शेष उग्रवादी, कांस्टेबल प्रकाश वैष्णव को निष्क्रिय करने के लिए उन पर लगातार गोलियां चलाते रहे। कांस्टेबल प्रकाश वैष्णव द्वारा की गई साहसी और प्रभावी जबावी कार्रवाई के कारण, उग्रवादी मैदान छोड़कर भाग गए, जिससे वे मारे गए कांस्टेबलों के हथियार नहीं ले जा सके। घटनास्थल से चीन निर्मित 4 ग्रेनेड, 124 ए.के. राइफल गोलाबारुद और एक मैगजीन बरामद हुआ। बाद में मीडिया से यह पता चला कि दो और उग्रवादी गोली लगने से जख्मी हुए थे और उनमें से एक मुसान्तो दागो ने 02.02.2002 को दम तोड़ दिया और दूसरे की हालात गंभीर बनी हुई थी।

इस मुठभेड़ में, श्री प्रकाश वैष्णव, सीमा सुरक्षा बल की 161वीं बटालियन के कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 जनवरी, 2002 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 83 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बसुआ राज आर. (मरणोपरांत)

कांस्टेबल, 171 बटालियन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

24 जनवरी, 2002 को गांव-दरबान (बडगाम) में उग्रवादियों के छिपे होने के बारे में सूचना मिलने पर, सीमा सुरक्षा बल पार्टी ने उस गांव में घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। जब पार्टी घेरा डाल रही थी तो इस पर उग्रवादियों ने गोलियां चलायी। पार्टी ने दो उग्रवादियों को नाले की तरफ भागते हुए देखा और गोलीबारी का जबाव दिया। दोनों उग्रवादी, जो सम्भवत: गोली लगने से जख्मी हो गए थे, अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। अन्य उग्रवादियों, जो गांव के एक मकान में छिपे हुए थे, को कुछ दूर से घेर लिया गया। इसी बीच, दूसरी पार्टी भी वहां पहुंच गई और घेरे को और सुदृढ़ किया गया। आस-पास के मकानों के परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और अंदरुनी घेरा लक्षित मकान के इर्द-गिर्द डाला गया। निरीक्षक, एस.बी. अली के नेतृत्व वाली पार्टी ने, कांस्टेबल बसुआ राज आर., कांस्टेबल राकेश कुमार और कांस्टेबल मो. रवीस के साथ, घेरा डालने वाली पार्टी की आड़ में मकान के परिसर में प्रवेश किया। पार्टी ने मकान के भूतल की सफलतापूर्वक छानबीन की और प्रथम तल की तरफ बढ़े। कांस्टेबल बसुआ राज आर., जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, ने उग्रवादी को दरवाजे के पीछे मोर्चा सम्भालते हुए देख लिया। कांस्टेबल बसुआ राज आर. एक तरफ को कूदे और उग्रवादी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी उग्रवादी दूसरे दरवाजे से बाहर भागा। कांस्टेबल बसुआ राज आर. ने उसका पीछा किया और स्वयं को उस कमरे में पाया जहां पर अन्य उग्रवादी भी छिपे हुए थे। कांस्टेबल बसुआ राज आर. के साहस से चकित हो कर उग्रवादी मकान की अटारी पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे। कांस्टेबल बसुआ राज आर. ने उग्रवादियों का पीछा किया और सीढ़िया चढ़ते हुए उग्रवादियों पर गोलियां चलायी। एक उग्रवादी, जो अटारी पर पहुंच गया था, ने मोर्चा लिया और कांस्टेबल बसुआ राज ज्यों ही अटारी में दाखिल हुए उन पर गोलियों की बौछार कर दी। कांस्टेबल बसुआ राज आर. के चेहरे पर गोली लगी और वे जख्मी होकर नीचे गिर गए। निरीक्षक एस.बी. अली, जो कांस्टेबल बसुआ राज आर. के बिल्कुल पीछे थे, ने कांस्टेबल राकेश कुमार और कांस्टेबल मो. रवीस को उग्रवादियों की गोलियों का जबाव देने का आदेश दिया और उन्होंने स्वयं, बहादुरी के साथ गोलियों का सामना करते हुए, अटारी पर धावा बोल दिया तथा जख्मी कांस्टेबल को उसके हथियार सहित वापस ले आए। तब तक, उग्रवादी मकान की अटारी के भीतर आ गए और तलाशी पार्टी पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। तलाशी पार्टी को मकान के बाहरी परिसर में सुरक्षित स्थान पर आना पड़ा, जहां पर कांस्टेबल बसुआ राज आर. ने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। उग्रवादी जिन्होंने घर के विभिन्न स्थानों पर मोर्चा सम्भाल रखा था, भारी गोलीबारी शुरु कर दी और घेराबंदी पार्टी पर ग्रेनेड फेंकने शुरु कर दिए। जब मुठभेड़ जारी थी तो मकान के अंदर एक भारी विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरुप मकान में आग लग गई, क्योंकि यह मकान लकड़ी का बना हुआ था। आग फैल गई और पूरे मकान को तत्काल अपनी लपेट में ले लिया, जिससे मकान के अंदर ग्रेनेडों और अन्य गोलाबारुद से कई विस्फोट हुए, जिससे इस बात का पता चला कि उग्रवादियों के पास भारी मात्रा में गोलाबारुद और विस्फोटक थे। उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अन्तत: जिंदा जल गए। गोलाबारुद से विस्फोट और आग 24 जनवरी, 2002 को 1500 बजे तक लगभग एक घंटे तक जारी रही। उसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया और मलबे से

निम्नलिखित बरामदगी की गई : (क) उग्रवादियों के जले हुए शव-5, (ख) एस.के. श्रेणी की राइफलें-3 (ग) ए.के. श्रेणी के मैगजीन-15, (घ) एंटिना वायलेस सेट-2, (ङ) लीवर चीन निर्मित हथगोले-3, (च) जले हुए/क्षतिग्रस्त ए.के. गोलाबारुद-100 नग ।

इस मुठभेड़ में, श्री (दिवंगत) श्री बसुआ राज आर. सीमा सुरक्षा बल की 171वीं बटालियन के कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 जनवरी, 2002 से दिया जाएगा ।

वरुणा मित्रा

(वरूणा मित्रा)
निदेशक

सं0 84 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री पवनजीत सिंह संधु, भा.पु. सेवा (कर्नाटक-89)
पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री पी.एस. संधु, भा.पु. सेवा, कर्नाटक (1989) को यू.एन. पीस कीपिन्ग मिशन के अन्तर्गत बोस्निया/हरजेगोविना में तैनात किया गया था तथा वे डोरब्रिन्जा विवाचन (आरबीट्रेज) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पुलिस टास्क फोर्स के प्रबंधन में सरजीवो क्षेत्रीय कमांडर थे। उनसे स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को मध्यस्थता पंचाट स्वीकार करने हेतु सहयोग करने तथा अंशदान देने के लिए मनाने और प्रोत्साहित करने को कहा गया। 24.4.2001 को मध्यस्थता पंचाट की घोषणा होने पर, जैसा कि प्रत्याशित था, हिंसा भड़क उठी। श्री संधु ने सरजीवो कैन्टन मिनिस्ट्री ऑफ इन्टीरियर तथा रिपब्लिक ऑफ सरप्स्का पुलिस के साथ-साथ आई.टी.पी.एफ. स्टेशन, सरजीवो वेस्ट तथा सरजीवो सेन्ट्रल के मध्य संपर्क बनाया तथा उन्हें संगठित किया तथा राजनीतिक मतभेदों को दूर किया। उनका आयोजन तथा नियोजन इस आपरेशन में लगे स्थानीय पुलिस, मंत्रीगण, उनके अधीनस्थों तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस तक फैल गया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र आई.ई.बी.एल. से संचालन किया। उन्होंने स्वयं दो जातीय ग्रुपों को उस समय एक - दूसरे पर आक्रमण करने से रोका जब मकानों पर राकेटों से हमला किया जा रहा था, कारों को आग लगाई जा रही थी तथा चौरास्तों पर जलते हुए टायर रख कर सड़कों को बंद किया जा रहा था। इस अवधि के दौरान छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। जिस समय जब यह सब कुछ चल रहा था, तो उच्च प्रतिनिधि श्री पैट्रिच ने स्वयं जानकारी दी कि विश्वस्त सूत्रों ने उन्हें, भीड़ के पास लांचर सहित राकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड की संभावित मौजूदगी की जानकारी दी है जिसे आई.पी.टी.एफ., एस.एफ. ओ.आर. अथवा स्थानीय पुलिस के विरुद्ध चलाया जा सकता है। कठिन समय/परिस्थति के दौरान क्षेत्रीय कमांडर ने आई.पी.टी.एफ. मॉनीटरों को इस नए घटनाक्रम से अवगत कराया तथा उन्हें ऐसी परिस्थितियों के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा एहतियातों के बारे में सलाह दी। कमांडर पी.एस. संधु के समक्ष जब कभी इस प्रकार की कठिन परिस्थितियां आईं तो उन्होंने असाधारण निर्णय लेते हुए कूटनीति का प्रयोग किया। सुविचारित कूटनीति से वे डिप्टीमिनिस्टर ऑफ इन्टीरियर सरजीवो कैन्टन, सहायक को, पुलिस को एक ऐसा लिखित प्रस्ताव देने के लिए राजी कर लिया जिससे दोब्रिन्जा क्षेत्र में रह रहे 53 आर.एस. पुलिस अधिकारियों को कैन्टन पुलिस के रैंकों में खपाया जा सके। इस कार्य से एक पंथ दो काज हो गए अर्थात प्रथमत: आर.एस. पुलिस को नियुक्त करने करने की पेशकश से दोब्रिन्जा समुदाय में एकता लाने तथा हिंसा को रोकने तथा आगे और शान्ति कायम करने में सहायता मिलेगी तथा दूसरे इसके दीर्घकालीन प्रभाव से समुदाय की सुरक्षा बढ़ेगी क्योंकि आर.एस. पुलिस कैन्टन पुलिस में शामिल होगी तथा दोब्रिन्जा समुदाय में रहेगी तथा कार्य करेगी। इससे केवल 7 दिनों में दोब्रिन्जा समुदाय में सामान्य स्थिति बहाल हो गई।

कमांडर श्री पी.एस. संधु ने अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा तथा नेतृत्व क्षमता से भारतीय पुलिस और अपने दस्ते की उच्चतम परम्पराओं को बनाए रखा।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24.4. 2001 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरुण मित्रा)
निदेशक

सं0 85 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बाबू लाल राम
हैड कांस्टेबल (जी डी) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

9.4.2001 को पश्चिमी त्रिपुरा सिधाई पुलिस स्टेशन के तहत एक क्षेत्र में सर्वेक्षण करने के बाद ओ.एन.जी.सी./भूकम्प सर्वेक्षण पार्टी जब केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा में फटिकचेरा स्थित बेस स्टेशन की ओर लौट रही थी, तो श्रीकृष्ण ठाकुरपाड़ा में ए.टी.टी.एफ. उग्रवादियों ने उन पर घात लगाकर हमला किया। गोली चलने की आवाज सुनकर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अन्य कार्मिकों के साथ हैड कांस्टेबल बाबू लाल राम, जो भूकंप सर्वेक्षण पार्टी को एस्कोर्ट कर रहे थे, ने ओ.एन.जी.सी. कर्मचारियों तथा अन्य कार्मिकों, जो सर्वेक्षण के लिए गए हुए थे, की प्राण रक्षा हेतु जवाब में गोलियां चलाईं। हैड कांस्टेबल बाबू लाल राम ने सब यूनिट का इंचार्ज होने के नाते तत्काल कारवाई हेतु हुए अपने कार्मिकों को कारगर गोलीबारी करने में मार्ग निदेशन किया। इस कार्रवाई के दौरान, हैड कांस्टेबल बाबू लाल राम को 5 गोलियां लगीं जिनमें से दो राउन्द उनकी जांघ में, एक राउन्द कंधे में, एक राउन्द बाईं हथेली में और एक राउन्द पेट में लगा। गोलियों के घाव के बावजूद, श्री बाबू लाल राम अदम्य साहस का परिचय देते हुए तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक कि उग्रवादी घटना स्थल से भाग नहीं गए। हैड कांस्टेबल बाबू लाल राम तथा अन्य केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों ने न केवल ओ.एन.जी.सी. कार्मिकों की प्राण रक्षा की बल्कि वाहनों सहित उनकी मूल्यवान संपत्ति के साथ-साथ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों के हथियार व गोलाबारुद की भी रक्षा की।

इस मुठभेड़ में, श्री बाबू लाल राम, हैड कांस्टेबल (जी.डी.) ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9.4.2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 86 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

1. श्री पृथ्वी सिंह, कांस्टेबल, 120वीं बटालियन
2. श्री एम.एस. बिष्ट, उप निरीक्षक (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

29.7.99 को 120 बटालियन सी. आर.पी.एफ. के कार्मिकों को मलेरिया-रोधी सावधानियां समझाने के लिए जी.सी. ग्रुपकेन्द्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री बी.एल. मीना वायुयान से सिल्चर आ रहे थे। उन्हें लाने के लिए 4 जिप्सियां तथा एक लेलैंड ट्रक सहित 19 कार्मिक उप निरीक्षक एम.एस. बिष्ट की कमान में, तैनात किए गए थे। कानवॉई सिल्चर से यूनिट मुख्यालय के लिए 16.30 बजे रवाना हुई तथा यह 1830 बजे आर.ओ.पी. प्वाइंट से गुजरी। यह कानवॉई ज्योंही बटालियन मुख्यालय उचाथल से 13 कि.मी. दूर जीरोघाट चाय बागान क्षेत्र में 1900 बजे पहुंची, तो आस-पास पहाड़ियों की चोटियों पर मोर्चा लगाए उग्रवादियों ने कानवॉई वाहनों पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की। आगे वाली दो जिप्सियां मोड़ से आगे निकल गईं तथा तीसरे वाहन पर दाईं ओर से गोलीबारी हुई। तथापि इसमें सवार कार्मिक बाल-बाल बच गए। पीछे आ रहे चौथे वाहन जिप्सी ने मोड़ पार किया और सड़क के दाहिनी ओर रुकी तथा कार्मिकों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उग्रवादियों की गोलीबारी का जवाब दिया। इसी बीच कानवाई कमांडर उप निरीक्षक एम.एस. बिष्ट पर भारी गोलीबारी की गई तथा उनकी गाड़ी के ड्राईवर के दाहिने हाथ की हथेली और बाईं कलाई पर गोलियां लगीं। वे वाहन को तत्काल दाहिनी पहाड़ी की ओर ले गए, उसे रोका तथा अपने घावों की परवाह न करते हुए मोर्चा संभाल लिया। ड्राइवर साइड से कूदकर बाहर आने के प्रयास में उप निरीक्षक एम.एस. बिष्ट की बाईं जांघ/घुटना, दाईं टांग के पिछले भाग तथा बायां हाथ गोलियां लगने से वे गंभीर रुप से जख्मी हो गए। अपने शरीर पर लगी गंभीर चोटों के बावजूद, उप निरीक्षक एम.एस. बिष्ट वाहन से उतरे तथा उग्रवादियों पर हमला कर दिया वे तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक कि अचेत नहीं हो गए। अंतिम वाहन में सवार कांस्टेबल (जी.डी.) पृथ्वी सिंह ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया तथा गोलीबारी शुरु की और अपनी एस.एल.आर. से 17 राउन्द गोलियां चलाईं। जब एस.एल.आर. जाम हो गई तो अपनी जान की परवाह किए बगैर वे इंच-इंच रेंगकर एस.आई. बिष्ट के पास पहुंचे तथा उन्होंने अचेत पड़े उप निरीक्षक (जी.डी.) एम.एस. बिष्ट के पास पड़ी ए.के. 47 संभाल ली तथा उग्रवादियों को मार गिराने के दृढ़ निश्चय के साथ रुक-रुक कर 15 राउन्द गोलियां चलाईं। कांस्टेबल पृथ्वी सिंह ने उनसे केवल 30 मीटर की दूरी पर डटे उग्रवादियों के आक्रमण को विफल करने में अनुकरणीय साहस का परिचय दिया तथा उग्रवादियों को हथियार और वायरलैस सैट आदि नहीं ले जाने दिए।

इस मुठभेड़ में, श्री पृथ्वी सिंह, कांस्टेबल (जी.डी.) और (दिवंगत) श्री एम.एस. बिष्ट, उप निरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29.7.1999 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 87 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. आर.पी.एस. राणा, कमांडेंट
2. गजेन्द्र प्रसाद सिंह, हैड कांस्टेबल
3. मुरारी प्रसाद सिंह, कांस्टेबल/बी.यू.जी.

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

18.4.2001 को प्रात: 6.45 बजे कठुआ के पुलिस अधीक्षक ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 39वीं बटालियन के कमांडेंट को टेलीफोन पर जानकारी दी कि सशस्त्र उग्रवादियों का एक दल दिनगैंब (पुलिस थाना राजबाग) ग्राम क्षेत्र के तहत कौली-खब्बल में प्रवेश कर गया है। तथा एक गूजर के घर में ठहरा हुआ है। श्री आर.पी.एस. राणा कमांडेंट, कमांडेंट की सुरक्षा पार्टी सहित क्यू. आर.टी. के 32 कार्मिकों के साथ तेजी से उस गांव की ओर बढ़े। सड़क पर पहुंचने के बाद पहाड़ी पर डेढ़ कि.मी. पैदल चल कर वे प्रात: लगभग 7.30 बजे उस गूजर के मकान के पास पहुंच गए। क्षेत्र की भली-भांति घेराबंदी करने तथा अपने कार्मिकों को तैनाती के बाद कमांडेन्ट श्री आर.पी.एस. राणा, हैड कांस्टेबल गजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा कांस्टेबल मुरारी प्रसाद सिंह अपने पीछे दो तीन जवानों को लेकर, वास्तविक स्थिति तथा उग्रवादियों की पोजीशन जानने के लिए गूजर के मकान की ओर आगे बढ़े। उग्रवादियों ने आते हुए सैनिकों को देख लिया तथा अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए तथा हथगोले फेंकते हुए भागने का प्रयास किया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट आर.पी.एस. राणा जो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आगे होकर सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, रेंगते हुए आगे बढ़े तथा एक बड़े पेड़ के पीछे मोर्चा संभाला तथा भागते हुए उग्रवादियों पर गोलियां चलाई। इसी बीच, हवलदार गजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा कांस्टेबल मुरारी प्रसाद सिंह, जो कमांडेंट के साथ थे, रेंगते हुए आगे बढ़े और गोलियां चलाई जिसके परिणमास्वरुप दो उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारे गए तथा एक उग्रवादी गंभीर रुप से घायल हो गया। इसी बीच, शेष सैनिकों ने भी अपने संबंधित मोर्चों से गोलीबारी की। इंस्पेक्टर पांडे, जो अपनी पार्टी सहित एक ऊंची चोटी पर मोर्चा जमाए थे तथा जो 39वीं बटालियन के कमांडेंट द्वारा संचालित अभियान को स्पष्ट रुप से देख पा रहे थे, ने अपने वायरलैस सैट से कमांडेंट को सूचना भेजी की उन्होंने 3-4 उग्रवादियों को पहाड़ी के ऊपरी ओर पूर्वोत्तर दिशा में भागते हुए देखा है। भागते हुए उग्रवादी अपने हथियारों से तेज गोलीबारी कर रह थे तथा उन्होंने सैनिकों की ओर हथगोले भी फेंके। कमांडेंट राणा ने अपनी पार्टी को पूर्वी छोर की और भाग निकलने के सभी रास्तों को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने निरीक्षक पांडे को भागते हुए उग्रवादियों की दिशा में एच.ई. बम दागने का निदेश दिया। पार्टी द्वारा पूर्वी छोर को घेर लेने के बाद कमांडेंट राणा ने एक और एच.ई. बम दागने का आदेश दिया जिसके परिणामस्वरुप उग्रवादियों के भागने के सभी मार्ग अस्थायी रुप से बंद हो गए। दोनों ओर से भारी गोलीबारी रही। अब पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर ली गई थी तथा सुरक्षा बलों ने इसे चारों ओर से कवर कर लिया था। घेराबंदी सुनिश्चित करने के बाद कमांडेंट आर.पी.एस. राणा 3-4 जवानों तथा सिविल पुलिस कार्मिकों के साथ निपुणता से रेंगते हुए मकान की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़े। जब पार्टी उग्रवादियों के छिपने के स्थान से 25-30 गज दूर रह गई, तो 2 उग्रवादी मरे हुए पाए गए उनके हथियार और गोली-बारुद उनके पास ही पड़ा था।

हथियारों व गोलाबारुद तथा शवों की बरामदी के बाद भागते हुए अन्य तीन उग्रवादियों की खोज जारी रही। तलाशी के दौरान शिलाखंड के पीछे छिपे एक घायल उग्रवादी ने गोलियों की भारी बौछार की। कमांडेंट राणा बाल-बाल बच गए। अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए कमांडेंट राणा रेंगते हुए शिलाखंड की आड़ में छिपे हुए उग्रवादी की ओर बढ़े। घास में कुछ आवाज सुनकर उग्रवादी अचानक पीछे की ओर मुड़ा। तत्पश्चात कमांडेंट राणा और उग्रवादी ने एक-दूसरे पर एक साथ गोली चलाई। राणा की गोली से घायल उग्रवादी मारा गया। मारे गए आतंकवादी के पास से एक ए.के. - 47, 4 मैगजीन, एक वायरलैस सेट तथा 14 हैंड ग्रेनेड्स तथा बड़ी मात्रा में गोला बारुद बरामद हुआ। इस अभियान के दौरान सी.आर.पी.एफ. ने निम्नलिखित हथियार व गोला बारुद आदि भी बरामद किया :- ए.के. 47 राइफलें (4), ए.के. 47 के मैगजीन (20) ए.के. 47 गोली बारुद (428), वायरलैस सेट (1) हैंड ग्रेनेड (14) तथा उग्रवादियों के तीन शव बरामद हुए। कुमुक पहुंचने के बाद सुरक्षा बलों द्वारा छानबीन अभियान चलाया गया जिसमें 4 और उग्रवादियों के शव बरामद हुए। इस आपरेशन में कुल सात उग्रवादी मारे गए। मारे गए उग्रवादियों से 8 ए.के. राइफलें, 50 ए.के. मैगजीनें, 1020 ए.के. गोलीबारुद, मैगजीन सहित एक यू.एम.जी. तथा 308 मैचिन्ग गोली-बारुद, दो मैगजीनों तथा एक साइलैन्सर सहित एक पिस्तौल 4 वायरलैस सैट तथा 49 हथगोले बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री आर.पी.एस. राणा, कमांडेंट, गजेन्द्र प्रसाद सिंह, हैड कांस्टेबल, तथा मुरारी प्रसाद सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18.4.2001 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 88 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मूल सिंह
कांस्टेबल, 112 बटालियन के.रि.पु. बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

ई/112 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को आर.ओ.पी. ड्यूटी के लिए लैमडन में तैनात किया गया था। 18.7.2000 को, लगातार वर्षा हो रही थी और धुंध के कारण सड़क पर कम दिखाई दे रहा था। श्री देबाशीष बिश्वास, सहायक कमांडेंट ने आर.ओ.पी. ड्यूटी पर चलने से पूर्व जवानों को भली-भांति ब्रीफ किया। चार सैक्शनों से हुई आर.ओ.पी., श्री देबाशीष बिश्वास, कम्पनी ओ.सी. के अधीन कैम्प से 0810 बजे रवाना हुई। नेतृत्व करने वाली सैक्शन उप निरीक्षक नाबूर कुजूर की कमान में था। अन्य तीन सैक्शनें इस सैक्शन के पीछे आ रही थीं। ये सभी सैक्शनें सड़क पर चल रही थीं। अग्रिम सैक्शन जब हिलौक (उनकी तैनाती का स्थान) पर मोर्चा लेने के लिए सड़क के ऊपर की तरफ बढ़ने ही वाली थी, तो उन पर पी.एल.ए. उग्रवादियों द्वारा हिलौक क्षेत्र से अत्याधुनिक हथियारों से भारी गोलीबारी की गई। के.रि.पु. बल कार्मिकों ने तुरन्त जवाबी गोलीबारी प्रारम्भ की परन्तु तब तक दुर्घटना हो चुकी थी। दोनों तरफ से 10-12 मिनट तक गोलीबारी हुई। लगभग 40 की संख्या में उग्रवादियों ने आर.ओ.पी. पर भारी गोलीबारी कर उन्हें काबू कर लिया। शेष तीन सैक्शनों द्वारा की जा रही जवाबी कार्रवाई या तो उद्देश्यहीन थी अथवा अप्रभावी क्योंकि वह मोर्चों से घटना-स्थल की ओर आगे बढ़े बिना, की जा रही थी। इस घात में उप निरीक्षक नाबूर कुजूर, कांस्टेबल अरुण कुमार, कांस्टेबल रंग लाल मोना और कांस्टेबल मुकेश कुमार मारे गए। कांस्टेबल मूल सिंह, जो अग्रिम सैक्शन के आखिर में थे, पर भी उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी की परन्तु उन्होंने सराहनीय कार्य किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपनी दोनों जांघ (अर्थात, दोनों टांगों की जांघ हड्डी फैक्चर) गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद वे तब तक अपनी एस.एल.आर. राइफल से प्रभावी गोलीबारी करते रहे जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए। उनके उक्त साहसिक कार्य के कारण, उग्रवादियों के पास घने जंगल की आड़ लेते हुए भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि हथियार/गोला बारूद व रेडियो उपकरण और अपने अन्य सहयोगियों के बहुमूल्य जीवन को भी बचाया।

इस मुठभेड़ में, श्री मूल सिंह, कांस्टेबल, 112 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 जुलाई, 2000 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 89 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. के.एस. राणा, सहायक कमांडेंट, के.रि.पु.बल
2. हृदय राम, हैड कांस्टेबल, के.रि.पु. बल
3. उत्पल देव, कांस्टेबल, 6 बटालियन, के.रि.पु. बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

5 अप्रैल, 2001 को पुलिस स्टेशन बनिहाल जिला डोडा, जम्मू और कश्मीर के अन्तर्गत जीरादी-नील-खोरा-नील क्षेत्र में दुर्दान्त विदेशी उग्रवादियों के एक ग्रुप की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली। श्री के.एस. राणा, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में एक पार्टी और श्री प्रीतम सिंह, पुलिस उप अधीक्षक (ऑप्स), जम्मू और कश्मीर पुलिस के नेतृत्व में एक सशस्त्र एस.टी.एफ. पार्टी 5.4.2001 को 2130 बजे बनिहाल से, नील टॉप, जहां 12 आर.आर. की डी-कम्पनी अवस्थित थी, को रवाना हुई। उग्रवादियों को धोखे में रखने के लिए वाहन चांबलवास पर छोड़ दिए गए जहां ये पार्टियां लगभग 2200 बजे पहुंची। के.रि.पु. बल और एस.टी.एफ. की पार्टी चांबलवास से 15 किलोमीटर पैदल चलकर 6.4.2001 को लगभग 0030 बजे नील टॉप पर 12 आर.आर. की डी-कम्पनी में पहुंची। 12 आर.आर. की एक टुकड़ी को भी इस अभियान में शामिल किया गया। विभिन्न पार्टियों को काम बांटे/सौंपे गए। 12 आर.आर. की टुकड़ी और जम्मू और कश्मीर कार्यबल की पार्टी को बच कर निकल भागने के सम्भावित रास्तों/बिन्दुओं पर रोक लगाने का कार्य सौंपा गया। सहायक कमांडेंट के.एस. राणा के अधीन 4 सैक्शनों वाली के.रि.पु. बल पार्टी को क्षेत्र की छानबीन करने और छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर हमला करने का कार्य सौंपा गया। तद्नुसार ये पार्टियां नील टॉप डी-कम्पनी 12 आर.आर. स्थल से 6.4.2001 को लगभग 0330 बजे निर्धारित रास्तों से अपना मोर्चा सम्भालने हेतु रवाना हुईं। एस.टी.एफ. और आर.आर. ग्रुप अपने निर्धारित मोर्चों पर पहुंच गए और 0500 बजे तक रोक लगाने का कार्य पूरा कर लिया। गुप अंधेरी रात में लगातार 5 घंटे से ज्यादा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र से गुजरते हुए 6.4.2001 को लगभग 0600 बजे अपनी-अपनी निर्धारित पोजीशनों पर पहुंच गए। के.रि.पु. बल की हमला पार्टी, जो कि छिपने के संदिग्ध स्थानों की तरफ बढ़ रही थी, पर उग्रवादियों ने विभिन्न दिशाओं से भारी गोलीबारी प्रारम्भ कर दी। उग्रवादियों की गोलीबारी से विचलित हुए बिना, हैड कांस्टेबल हृदय राम, सैक्शन कमाण्डर और कांस्टेबल उत्पल देव चतुराई से रेंगकर उपलब्ध कवर की तरफ आगे बढ़ने लगे और उन्होंने बहते नाले के दूसरी ओर दो उग्रवादियों को ए.के.-47/56 राइफलों के साथ देखा। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और उग्रवादियों पर गोलीबारी की। सहायक कमांडेंट के.एस. राणा, यह सब देख कर, उग्रवादियों की गोलीबारी के बीच तुरन्त अग्रणी सैक्शन की तरफ भागे। उन्हें उग्रवादियों ने आगे बढ़ते हुए देख लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन पर गोलियाँ चलाईं जिससे वह बाल-बाल बच गए। आगे आने के पश्चात, उन्होंने स्थिति की कमान संभाल ली और अपनी पार्टी और अग्रिम सैक्शन के एल.एम.जी. ग्रुप को सामरिक रुप से उपयुक्त स्थान पर तैनात किया। उग्रवादियों की भारी गोलीबारी से उनकी जान को गंभीर खतरे के बावजूद सहायक कमांडेंट के.एस. राणा, हैड कांस्टेबल हृदय राम और कांस्टेबल उत्पल देव के साथ नाले को, उस पर बिछाए गए लकड़ी के तख्तों के माध्यम से, पार करने में सफल हो गए। वे रेंग कर उपलब्ध स्वाभाविक आड़

लेते हुए उग्रवादियों के मोर्चे के बिल्कुल निकट आ गए और उन पर गोलीबारी की। उन्होंने उग्रवादियों पर फुर्ती से हमला किया और इससे पहले की वे भाग पाते उन्हें मार गिराया। उग्रवादियों से एक ए.के. 47 और गोलाबारुद के साथ एक ए.के. 56 राइफल और एक डब्ल्यू/सेट बरामद हुए। उग्रवादियों की पहचान बाद में गैर कानूनी एल.ई.टी. गुट के अबू खालिद और अबू हफीज विदेशी राष्ट्रिकों के रुप में की गई। के.रि.पु. बल पर गांव खोरा के घरों से उग्रवादियों की गोलीबारी अभी भी जारी थी और के.रि.पु.बल की एक सैक्शन दोनों ओर से हो रही गोलीबारी में उलझी हुई थी। परस्पर गोलीबारी के दौरान दो उग्रवादी गांव खोरा के नजदीक चोटी की तरफ भागते हुए देखे गए और इनमें से एक को के.रि.पु. बल की सैक्शन ने मार गिराया। दूसरा उग्रवादी बचकर भागने के प्रयास में चोटी पर चढ़ा और के.रि.पु. बल पार्टी पर गोलीबारी करता रहा। के.रि.पु. बल के जवानों ने उसका पीछा किया और अंततः उसे भी मार गिराया। मारे गए उग्रवादियों की पहचान एल.ई.टी. ग्रुप के अबू गुलशन और अबू अखशा, दोनों विदेशी मूल के, रुप में हुई। इन दो मारे गए उग्रवादियों से एक ए.के. 47, एक ए.के. 56 राइफल, 4 हथगोले और गोलाबारुद बरामद हुआ। इसके बाद भी, के.रि.पु. बल पर गांव खोरा के घरों से रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। श्री के.एस. राणा, सहायक कमांडेंट और 12 आर.आर. के टुकड़ी कमाण्डर ने छिपे हुए उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए आगे और रणनीति तैयार की। सभी नागरिकों को निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद, श्री राणा और 12 आर.आर. के टुकड़ी कमाण्डर ने गांव की कड़ी घेराबंदी की। चेतावनी देने के बाद भी जब उग्रवादियों ने समर्पण नहीं किया तो, दोनों अधिकारियों ने एल.एम.जी. रॉकेट और ग्रेनेड उन मकानों/मोर्चों पर फेंकने के निदेश दिए जिन्हें उग्रवादियों ने कब्जे में कर रखा था। इसके परिणामस्वरुप उस घर में आग लग गई जहां उग्रवादियों ने मोर्चा ले रखा था। उग्रवादियों के बुरी तरह जले दो शव बरामद हुए जो पहचानने लायक नहीं थे। इस कार्रवाई में 6 उग्रवादियों को ढेर किया गया तथा हथियार/गोलाबारुद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री के.एस. राणा, सहायक कमांडेंट, हृदय राम, हैड कांस्टेबल और उत्पल देव, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 अप्रैल, 2001 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 90 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री गणेश कुमार

कांस्टेबल, 128 बटालियन, के.रि.पु. बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.1.2001 को, पकड़े गए एक उग्रवादी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, श्री लव कुमार, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में सिविल पुलिस के साथ डी/128 बटालियन की दो प्लाटूनें मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स के दुबांगल क्षेत्र में घने जंगल में पहाड़ी की चोटी पर अवस्थित एक भूमिगत कैम्प पर छापा मारने के लिए रवाना हुई। कैम्प की तरफ बढ़ते हुए के.रि.पु. बल पार्टी पर उग्रवादियों ने गोलीबारी की। के.रि.पु. बल के जवानों ने जवाबी गोलीबारी की और दोनों तरफ से लगभग 20 मिनट तक गोलीबारी होती रही। जवानों द्वारा की जा रही जवाबी गोलीबारी अत्यधिक प्रभावी साबित नहीं हो रही थी क्योंकि उग्रवादी कैम्प के इर्द-गिर्द उगे बांस के झुंड गोलियों को निशाने पर लगने से रोक रहे थे। सहायक कमांडेंट लव कुमार चार अन्य कार्मिकों के साथ सावधानीपूर्वक और चतुराई से उग्रवादियों के कैम्प के निकट जाने और प्रभावी मोर्चा सम्भालने के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते समय इस पार्टी ने एक उग्रवादी को पहाड़ी से नीचे घने पेड़-पौधों वाले क्षेत्र में कूदते हुए देखा। कांस्टेबल गणेश कुमार, जो कि अग्रिम पार्टी के सदस्य थे, ने बिना समय गंवाए भाग रहे उग्रवादी का पीछा किया। इसी समय, उसने यह भी देखा कि उग्रवादी अपनी राइफल की मैगजीन बदलने का प्रयास कर रहा है। कांस्टेबल गणेश कुमार खतरे को नजरअंदाज करते हुए बिजली की फूर्ती से उग्रवादी के ऊपर झपट पड़े और उसे दबोचने का प्रयास करने लगे। थोड़ी देर तक दोनों में झड़प होती रही। उग्रवादी हालांकि अपने को छुड़ाने में सफल रहा और कांस्टेबल गणेश कुमार पर गोली चलाने के लिए उसने अपना हथियार उठा लिया। इस नाजूक क्षण में, कांस्टेबल गणेश कुमार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उग्रवादी को मार गिराया, जिसकी पहचान ए.एन.वी.सी. ग्रुप के मोते मारक (मीतू) के रूप में हुई। कार्रवाई स्थल से निम्नलिखित मदें बरामद हुई :-

1.	ए.के. 56 राइफल बैनेट के साथ	-	1 नग
2.	ए.के. 56 मैगजीन	-	2 नग
3.	वायरलैस सेट (जापान निर्मित)	-	2 नग
4.	हथगोले (चीन निर्मित)	-	2 नग
5.	ए.के. गोलाबारूद	-	147 नग
6.	डेटोनेटर	-	2 नग

इस मुठभेड़ में, श्री गणेश कुमार, कांस्टेबल, 128 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 जनवरी, 2001 से दिया जाएगा ।

(वरुण मिश्रा)

निदेशक

सं. 91 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एस.के. दास, कांस्टेबल (मरणोपरांत)
2. अशोक कुमार, कांस्टेबल (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.12.1999 को दो उग्रवादी सिविल पुलिस की वर्दी में कार्गो परिसर गेट पर आए और अनुरोध किया कि वे शेर गढ़ी पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं और कुछ एस.ओ.जी. अधिकारियों से मिलना चाहते हैं। कांस्टेबल तस्लीम अली, 28 बटालियन जो कि गेट खोलने की ड्यूटी पर थे, ने तुरन्त घुसपैठियों को रोका और उनसे अपने पहचान पत्र दिखाने को कहा। घुसपैठियों में से एक ने पहचान पत्र निकालने और अपना हथियार अपने साथी को सौंपने का बहाना करते हुए, अचानक कांस्टेबल तस्लीम अली पर गोली चला दी। कांस्टेबल को घायल करते ही वह प्रवेश के छोटे गेट को धकेल कर कार्गो परिसर में घुस गए। परिसर में घुसते ही उग्रवादियों ने खुले क्षेत्र में निहत्थे खड़े 10 से 12 एस.ओ.जी. कार्मिकों पर अन्धाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। कांस्टेबल पनेर सेलवम, जो मोर्चा सं. 1 पर संतरी ड्यूटी पर थे, ने यह घटना को देखकर भागते हुए उग्रवादियों पर तुरन्त गोलीबारी की। तथापि, वह अपने इस कार्य में सफल नहीं हो सके क्योंकि एस.ओ.जी. कार्मिक खुले क्षेत्र में निहत्थे इधर-उधर भाग रहे थे और उग्रवादियों ने इमारत के भूतल पर खड़े बुलेट प्रूफ वाहनों के बेड़े की आड़ ले ली थी। उग्रवादी मुख्य इमारत की ओर भागे और पुलिस उप अधीक्षक और उनके पी.एस.ओ. को मारने के बाद प्रथम तल में घुस गए। प्रथम तल पर पहुंचते ही उग्रवादियों ने हथगोले फेंके और एस.ओ.जी. और के.रि.पु. बल कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में हताहत करने के लिए गोलियां बरसाना जारी रखा। प्रथम तल पर ए/28 कोत के संतरी कांस्टेबल समीर कुमार दास ने उग्रवादियों को पहले तो सिविल पुलिस समझा परन्तु तुरंत स्थिति भांप कर उन पर जवाबी गोलीबारी की। कांस्टेबल एस.के. दास की इस अचानक और अनपेक्षित गोलीबारी ने बढ़ते हुए उग्रवादियों को रोक दिया। कांस्टेबल एस.के. दास ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, क्योंकि गलियार में कोई मोर्चा नहीं था, उग्रवादियों पर गोलीबारी जारी रखी। तथापि, उनके मस्तिष्क के नाजुक भाग में गोली लगने से वह घायल हो गए और स्थल पर ही गिर गए। यह देखकर, कांस्टेबल अशोक कुमार जो ए कम्पनी लाइन में थे तुरन्त लाइन के प्रवेश द्वार की ओर भागे और प्रवेश द्वार की आड़ लेकर उग्रवादियों पर घातक गोलीबारी प्रारम्भ कर दी। के.रि.पु. बल की तरफ से प्रतिरोध के कारण उग्रवादी मुड़कर गलियारे के दूसरे छोर की तरफ भागे जहां एस.ओ.जी. कोत था और जहां पकड़े हुए हथियार रखे हुए थे। दूसरे छोर पर मोर्चा लेने के पश्चात वह अशोक कुमार पर भारी गोलीबारी करने लगे जो बहादुरी से गोलीबारी करके उनका मुकाबला कर रहे थे। तथापि, कांस्टेबल अशोक कुमार भी गोली लगने से घायल हो गए और बाद में जख्मों के कारण उन्होंने प्राण त्याग दिए। इसी बीच, श्री एस.पी. पोखरियाल, द्वितीय कमान अधिकारी और उप कमांडेंट (ऑप्स) मुख्यालय से क्यू. आर.टी. के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए। घटनास्थल पर पहुंचने पर वे के.रि.पु. बल के कार्मिकों के साथ जम्मू और कश्मीर परियोजना भवन की दीवार को फांद कर इस परिसर में घुस गए। स्थिति का जायजा लेने के पश्चात, उन्होंने आप्रेशन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अभियान और तलाशी समाप्त होने पर उग्रवादियों के बुरी तरह जले हुए दो शव बरामद हुए। बाद में एस.ओ.जी. ने यह पुष्टि की कि उग्रवादी एल-इ-टी. के फिदाईन थे। इस हमले में एस.ओ.जी., जम्मू और कश्मीर के 9 कर्मी और के.रि.पु. बल के 2 कार्मिक घटना स्थल पर मारे गए।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत सर्व/श्री एस.के. दास., कांस्टेबल और अशोक कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 दिसम्बर, 1999 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरुण मित्रा)

निदेशक

सं0 92 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री निर्मल प्रकाश
कांस्टेबल, 136वीं बटालियन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

एक सेक्शन, जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 136वीं बटालियन के हैड कांस्टेबल नारायण सिंह (सेक्शन कमांडर), कांस्टेबल निर्मल प्रकाश, कांस्टेबल बिशन सिंह, कांस्टेबल मुश्ताक अहमद खान और कांस्टेबल मुमताज अली खान थे, को 30.3.2002 को पुलिस स्टेशन सिटी चौक का क्षेत्र, जम्मू शहर में रघुनाथ बाजार की रेजीडेंसी रोड में कनक मंडी पर गश्ती ड्यूटी पर तैनात किया गया था। लगभग 1020 बजे, ई/136 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल गश्त करते हुए रघुनाथ मंदिर पहुँचे और हरी थियेटर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक गोलीबारी ओर ग्रेनेड धमाकों की आवाज सुनने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 136वीं बटालियन, तत्काल घटनास्थल की तरफ गए। फिदाईन, रघुनाथ मंदिर के निकट हरी थियेटर के सामने दो सिविलियनों को पहले ही गोली मार चुके थे। उनमें से एक फिदाईन ने एक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों को तेजी से अपनी ओर बढ़ते देखा। उसने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों पर गोलीबारी शुरु कर दी। जब एक फिदाईन ने एक दूसरा हथगोला फेंका, तो ई/136 बटालियन के कांस्टेबल निर्मल प्रकाश ने उसे पहचान लिया। तब तक भीड़ ने या तो विभिन्न दुकानों में शरण ले ली थी या घटनास्थल से दूर भाग रहे थे। दूसरा फिदाईन भाग रही भीड़ में मिल गया और रघुनाथ मंदिर में घुस गया। सेक्शन कमांडर हैड कांस्टेबल नारायण सिंह ने अत्यन्त भीड़-भाड़ वाले बाजार में भीड़ को तितर-बितर करने के उद्देश्य से कांस्टेबल निर्मल प्रकाश को हवा में दो राउंड गोलियां चलाने का आदेश दिया। इससे फिदाईन को अलग करने का अवसर मिल गया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को अपनी और आते देख, उसने सी. आर.पी.एफ. कर्मिकों पर गोलियां चलानी शुरु कर दी। हैड कांस्टेबल नारायण सिंह, सेक्शन कमांडर के निदेश पर सी. आर.पी.एफ. के पूरे सेक्शन ने मोर्चा लिया। वाहनों की पार्किंग के कारण हैड कांस्टेबल नारायण सिंह और कांस्टेबल निर्मल प्रकाश फिदाईन, पर लक्षित गोलियां चलाने में समर्थ नहीं हुए। उस समय कांस्टेबल निर्मल प्रकाश फिदाईन का सामना करने के लिए अचानक खुले में आ गए और अपनी एस.एल.आर. से लक्षित गोलियों की बौछार कर दी जो फिदाईन के सिर पर लगी और उसे तत्काल मार गिराया। यदि कांस्टेबल निर्मल प्रकाश अपने जीवन को दाव पर न लगाते और फिदाईन को न मार गिराते तो जम्मू शहर के अत्यंत भीड़-भाड़ वाले रघुनाथ बाजार में काफी संख्या में सिविलियन हताहत हुए होते। सी. आर.पी.एफ. की उसी टुकड़ी ने दूसरे फिदाईन का पीछा किया और उसे रघुनाथ मंदिर - जम्मू के अंदर घेर लिया गया, जिसकी वजह से दूसरा फिदाईन अपनी कमर के साथ बंधी विस्फोटक सामग्री/ग्रेनेडों से स्वयं को उड़ाने पर मजबूर हो गया। दूसरे फिदाईन ने इससे पहले रघुनाथ मंदिर स्थल में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एस.एस.बी. के दो कार्मिकों, जम्मू और कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल धीरज कोहली, श्री लक्ष्मण दास, मंदिर के एक कर्मचारी और एक महिला नामतः रत्ना शर्मा धर्मपत्नी मंडल लाल निवासी ग्वालियर (मध्य प्रदेश) को मार दिया था। कांस्टेबल निर्मल प्रकाश पुनः सी. आर.पी.एफ. की शेष टुकड़ी के लिए सहायक बना। जिसने दूसरे फिदाईन का पीछा किया था और अन्ततः उसने भी आत्महत्या कर ली। मारे गए उग्रवादी से (i) ए.के.-47 राइफल -2 (ii) भरी हुई मैगजीन-3 (iii) खाली मैगजीन -1 (iv) हैंड ग्रेनेड-6 (v) चीन निर्मित पिस्तौल-1 बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री निर्मल प्रकाश, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 मार्च, 2002 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
(वरूण मित्रा)
निदेशक

7—31 GI/2003

सं0 93 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री लखविन्दर सिंह,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.10.2000 को मध्यरात्रि के आस-पास (2320 बजे) संदिग्ध एल.ई.टी. फिदाईन उग्रवादियों (आत्मघाती दस्ता) ने सूरेनकोट स्थित, "सी" कंपनी, 50वीं बटालियन सी. आर.पी.एफ. के कैंप पर हमला कर दिया। फिदाईन उग्रवादियों ने कैंप के पीछे की तरफ से कंपनी पोस्ट पर हमला किया। कांस्टेबल बी.पी. राय, जोकि कैंप के पिछले तरफ स्थित मोर्चा सं. 3 पर संतरी ड्यूटी पर था, ने मोर्चे से बहुत निकट से हिलती-डुलती परछाई देखी। उग्रवादी ने निचली चारदिवारी को लांघा और वह कैंप क्षेत्र में घुसने वाला था। कांस्टेबल बी.पी. राय ने आसन्न खतरे को महसूस करते हुए तत्काल अन्य सभी संतरियों और कैंप में मौजूद कार्मिकों को सतर्क करने के लिए शोर मचाया तथा साथ-साथ वे अपने प्राणों की परवाह न करते हुए संतरी पोस्ट से बाहर आए तथा फिदाईन उग्रवादियों पर गोलियां चलाईं। तथापि, ऐसा करते समय उसकी राइफल पर उग्रवादियों की गोली लगी जिससे उसकी स्लाइड - कोकिंग हैंडल को नुकसान हो गया और वह बेकार हो गई। उग्रवादी स्वचालित हथियार से गोलियों की बौछार कर रहा था जिससे कांस्टेबल बी.पी. रॉय गंभीर रुप से जख्मी हो गए तथा बाद में उन्होंने अपने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। उग्रवादी अवसर भांपकर, और ज्यादा लोगों को हताहत करने के लिए रेजीडेंशियल लाइन की तरफ आगे बढ़ा। तथापि जब उग्रवादी मोर्चा सं. 7 पर पहुँचा जहाँ कांस्टेबल लखविन्दर सिंह ड्यूटी पर थे और वे कांस्टेबल बी.पी. राय द्वारा शोर मचाए जाने और बाद में हुई गोलीबारी के कारण पहले ही सतर्क हो गए थे, कांस्टेबल लखविन्दर सिंह ने फिदाईन उग्रवादियों पर गोलियां चलानी शुरु कर दीं और उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। कांस्टेबल लखविन्दर सिंह द्वारा की गई गोलीबारी इतनी अचूक थी कि यह फिदाईन उग्रवादी को लगी और उसे गंभीर रुप से जख्मी कर दिया जिससे उग्रवादी मोर्चा सं. 3 की दिशा में चारदिवारी की तरफ शीघ्रता से पीछे हटने लगे। बाद में जब गोलीबारी रुक गई तो कंपनी कार्मिकों द्वारा समूचे कैंप और सटे हुए क्षेत्र की व्यापक तलाशी ली गई। कांस्टेबल बी.पी. राय, का शव मोर्चा सं. 3 के बाहर पाया गया और फिदाईन का शव चारदिवारी के बाहर पाया गया। बाद में फिदाईन के शव की पहचान सऊदी अरब में रहने वाले एल.ई.टी. आत्मघाती दस्ते के सदस्य (फिदाईन अतिवादी) के रुप में की गई। फिदाईन उग्रवादी से निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किए गए :

1.	ए.के. - 47 राइफल	-	1
2.	ए.के. - 47 मैगजीन	-	7
3.	ए.के.-47 गोलाबारुद	-	100 राऊंड
4.	हैंड ग्रेनेड	-	4

इस मुठभेड़ म, श्री लखविन्दर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 अक्तूबर, 2000 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 94 - प्रेज/2003-राष्ट्रपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. कुंदन प्रसाद, सहायक कमांडेंट
2. सुरजीत सिंह, हैड कांस्टेबल
3. नेत्र सिंह, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

21.02.2002 को श्री कुंदन प्रसाद, सहायक कमांडेंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस मनिगाम पोस्ट को जिला श्रीनगर में तसुंतवालीवाड़ गांव में हिजबुल-मुजाहिद्दीन के आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई। श्री कुंदन प्रसाद, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में एक घेरा डालने वाला और तलाशी दल, 22.2.2002 को 0100 बजे तसुंतवालीवाड़ गांव के लिए चल पड़े। तलाशी लेने के दौरान, श्री कुंदन प्रसाद, सहायक कमांडेंट को पता चला कि आतंकवादी गांव की उत्तरी दिशा से कोहरे वाले मौसम और ऊंची-नीची भूमि का लाभ उठाते हुए घेरे से निकल भागने में सफल हो गए। स्थिति की समीक्षा की गई और मुख्य तलाशी दल को अपने कंपनी मुख्यालय वापिस जाने के लिए कहा जबकि श्री कुंदन प्रसाद, सहायक कमांडेंट की कमान में 11 कार्मिकों का एक छोटा दल गांव के उत्तरी दिशा में, बाहरी क्षेत्र में एक निर्जन मकान में रुका, ताकि यह दिखाया जा सके कि संपूर्ण घेराबंदी और तलाशी बंद कर दी गई है तथा दल मायूसी के साथ वापस लौट गया है। 13 घंटे तक इंतजार करने के पश्चात लगभग 1700 बजे पुलिस पार्टी ने उत्तरी दिशा से गांव की ओर आ रहे, एफ. आई. आर.ए.एन. पहने दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। तत्काल, 11 सदस्यीय दल को चार उप दलों में विभाजित किया गया और उन्हें अलग-अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर मोर्चा सम्भालने का निदेश दिया गया ताकि वे भाग न सकें। उग्रवादी, बलों की गतिविधियों को भांपने में समर्थ हो गए और उन्होंने नजदीकी ग्रुप पर गोलीबारी शुरु कर दी। एक गोली कांस्टेबल मिलाप चंद के हेलमेट पर लगी जोकि बाल-बाल बच गए। यह महसूस करते हुए कि काफी लंबे समय तक गोलीबारी करने से, आतंकवादियों को अंधेरे में बच कर भाग निकलने में मदद मिलेगी, तब श्री कुंदन प्रसाद, सहायक कमांडेंट ने हैड कांस्टेबल सुरजीत सिंह के साथ, जिस स्थान पर आतंकवादी थे, उससे ऊपर के स्थान पर बेहतर मोर्चा लेने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्हें, आतंकवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी की दिशा, में लगभग 30 गज तक खुले मैदान से दौड़कर जाना था। श्री कुंदन प्रसाद, सहायक कमांडेंट अंधेरा होने से पहले अभियान पूरा करने के प्रति दृढ़संकल्प थे, अत: उन्होंने हैड कांस्टेबल सुरजीत सिंह के साथ जोखिम उठाने का निर्णय लिया। आतंकवादी को दबोचने के लिए श्री कुंदन प्रसाद, सहायक कमांडेंट ने पश्चिम दिशा में उप दल को उग्रवादियों को गोलीबारी करके उलझाए रखने का आदेश दिया। इस कवरिंग गोलीबारी का लाभ उठाते हुए, वे हैड कांस्टेबल सुरजीत सिंह के साथ दु:साहसी कार्रवाई में, दोनों तरफ से हो रही गोलियों की बौछार के बीच लगभग 30 गज तक खुले क्षेत्र में दौड़े और आतंकवादियों के पीछे प्रभावकारी पोजीशन लेने में सफल हो गए। उन दोनों पर उग्रवादियों द्वारा काफी निकट से गोलीबारी की गई लेकिन कार्मिकों की फुरतीली गतिविधि और कम दिखाई देने वाले दृश्य के कारण वे सही निशाना नहीं लगा पाए तथा वे दोनों दैवीय कृपा से बाल-बाल बच गए। इससे पहले कि उग्रवादी भाग सकें श्री कुंदन प्रसाद, सहायक कमांडेंट और हैड

कांस्टेबल सुरजीत सिंह ने गोलीबारी शुरु कर दी और एक उग्रवादी को मारने में सफल हो गए जिसकी पहचान बाद में मंजूर अहमद भट्ट सुपुत्र गुलाम अहमद भट्ट निवासी वटलर, गंदरबल के रुप में की गई। दूसरा उग्रवादी कोहरे वाले मौसम का लाभ उठाते हुए गांव से सटी वनभूमि की तरफ बच कर निकलने में सफल हो गया। श्री कुंदन प्रसाद सहायक कमांडेंट ने, आतंकवादी का पीछा करने के लिए अपनी पार्टी का तत्काल पुनर्गठन किया तथा साथ ही जंगल के पूर्वी किनारे से उग्रवादी के बच कर निकलने वाले रास्ते पर रुकावट डालने के लिए कार्मिकों को भेजने के लिए कंपनी मुख्यालय से मदद मांगी। निरीक्षक भगवती प्रसाद कुमुक के साथ पहुंचे और पर्वतीय वन क्षेत्र की पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ तलाशी शुरु कर दी। झाड़ियों के पीछे छिपे आतंकवादी कांस्टेबल नेत्र सिंह की चौकस नजरों से नहीं बच सका। कम दिखाई देने वाले मौसम की वजह से आतंकवादी और तलाशी दल के बीच अंतर लगभग 5 गज तक रह गया था। छिपे हुए आतंकवादी को देखकर, जो उन पर ग्रेनेड फेंकने के लिए इसे प्राइमिंग कर रहा था, तभी कांस्टेबल नेत्र सिंह ने इससे पहले कि आतंकवादी ग्रेनेड फेंके, तुरन्त कार्रवाई करके गोली चला दी और आतंकवादी को मार गिराया जिसकी पहचान बाद में फय्याज अहमद रेशी सुपुत्र गुलाम अहमद रेशी निवासी कादीपोड़ा, जिला अनंतनाग (जम्मू और कश्मीर) के रुप में की गई। अभियान के पश्चात (i) 2 ए.के. 56 (ii) ए.के. - 56 के 264 राऊंड (iii) यू.बी.जी.एल. ग्रेनेड-9 (iv) हथगोले 4, (v) राकेट-3 (vi) पिस्तौल (चीनी) 01, और (vii) 2 वी.एच.एफ. सेट-2 (विदेश निर्मित) बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री कुंदन प्रसाद, सहायक कमांडेंट सुरजीत सिंह, हैड कांस्टेबल और नेत्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 फरवरी, 2002 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2003

सं0 6/11/सी-1/2002-दिनांक1 अप्रैल,2003(सं03734)और 7 अप्रैल,2003(सं03760) के लोक सभा समाचार - भाग- II में प्रकाशित निम्नलिखित पैराग्राफ सामान्य जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं:-

संख्या 3734

स्थायी समितियों के लिए सदस्यों का नामनिर्देशन

राज्य सभा के सभापति द्वारा स्थायी समितियों के लिए राज्य सभा के सदस्यों के नामनिर्देशन के संबंध में 26.3.2003 से निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं:-

क्रमांक	सदस्य का नाम	से	के लिए
1.	श्री मुख्तार अब्बास नकवी	वित्त	सूचना प्रौद्योगिकी
2.	श्री स्वराज कौशल	सूचना प्रौद्योगिकी	वित्त

संख्या 3760

स्थायी समितियों के लिए सदस्यों का नामनिर्देशन

अध्यक्ष ने लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई स्थायी समितियों के लिए नामनिर्दिष्ट किया है:-

क्रमांक	समिति का नाम	नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों के नाम
1.	वाणिज्य	(1) कुमारी उमा भारती (2) डा0 रमण सिंह (3) श्री भर्तृहरि महताब (4) श्री नवल किशोर राय

2.	गृह कार्य		श्री तरलोचन सिंह तुड़
3.	मानव संसाधन विकास	(1)	श्री जी0जे0 जावीया
		(2)	श्री अली मोहम्मद नायक
4.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन		डा0 बिक्रम सरकार
5.	उद्योग		श्री विजय संकेश्वर
6.	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति		श्री चन्द्रेश पटेल
7.	कृषि		श्री गिरधारी लाल भार्गव
8.	सूचना प्रौद्योगिकी	(1)	श्री निखिल कुमार चौधरी
		(2)	श्री अरूण कुमार
		(3)	डा0 बिक्रम सरकार
9.	रक्षा	(1)	श्रीमती वसुंधरा राजे
		(2)	श्री तेजवीर सिंह
		(3)	श्री चन्द्रकांत खैरे
10.	विदेश	(1)	श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी
		(2)	श्री कीर्ति झा आजाद
		(3)	श्री रामशकल
		(4)	श्री विनय कटियार
		(5)	श्री के0येरननायडू
		(6)	श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला
11.	वित्त		श्री पी0डी0 एलनगोवन
12.	खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण	(1)	श्री किशन लाल दिलेर
		(2)	श्री जयप्रकाश
		(3)	श्री कालवा श्रीनिवासुलू
		(4)	श्री आदि शंकर
13.	श्रम और कल्याण	(1)	श्री राजनारायण पासी
		(2)	श्री पुन्नू लाल मोहले
		(3)	श्री दलपत सिंह परस्ते
		(4)	श्री अशोक अर्गल
		(5)	डा0 डी0वी0जी0 शंकर राव
		(6)	श्री भर्तृहरि महताब

2. अध्यक्ष ने डा0 लक्ष्मीनारायण पाण्डेय का नामनिर्देशन भी रक्षा संबंधी समिति से बदल कर वाणिज्य संबंधी समिति के लिए कर दिया है ।

ब्रह्म दत्त
(ब्रह्म दत्त)
उप सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 05 फरवरी 2003

सं. एफ. 9-25/2000-यू-3--इस मंत्रालय की दिनांक 13 जनवरी, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि अमृता विश्व विद्यापीठम्, कोयम्बतूर जिसमें पांच संस्थाएं शामिल हैं, को नवीन श्रेणी के अन्तर्गत सम विश्वविद्यालय अधिसूचित किया गया है। इस अधिसूचना को दिनांक 13 जनवरी, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के साथ संलग्न किया जाए।

सुरेन्द्र पाल गौड़, संयुक्त सचिव

दिनांक 13 मार्च 2003

सं. एफ. 9-9/98-यू-3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि एस. आर. एम. इंजीनियरी कालेज कतानकुलत्तूर, चेन्नै को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष के बाद समीक्षा की शर्त पर सम विश्वविद्यालय एस.आर.एम. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है।

सुरेन्द्र पाल गौड़, संयुक्त सचिव

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय

(पर्यटन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 अप्रैल 2003

शुद्धिपत्र

सं. 13(28)/96-एमआरडी-पार्ट-3--दिनांक 8 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 13(28)/96-एमआरडी-पार्ट-3 के आंशिक संशोधन में राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद् का गठन एवं इसके घटकों का उल्लेख करते हुए दिल्ली में निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों को परिषद् के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है :--

1. विश्व पर्यटन संगठन

2. विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद्

अमिताभ कांत, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, 9 April, 2003

No. 50 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

(1) Y. Gangadhar, Addl., Supdt of Police.SIB, Hyderabad.
(2) N.Madhusudan Reddy, Addl. Supdt.of Police, Karimnagar.
(3) C. Nageswar Rao, Inspector, SIB Int., Hyderabad.
(4) N. Venkata Swamy, Sub Inspector, Sarangpur PS, Karimnagar.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

An intelligence report was received on 1.7.2002 about the presence of two sections (approx. 15 in number) Peoples Guerilla Army Platoon of PW in the hillock ranges of Nerella village of Dharmapuri PS of Karimnagar Distt. Shri Y. Gangadhar, Addl.SP with Shri C. Nageswar Rao, Inspector and N. Madhusudhan Reddy, Addl.SP(Ops), Karimnagar chalked out a detailed plan with five parties including two Grey Hounds special assault units for neutralizing the PW extremists. Shri Y. Gangadhar himself led one assault unit Surya accompanied by S/Shri N. Madhusudan Reddy, Addl.SP, C. Nageswar, Inspector and N. Venkata Swamy, Sub Inspector so as to have overall command over the operation and to coordinate all participant Units in the above operation. In the Night of 1.7.2002, five units were despatched to the Nerella area in pursuance of the above information and combing was started. On 2.7.2002, Shri Gangadhar noticed movement of some persons in the skyline of the Sankenaboru hillocks in the Nerella hillock range. Shri Gangadhar divided the party into two flanks and stalked towards the Sankenaboru hillocks in order to check the presence of extremists. Shri Y. Gangadhar and Shri Nageswar Rao with eleven Grey Hounds Commandos as one flank and Shri N. Madhusudan Reddy and Shri N. Venkat Swamy with ten Grey Hounds Commandos in another flank started climbing the hillock. The extremists (approx. 15 in number) who were taking shelter there noticed the police parties and started indiscriminate firing with AK 47, SLR and .303 rifles. The flank led by Shri Gangadhar faced the first firing from the extremists, though they did not have any proper cover. They took ground cover and started crawling towards the hilltop while retaliating the heavy firing of extremists. Meanwhile, the other flank led by Shri Reddy, Addl.SP opened another firing line and extremists sandwiched between the firing of these two flanks and this firing lasted for more than 40 minutes in which the platoon of Peoples Guerilla Army of PW gave stiff resistance to the assault police party. After the firing

ceased, 4 dead bodies of Left Wing extremists were found from the encounter area. These four dead bodies were identified as Nylakonda Rajitha @Padmakka, NTSZC member and Divisional Committee Secretary, Karimnagar West Division of CPI-ML PW, carrying a reward of Rs.5 lakhs, Madipalli Kanakaiah @ Sagar Commander of Special Action Team and Special Guerilla Squad carrying a reward of Rs.2 lakhs, Uppala Srinu @ Vikram, Member of Spl. Guerilla Squad and Manasa @ Kancherla Meenamma, Guard to Padmakka. One AK 47 Rifles, one SLR & two .303 Rifles were recovered after the action.

In this encounter S/Shri Y. Gangadhar, Addl.S.P., ,N. Madhusudan Reddy, Addl.S.P., C Nageswar Rao, Inspector & N.Venkata Swamy, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd July, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

8—31 GI/2003

No. 51 –Pres/2003- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri U. Sanjeev,
Sub-Inspector, Matwada PS

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27.4.2000 at 8.30 hrs the OSD, Warangal received an input from one CI that about 25 PWG extremists including its District Committee Secretary (DCS), Rama Krishna and his wife are holding a meeting in the Chandragiri hillock range near Koukonda village of Warangal District. The OSD called Greyhounds assault unit stationed at Warangal City and five district guard units, planned an operation and deputed the police. At 100 hrs the OSD received the message that the firing is going on between the PWG extremists and the police and one constable was injured in the crossfire. When SI U. Sanjeev and his party reached the spot with the OSD, all police personnel gathered at one place and started jubilating at the site of encounter. Suddenly SI U. Sanjeev and his party came under heavy gunfire from the hillocks and the police personnel ran helter skelter. SI U Sanjeev brought his men back to safety. Due to continuous chasing and firing coupled with scratching heat, some of the assault units expressed their inability to conduct further operation. At this juncture SI U. Sanjeev volunteered to become leader of the group to go ahead. He was assisted by three young RSI's. While OSD and other men gave the cover fire, SI U. Sanjeev and his team scaled the hillock taking the grave risk of getting hit by the bullets of the enemy, as they were not having the bulletproof jackets. During this pursuit they threw some grenades to drive the enemy out of caves, which did not help as the entire foliage got torched creating a lot of smoke. SI U. Sanjeev and his colleagues following the instructions of the OSD, charged into the caves where they had face to face encounter with the militants in which five extremist including Warangal City Committee Secretary, Shyam, Warangal District Committee Member, Rajaram and LGS Commander of Station Ghanpur, Swapna got killed. These extremists were responsible for the killing of several policemen and civilians. One 9 MM carbine, one SLR, two rifles .303, one .410 musket and six SBBL / DBBL weapons were recovered from the possession of extremists. In this encounter, a total of 12 extremists were killed.

In this encounter, Shri U. Sanjeev, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty and made supreme sacrifice in the maintenance of the highest tradition of the service.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th April, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 52 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri T. Yoganand
Addl. Dy. Commissioner of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

One, Mohammed Haneef @ Yameen Takla, of Mumbai was the leader of one of the gangs of Chota Shakeel. He was wanted by Mumbai Police as he was involved in six murders and 10 property offences in and around Mumbai. Since Mumbai Police gave him a hot chase, Haneef shifted his center of activity to Hyderabad and carried out gang activities liaisoning with ISI and Chota Shakeel clandestinely. Since Haneef being at large was detrimental to the society and that the ISI activities were rampant, Addl DCP T. Yoganand resolutely took the tasks of nabbing Haneef as a challenge. He secured an information that he was engaged in transporting fire arms illegally on 4.11.2001 about 0230 hrs in the bushes near Golconda. Haneef was sitting as a pillion rider while his associate was riding the scooter. Addl. DCP T. Yoganand with the West Zone Task Force sighted the approaching desperados in the dead part of night, but he had a very little time to organize. Any systematic plan to apprehend Haneef would have enabled them to escape. Hence the Addl. DCP T. Yoganand unmindful of his personal safety, fully aware of the hazards and risk to his life pounced on them, who were on the speeding vehicle. While the rider of the scooter sped away in the cover of darkness, Haneef drew his pistol and opened fire. Addl.DCP T. Yoganand and his team members immediately returned fire in self-defence resulting in the death of Haneef. After day break, one Chinese Pistol, four country made revolvers, 15 live cartridges of 8 MM pistol, one empty cartridge, one empty magazine, one explosive device and two live round of .30 pistol were recovered

In this encounter, Shri T. Yoganand, Addl. Dy. Commissioner of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th November, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 53 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Aandhra Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri J. Amarender Reddy
Inspector, Karimnagar,

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27.8.1999 at about 0400 hours Shri J. Amarender Reddy, Inspector received information that the Ashokanna dalam of CPI ML (CP) Prathigatana, Mahadevpur area of Karimnagar district had assembled in the Reserve Forest of Konampet village of Advi Mutharam Mandal of Karimnagar district. Shri Reddy along with a party rushed to the spot. While combing the dense reserve forest, he noticed a group of persons assembled in a tent in the Reserve forest of Konampet. On noticing the police, the extremists opened fire at the police party. Immediately Shri Reddy returned the fire and ordered his party to take positions and organized an assault by risking life to the spray of bullets from the extremists. The exchange of fire lasted for 45 minute in which five extremists were killed. Shri Reddy exclusively hit all the five extremists. One .30 Calibre Spring field Rifle (make USA), one .30 Carbine (make USA), one 3 MM Rifle (make USA), one .12 bore DBBL, 8 kit bags, tent, utensils, party literature, 153 live ammunition were seized from the scene of exchange of fire. The killed dalams were identified as 1) Cherupalli Ramesh @ Ashok, Commader ii) Cherupalli Laxmi @ Laxmakka, Dy. Commnader iii) Biskula Sammakka @ Bharthakka iv) Mekla Venkata Swamy @ Rajesh and v) Chandragiri Nagaiah @ Naganna, dalam memhers.

In this encounter Shri J. Amarender Reddy, Inspector, Karimnagar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th August,1999.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 54 –Pres/2003- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri K. Srinivas,
Sr. Commando -1241

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 10.3.2002 information was received that a group of 100 to 150 PWG extremists were camping in the thick forest area of Nagavam Reserve and were planning to attack Eturunagram Police Station and to kill the police and loot the weapons. After ascertaining some more details, Shri Srinivas, Sr. Commando along with his unit started for the operations. On 11.3.2002 the troop was combing the area, the sentry of the PWG extremists noticed the police party and immediately opened fire. The other extremists camping nearby got alerted, took positions and started rapid firing on the police with automatic weapons. The lives of the police personnel were put to great risk because of the incessant firing from the extremists. In a rare display of courage Shri Srinivas went close to the extremists sentry post and threw a grenade taking great risk. The grenade explosion deterred the extremists, which enabled the police party to move forward. The Police party then came under heavy Light Machine Gun fire. In an exemplary act of bravery Shri Srinivas rushed forward and killed the extremist handling the LMG thus saving the valuable lives of several policemen. The deceased extremists who was handling the LMG was identified as Moola Ramesh, Khammam Military Platoon member. In this operation 8 extremists were killed, while Shri U. Sanjeev, SI also died. LMG-1, SLRs-2, .303 Rilfle – 2, 9 mm Carbine –1, DBBL-3, LMG & SLR magazines – 4, Live rounds – 30 were recovered from the site of encounter.

In this encounter Shri K. Srinivas, Sr. Commando displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th March, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 55 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Dilip Bharali,
Sub-Inspector.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27.10.2001 at 10.30 RM SI Dilip Bharali, I/C Paglahat W.P. under Golokganj P.S received an information from one Abbas Ali that a group of dacoits was raiding his village. Shri Dilip Bharali accompanied by 8 personnel of 7th A.P. Bn. proceeded to the village Hajirhat., While Shri Bharali with his party was returning after enquiry from the said village, suddenly a group of ULFA outfit with sophisticated weapons attacked the police party with heavy firing. As a result all the police personnel sustained bullet injuries on their persons including Shri Bharali and Driver Ram Nath Roy. Driver Ram Nath Roy stopped the vehicle due to his grievous injuries. Having seen his critical situation Shri Bharali inspite of the bullet injuries on his abdomen, sat on the driver's seat himself by keeping the injured driver aside and drove out the vehicle from the ambushed spot to Paglahat W.P. saving 4 other precious lives, arms and ammns, showing tremendous courage keeping his own life in danger.

In this encounter, Shri Dilip Bharali, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th October, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 56 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Bihar Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Tripurari Singh,
Sub-Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 22.12.1998 Task Force was prepared and deputed to the hide out place of the Criminal Tutli Singh and his gang. The Commando Force located the hide out of Tutli Singh and his gang and participated in encircling the house of Subodh Singh wherein the desperadoes were camping. While this was being done, some of the members of the gang resorted to firing at the police. Shri Tripurari warned them. One of the bullets hit left hand of the officer as he was on the fore-front of the action and challenging the gangsters to come out and see that they were already surrounded from all sides by the armed police men. Immediately he fired from his service revolver. This was followed by firing from the armed force. Some six to seven criminals came out of the back side doors of the house of Subodh Singh facing west direction . While coming out they continued firing at the police . They were chased by Shri Tripurari Singh. The officer-in-charge Tripuari Singh who under took risk on his life even when he was hit by a bullet of the criminal. Shri Singh slowly and cautiously went near an injured criminal who had fallen on the ground while fleeing away with his associates. Blood was oozing out from his wounds . He had received bullet injury into his chest . He had a carbine in his right hand . The officer-in-charge took the carbine in his hand , opened its magazine and found 9 live cartridges of 9 M.M in it. On being checked further, the number of the carbine appeared to have been erased. The injured criminal was identified as Tutli Singh who died later on. The fleeing criminals were identified as Niranjan Singh, Ramavtar Sharma, Sanjay Munna all of village Hario.

In this encounter, Shri Tripurari Singh, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22th December, 1998.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.57–Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Mohd. Shafi,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 19.12.2001, an information was received by SHO PS Poonch regarding presence of militants in Kirni area. A Police contingent from PS rushed to the site. The suspected area was cordoned off in order to nab the militants. The police party came under heavy firing by the militants suddenly. The troops were unable to narrow their siege because of automatic fire by the militants form the left flank. Shri Mohd. Shafi, HC volunteered himself to destroy the militants firing from the left. He in utter disregard to his own safety and risking his life crawled towards the firing militants. After crawling for about 40-45 yards in an area full of thorns and pebbles, Shri Shafi managed to reach close to the militants and hurled a grenade on the militants and killed them. In this encounter, 5 militants were killed. The following arms/amn. were recovered after the action: -

(i)	AK 56 Rifles	-	2 Nos.
(ii)	Pistol	-	1 No.
(iii)	Revolver	-	1 No.
(iv)	Radio Set	-	1 No.
(v)	RDX	-	12 Kgs.
(vi)	Hand Grenade	-	2 Nos.
(vii)	UBGL Grenade	-	22 Nos.
(viii)	Magazine AK	-	2 Nos.
(ix)	Amn AK	-	2 Nos.

In this encounter Shri Mohd. Shafi, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th December, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.58–Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mohd. Sharief,
Head Constable,

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 28.9.2001, an information was received regarding presence of militants in Arai area. Shri Mohd. Sharief, HC mobilized his Special Operation Group and laid a cordon of the area. While the cordon was being laid, the troops came under heavy firing from the militants who also hurled grenades. The troops could not advance further because of the firing from one location. The fire from this location was providing cover to the other militants to sneak out of the cordon. Mohd Sharief, HC volunteered to take on this militant and approached him from the rear side. Inspite of thorn bushes covering the area, he crawled towards the position of the militant and managed to reach near him. In a close fought battle, he managed to eliminate the militant with the result the police party was able to take on the other militants. In this encounter, all the 7 militants were killed. The following recoveries were made after the action: -

(i)	AK 56/656 Rifles	-	6 Nos
(ii)	AK Magazine	-	24 Nos.
(iii)	Radio Set	-	3 Nos.
(iv)	Hand Grenade	-	20 Nos.
(v)	Pithu	-	4 Nos.

In this encounter Shri Mohd. Sharief, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th September,2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 59 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Surjeet Kumar,
Sub-Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On a specific information regarding presence of militants in Khawarian area of Poonch on 11.11.2001, Shri Surjeet Kumar, SI alongwith the police party and security personnel went for an operation and laid an ambush at the suspected route of the militants. While the siege was being laid, the militants who were hiding at a higher gradient started firing on the troops who were at a lower position. However, undeterred by the heavy firing of the militants, Shri Kumar continued to lay siege. He personally led the police party which started crawling towards the place from where the militants were firing. In a one to one battle, he managed to kill one militant. The operation which lasted for many hours resulted in the killing of ten militants all of whom were foreigners. Four killed militants were identified as (1) Abu Abrar Comdr LET (2) Abu Khalid Multani (3) Khalid Mehmood Multani and (4) Abu Afgani. The following recoveries were made after the action: -

(i)	Pika	-	1No.
(ii)	AK Rifles	-	6 Nos.
(iii)	Pistol	-	3 Nos.
(iv)	W/Less Set	-	3 Nos.
(v)	Mag AK	-	12 Nos.
(vi)	Amn. AK	-	120 Rounds
(vii)	Pika belt	-	100 Rounds
(viii)	I.Cards	-	4 Nos.

In this encounter Shri Surjeet Kumar, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th November,2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 60 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Mohd. Sadiq,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 13.12.2001, an information was received regarding presence of militants at Hari Surankote. Shri Mohd. Sadiq alongwith other members of the group was assigned the task of nabbing these militants. When the search party reached the village they saw a militant standing on a rock, who was asked to surrender but he resorted to indiscriminate firing. The firing was retaliated by the police, resulting in killing of this militant. However, firing from other militant hiding in a cave, was still continuing. The cave was located adjacent to the ridge and the approach to the cave was difficult because of the steep gradient. Mohd. Sadiq volunteered to climb this steep gradient and managed to approach the cave and without exposing himself hurled a grenade inside the cave, which resulted in killing of the militant who was hiding there. In all, two militants were killed in the operation. The following recoveries were made after the action: -

(i)	AK Rifles	-	2 Nos.
(ii)	Mag. AK	-	4 Nos.
(iii)	Amn. AK	-	70 Rounds
(iv)	Pouches	-	02 Rounds

In this encounter Shri Mohd. Sadiq, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of a high order.

This awards is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th December, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 61 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Joginder Singh,
Head Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 3/4.9.2001, an information was received by the Special Operation Group, Surankote regarding movement of militants. Team of SOG Surankote led by Shri Joginder Singh, HC alongwith security personnel moved towards the targeted place and laid a siege during the early hours of the night. In the early morning, a group of militants was found descending a hill ridge. They were challenged to surrender, but in turn, the militants resorted to firing which was retaliated by the security forces resulting in death of two militants. The other two militants fled and took shelter in a house from where they started firing on the security forces. While a heavy exchange of firing was going on, Shri Joginder Singh, HC without caring for his personal life managed to gain entry inside the house by breaking open a window on the rear side. It was dark inside and Shri Singh moving silently also located the militants and fired in that direction. Later on two bodies of the killed militants were recovered from the house. In the encounter, 4 militants were killed. The following recoveries were made after the action: -

(i) AK 56 Rifles - 4 Nos.
(ii) Mag AK - 12Nos.

In this encounter, Shri Joginder Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4/9/2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 62 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of J& K Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sunil Dutta,
S.P (Ops) Budgam.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On a information regarding presence of militants inside the holy shrine at Villge Goigam, Distt. Baramulla, SOG Budgam with the backup support of 194 Bn. BSF, 2-RR and 122 Bn. CRPF, Cordoned the said holy shrine during the intervening night of 29-30 July, 2001. Militants inside the holy shrine were asked to surrender, but they did not pay heed to the warning and opened indiscriminate fire upon the troops in which Capt. R.K. Bahugna of 2-RR was injured critically. Despite continuous firing by the militants upon the troops, the troops did not retaliate the firing keeping in view the sanctity of the mosque. In order to neutralize the militants and ensure that sanctity of the mosque is not violated, it was decided to launch a precise operation. Shri Sunil Dutta, S.P. Ops, Budgam took charge of the situation and planned the operation. He personally led the team from the front in face of heavy firing and lobbing of grenades by the holed up terrorists. The officer without caring for his personal safety crawled up to the shrine under the covering fire from the police personnel. He managed his entry in to the mosque and with great skill and determination, was able to eliminate all the three holed up militants. The operation lasted for more than eight hours and no damage was caused either to the mosque or to police party. Three AK-47 Rifles with 3 AK Magazines were recovered from the slain militants.

In this encounter, Shri Sunil Dutta, S.P. (Ops) Budgam displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th July 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 63 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Nazir Hussain
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 2.1.2002, Shri Nazir Hussain was a part of a Joint Team of Police and Army, which came under heavy fire from militants while cordon was being laid in an area where militants were reportedly hiding. One of the militant who was manning a UMG was firing on the security forces with the result the other militants were trying to break the cordon. Due to the covering fire from the UMG some of the militants managed to break the cordon and fled. It was necessary to neutralize the militant manning the UMG. The militants were on the top of a ridge. Shri Nazir Hussain, Constable volunteered to take on this militant. Despite heavy firing from the militants, Shri Hussain crawled more than 75 mtrs. to reach the place where the militant was entrenched. Despite bleeding profusely, he managed to kill the militant with the result the other militants could not break free from the cordon. In this encounter, all the 5 militants were killed. The following recoveries were made after the action: -

(i)	AK Rifles	-	3Nos.
(ii)	Mag AK	-	13Nos.
(iii)	Amn. AK	-	310 Rds.
(iv)	Pistol	-	1 No.
(v)	Amn. Pistol	-	5 Nos.
(vi)	UMG	-	1 No

In this encounter, Shri Nazir Hussain displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd January, 2002.

Barun Mitra

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 64 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Govind Singh, (Posthumous)
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 12.2.2002, an information was received by SHO Police Station Darhal about the presence of militants in village Chambi Trar and an operation was planned in the area. On seeing police party, the militants opened indiscriminate firing which was retaliated by the operation party. More re-enforcement was also called from the police station. In initial encounter one hardcore militant was killed, but the other militant ran towards the opposite direction and took position at the dominating place in the hillock. He was chased by the party Meanwhile, additional troops from Police stations and Reserve Police also reached on the spot. Constable Govind Singh, showing great courage advanced towards the area where the militant was hiding and firing on the police party. In a one to one fight the militant was killed by Constable Govind Singh. Const. Govind Singh also received critical injuries and later succumbed to his injury. The killed militant were identified as Tariq Dist. Comdt. of Albader outfit and Zajar, Area Comder Albader outfit. 2 nos of AK-47 Rifles, 5 magazines and grenades were recovered from the site of encounter.

In this encounter, (Late) Shri Govind Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order and made supreme sacrifice in the maintenance of the highest tradition of the service.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th February, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 65 –Pres/2003- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri K.L. Khajuria (Posthumous)
Assistant Sub-Inspector,

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receipt of an information regarding presence of militants in village Natnussa, District Kupwara, a cordon and search operation was planned and executed by SOG Handwara and troops of 17/81 Bn BSF on 27.10.2001. After initial sanitization of neighbouring house, efforts were concentrated on the target house. ASI K.L. Khajuria, along with AC Vikas Bhardwaj of 81 Bn and two Constables from SOG Handwara and one from BSF entered the suspected house cautiously. While entering the attic of the house, the search party was fired upon by the militants who were hiding behind the boxes/furniture's items. ASI Khajuria, took position in adjoining space on the same floor and fought with the militants bravely and killed a militant on the floor. The ASI even after receiving bullet injuries in chest, right arm, left shoulder and right side of nose, fought bravely with the militants and after more then ten minutes of exchange of fire/encounter in that house, walked down and came out of that house in a very critical condition. However, he succumbed to his injuries while on way to hospital.

The following items were recovered form the site:-

1. AK-56 rifle – 1 no
2. Rifle Grenade Launcher – 1 no.
3. Mag. AK- 56 rifle – 5 no.(1 half broken)
4. E.F.Cs – 55 No.
5. Wireless Set Parts (All in burnt condition)

In this encounter Late Shri K.L. Khajuria, Assistant Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order and made supreme sacrifice in the maintenance of the highest tradition of the service.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th October, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 66 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sharbat Hussain Shah,
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 19th November, 2001, Constable Sharbat Hussain Shah was leading a column at Hari Surankote. The party was able to spot some militants at a height. These militants were firing at the police party and the security forces. In order to neutralize the militants, the forces had to climb on a steep gradient. Continuous firing and the gradient did not deter Shri Shah from leading his column. Without caring for personal security, the constable advanced close to the militants and in the process he was able to eliminate two militants at his own. During the process a splinter hit him in his right eye. Even this could not deter the constable who kept on leading his men and ultimately in the encounter six foreign militants including an area commander of HM were eliminated. The constable was later shifted to hospital for medical treatment . Rifle AK-47 – 04, Magazines AK-09, Sniper Rifle – 01, Magazine Sniper Rifle – 01, Amn. AK- 240 rds, Amn Sniper –10 rds, Radio Set Yassu –01, Hand Grenades –12, Electric Detonator –10 and UBGL Grenade –02 were recovered from the place of encounter.

In this encounter, Shri Sharbat Hussain Shah, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th November, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

10—31 GI/2003

No. 67 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mohd. Rashid,
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 08.10.2001 an information about the presence of militants in Malhan area was received. Constable Mohd. Rashid with other police personnel was deputed with 9 PARA to participate in a combing operations. It was a very dark night and the troops had to pass thorough a dense forest. When the party was closing in on the forests, they came under heavy fire from militants. The troops took position and retaliated but they were not able to gun down the militants. The militants were closing in on the forces and the officer in-charge advised his troops to retreat in view of heavy presence of militants. Constable Rashid, however, did not retreat and kept on advancing towards militants. In one to one battle with one of the militants, Constable Rashid was able to gun down him on the spot. By the time further reinforcement of troops reached and an encounter ensued which lasted for about 7 hours. The militants however, managed to escape. The slain militant was identified as Abu Ubeda. District Commander of JEM outfit. one AK-56 Rifle, 04 AK Mags. 60 rounds of AK ammunition, Radio set-1 and Hand Grenades –3 were recovered from the possession of killed militant.

In this encounter, Shri Mohd. Rashid, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th October, 2001

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 68 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Vishal Sharma,
Sub-Inspector, J&K

Shri Dheeraj Kohli (Posthumous)
Constable, J&K

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 30.03.2002 at about 1015 hrs, two terrorists pulled out AK rifles from the bags they were carrying and started indiscriminate firing in the general area of road crossing in front of Raghunath Ji Temple, Jammu. While one terrorist went towards the city chowk, the other managed to enter Raghunath Ji Temple after killing two SSB Guards. The terrorists who went towards city chowk were chased by SI Vishal Sharma and Constable Nirmal Parkash, CRPF. The two officials were part of regular deployment outside the temple gate, which consisted of one SI, and three officials of PS city and one section of CRPF. The terrorist while moving towards city chowk shot dead two persons besides injuring 18 persons. Enroute, he also threw a grenade into a Cello Car being in front of Hari Theatre destroying it completely. SI Vishal Sharma and Constable Nirmal Prakash continue to chase the terrorist even at the risk of being fired upon by him. They eventuly succeeded in killing this terrorist. The second terrorist who had entered the Ragunath Ji Temple killed a lady pilgrim and a temple employee. Constable Dheeraj Kohli showing presence of mind and a sense of responsibility chased the militant who sought shelter in a small smadhi Temple located next to Natraj Temple. Constable Dheeraj Kohli fought valiantly with the militant who got killed when the grenade he was carrying exploded in his hand. Constable Dheeraj Kohli also got killed in this counter. 2 AK-47 rifles, 8 nos. of AK-Magazine, one Chinese Pistol with magazine,125 rounds of AK Rifles, 15 Nos. Pistol rounds and 7 nos of plastic grenades were recovered after the encounter.

In this encounter, (Late) Shri Dheeraj Kohli, Constable & Shri Vishal Sharma, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These award are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th March 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 69 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Maqsood Khan
S G Constable,

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20/02/2002 S G Constable Maqsood Khan was leading a column in a combing operation in Hari. The combing party was fired upon by militants. Shri Khan directed his troops to take position. Fire of militants missed him by inches. Since the number of troops with SG. Constable Maqsood Khan was limited, it was not possible to launch an offensive against the militants who were present in large numbers. Therefore, Shri Khan devised a strategy to take on the militant. He advised his troops not to fire in order to deceive the militants. He himself volunteered to approach the militants and after silently crawling for about 50 yards, reached close to the militants. In a one to one firing he was able to eliminate the militants. In this encounter, all the three militants were killed. AK 56 Rifles-03, Mags AK-09 Nos, Amn AK-93 rds, Radio Set – 02 broken, Hand Grenade-7 and detonator Electirc-08 Nos were also recovered.

In this encounter, Shri Maqsood Khan, SG Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th February,2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 70 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir :-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Masoof Ahmed
Sub-Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20.07.2001, an information was received about the presence of militants sin Sheila Nadian – Garian area of District Poonch. Accordingly, a Police party under the Command of SI Masoof Ahmed Rushed to that area for conducting operation. The location of the militants was in a dense forest with full of thorn bushes and wild grass. When the operation party was approaching the area, all of a sudden hiding militants opened heavy fire. Despite militants firing, the ops party cordoned the area and kept on advancing. The siege laid by the ops party was narrowing with the every passing moment. Meanwhile a burst of fire came on SI Masoof Ahmed which missed by inches. He saw one militant trying to break the cordon. Displaying raw courage and undeteered by the heavy firing, Shri Masoof Ahmed, SI fired upon the militant and succeeded in eliminating him. SI Masoof Ahmed and his party with grit and determination also succeeded in eliminating 03 other dreaded militants. During search of area: a) AK-47/56 Rifles 4 nos, (b) Magazines AK 15 Nos (c) Amn AK 820 rds (d) RPG Launcher 01 No (e) 60 MM Mortor 01 No (f) 60 MM Mortor Bomb 11 nos (g) UAV with one remote and launcher 04 (h) Arty Shell 01 No (i)UBGL 07 No (j) UBGL greanade 3 Nos (k) UBGL H /Grenade 34 Nos (l) RPG Rocket 09 Nos (m) RPG Booster 09 Nos (n)W/Sets 02 Nos (o)W/set Antenna 15 Nos (p)IED Triggring device 33 Nos (q)Likely IED Booster 29 Nos (r)Water bottle 12 Nos (s) Pouches 04 Nos (t) Electric Detonator 20 Nos (u) Ruck Sack 12 Nos (v) Diary 01 No (w) Shawal (x) Indian Currency rs. 10,000/- (y) Pak Currency 1680/- (z) AK tracer rounds 15 nos were also recovered.

In this encounter, Shri Masoof Ahmed, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20.07.2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 71–Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Sunil Kumar, IPS, SP(Ops) Srinagar.
2. Farooq Ahmed Reshi, Inspector
3. Harbinder Singh, Head Constable
4. Narinder Kumar, Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On a specific information about the presence of militants in Chatterhama, Zakoora area and their plan to eliminate VVIPs, a joint team under the command of Shri Sunil Kumar, SP (Ops) Srinagar was constituted. On 20.11.2001, an operation was launched to nab the militants who were hiding in a house situated at the top of a hill. The operation party started cordoning the house from three sides. Party under the command of Shri Sunil Kumar climbed from the front. The party started ascending slowly, almost crawling as the slope was totally exposed to the militants hiding inside the house. Shri Sunil Kumar was informed that the militants had held 2-3 civilians as hostage. As such a full scale assault would have endangered lives of these civilians. Shri Sunil Kumar asked Inspector Farooq Ahmed Reshi, Head Const Harbinder Singh and Const Narinder Kumar to come with him close to the house to evacuate the civilians. Suddenly a volley of fire came from inside. Before the three could take the position, a grenade was thrown from inside which exploded very close to them. Without losing a second Shri Sunil Kumar decided to launch final assault as with delay terrorists might kill the hostages and escape from rear taking advantage of the darkness. All the three started crawling towards the house and when they were just 10 mtrs away they were again fired upon heavily from inside. Shri Sunil Kumar spotted the militants insides the house and opened fire on them. One militant fell down and another jumped out from window and came towards Shri Sunil Kumar. Immediately HC Harbinder Singh and Constable Narinder Kumar swung into action and fired simultaneously at him which resulted in instant killing of the terrorist just 5 meters away from them. The police rescued the hostages. The killed militants were Pakistani terrorists namely Hafiz Ashan Ali @ Abdullah @ Dr. Showkatr @ Dr. Nayeem, Chief Commander of Al-Bader r/o Pakistan and Syed Talha Ahmed @ Amir @ Tanzeel @ Imran commander of Al-Bader r/o Pakistan. 01 Ak-47 Rifle,01 AK-56 Rifle, 04 AK Magazines, 15 rounds of AK Amn., 02 rifle Grenade, 01 Grenade thrower, 01 wireless set and 10 Nos Matrix were recovered from the killed militants.

In this encounter, S/Shri Sunil Kumar, IPS, SP(Ops) Srinagar. Farooq Ahmed Reshi, Inspector, Harbinder Singh, Head Constable & Narinder Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th November , 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 72 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mohd. Shakoor (Posthumous)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receipt of information about the presence of some militants in village Chhawa, District Rajouri, SOG, Rajouri/ Army launched a cordon and search operation of the said village on 24-25/05/2002. During the operation, Constable Mohd. Shakoor, Constable Shavinder Singh and SPO Mohd. Aslam and some army Jawans approached the house from where militants were firing indiscriminately on the search party. Constable Mohd. Shakoor without caring for his life entered the house alone. A militant, who was hiding under a bed, fired on the constable injuring him seriously. By that time, Constable Shavinder Singh and SPO Mohd Aslam, had taken position, located the militant and eliminated him. They also recovered the dead body of Constable Mohd. Shakoor. In this operation three hardcore militants were killed. The killed militants were later identified as Mohd. Shahid alias Abu Bilal of HM outfit, Jabbar of Albader outfit, resident of POK and Sultain Tipu of JEM outfit, resident of POK. Following was recovered from the place of operation :-
(i) Rifle AK-56 03 Nos, (ii) Magazine 14 Nos (iii) Pistol 01 No, (iv) Hand Grenade 03 Nos (v) Wireless set 01 No (vi) AK Ammunition 46 rds, (vii) UBGL Ammunition 01 No.

In this encounter, (Late) Shri Mohd. Shakoor, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order and made supreme sacrifice in the maintenance of the highest tradition of the service.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th May, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 73 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Ashok Kumar Gupta, IPS, DIG
2. Niaz Ahmed, Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

In the early hours of 11.01.2002, Shri Ashok Kumar Gupta, IPS, DIG Anantnag received an information from a source that 6 top militants including 2 district commanders, 1 Bn Commander and one Coy Commander of different militant out fits have gathered in a Gujar Kotha (Behak) in Peer Panchal Mountains bodering with district Udhampur in D.H. Pora Tehsil Kulgam, 50 Kms from district Hqr. Anantnag to hold a meeting. It was also learnt that the militants may shift their hideout in the morning. Shri Gupta, DIG mobilized the forces during dark in sub zero temperature risking difficult gorges of snow covered mountains or a possible counter ambush en-route during dark hours. Shri Gupta, DIG moved with 14 Constables of SOG Kulgam after informing security forces to follow immediately. The party led by him reached Naka Behak, Home Pathri at 0600 hours after climbing steep snow clad mountains for 3 hours. The behak is 10500 feet above sea level above Doda Kuchan Jungles. The party had hardly reached the militants started firing on the security personnel. This unexpected development endangered the lives of the security forces, which were still climbing and there was likelihood of militants escaping after inflicting causalities. Shri Gupta took up the challenge and without caring for his personal life he along with Constable Niaz Ahmed decided to surprise the militants. Shri Gupta, DIG ordered the remaining party to take up defensive positions below and engaged the militants by giving steady but single shot reply. Shri Gupta, DIG along with Constable Niaz Ahmed under took to climb the steep and treacherous hillock on the left flank. Within few minutes he along with Const Niaz Ahmed managed to reach on rear side of militants and opened heavy fire on them. The militants immediately took defensive positions. In the meantime the other security forces closed in and completed the cordon. The encounter continued for about 7 hours in which all the 6 militants were killed. A huge quantity of arms and ammunition was recovered from the Kotha, which was used as a hide out got burnt and destroyed in the exchange of fire.

In this encounter, S/Shri Ashok Kumar Gupta, IPS DIG & Niaz Ahmed Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th January, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 74 –Pres/2003- The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Th. Krishnatombi Singh, Sub-Inspector (3rd Bar to PMG)
2. Md. Yusub Ali, Asst. Sub-Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 14.11.2000 at about 11 a.m. on receipt of an information that one LML Vespa had been hijacked from Phayeng Village by 5/6 armed youths, 3 Commandos teams led by Inspector M. Mubi Singh , SI Th. Krishnatombi Singh and ASI Yusub Ali were detailed to conduct manhunt operation towards the aforesaid area. While the three Commando teams were approaching towards Singda Dam hill range, near Ireng Village, some armed youths suddenly fired upon the Commandos. The Commandos jumped out of their respective vehicles, took position and returned the fire. The Commandos under the overall operational control of Inspector M. Mubi Singh reacted tactfully and strategically. The team of SI Krishnatombi Singh surrounded from the North –Western Side, ASI Yusub Ali and his party surrounded from the southwestern side while Inspector Mubi and his party advanced forward towards the western side. It was hilly region with thick jungle ahead and the well-equipped extremists with proper pre-plan launched the attack on the Commandos from an advantageous position. In spite of all these constraints and odd circumstances, the Commandos reacted swiftly and tactically. Ultimately, amidst the heavy firing, Inspector Mubi Singh followed by Rifleman Ibungo fearlessly advanced forward by crawling and fired upon the youths. Some of the youths appeared to have sustained injuries due to fierce and gallant act of Inspector Mubi and Rifleman Ibugo. The youths having no alternative but to retreat away toward the hillside. Inspector Mubi informed SI Krishnatombi and ASI Md. Yusuf Ali over W.T. set that the youths having sustained injuries were fleeing away on the western hillside. Immediately, SI Krishnatombi and ASI Md. Yusuf Ali stopped their escape route from both sides and ultimately the two officers directly faced the youths. The extremists who were equipped with sophisticated weapons fired incessantly from behind the pine trees. However, SI Krishnatombi Singh and ASI Md. Yusuf Ali succeeded in eliminating two of the armed youths in the encounter. The youths were, later on, identified as 1) Chingangbam Jiten @ Nongdamba Thaoroijam Village, Maning Leikai and 2) Hijam Bisheshor Singh @ Macha of Phaknug Awang Loikal hard-core activists of PLA. 2 (two) AK-56 riles loaded with 10 live rounds and 6 live rounds respectively were recovered from the spot.

In this encounter, S/Shri Th. Krishnatombi Singh, SI & Md. Yusub Ali, ASI displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th November, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 75 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Shohrab Khan, Company Commander (Posthumous)
2. Ajay Kumar Tiwari, Constable (Posthumous)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 11.3.98 SP Bahraich Sri D.L. Ratnam received a reliable information about the presence of dreaded terrorist and Chief of Khalistan Commando Force Jarnail Singh Satrana @ Jaila, also carrying a reward of Rs. 6.5. lakhs on his head and wanted by Punjab, Haryana and UP States at Raghunathpur, PS Nanpara, Distt Bahraich in the house of one Mr. Kripa Ram Yadav @ Dhillar. Accordingly, SP, Bahraich called the required force and planned the operation to nab the criminal. He divided the force into four parties, headed by Sri Shiv Prasad Upadhyaya, CO. Risia and CO Nanpara Shri Mahendra Pratap Singh. The Police Parties rushed to the hide out of the terrorist and encircled the house of Mr. Kripa Ram Yadav and asked the criminal to surrender. As there was no reaction, SP directed Shri L.R. Diwakar, Inspector to throw tear smoke grenade in the house otherwise the terrorist may not come out till evening and might escape in the night taking advantage of darkness. The terrorist opened indiscriminate fire using an AK – 47 on the approaching police team with the intention to kill and create panic in the force. SO Motipur, SO Rupaideeha, Company Comdr & Constables S/Shri Jai Prakash Singh and Ajay Kumar Tiwari took position and fired on terrorist without caring for their lives. On this terrorist opened western door and came out firing and moved towards southern side. CO Nanpara and PAC Constable Ram Kripal Sahi opened fire on the terrorist who went near Shri Ajay Kumar Tiwari, whose rifle after firing two rounds was locked and opened fire on him and moved towards South. On seeing himself surrounded, terrorist moved towards village continuously firing on policemen. CO Risia alongwith his companions also started firing on terrorist but terrorist's bullet hit Sri Shohrab Khan, Company Commander and Constable Jai Prakash Singh. Shri Shohrab Khan fell down on the spot. Constable Jai Prakash Singh, despite injury and SO Motipur and SO Rupaideeha after taking tree as cover continued their firing. The terrorist entered the village through lane coming inside from South to North and began firing. The police party headed by S/Shri D.L. Ratnam, SP, L.R. Diwakar, Inspector, Udai Raj Tewari, SO, Rupaideeha, SO, Motipur, CO Risia and gunner, HC AP Ramraksha Pathak, taking wall and well as cover, opened fire killing the terrorist on the spot. Shri Shohrab Khan. Company Commander and Constable Ajay Kumar Tiwari, who were injured later succumbed to their injuries. One AK 47 Rifle with 102 live catridges and three magazines, 09 live Cartridges of Pistol, one detonator with wire, Chemical powder in two colours used to prepare Bomb, 9 chargers, one empty cartridge (Khokha) of 303 " Rifle and Rs. 40,650 in cash, were recovered after the action.

In this encounter, (Late) S/Shri Shohrab Khan , CC & Ajay Kumar Tiwari, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th March, 1998.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 76 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sharad Pratap Singh,
Inspector, SHO, PS Moth, Jhansi

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 17.8.2000, Inspector S.P Singh received an information from source that the gang of Dhan Singh Dheemar was roaming along the banks of the river Pahuj for the last many day along with eight kidnap-victms from District Jalaun, Police Station Daboh Distt. Bhind, M.P. and Police Station Pandokhar Distt Datia M.P. Shri S.P. Singh, Inspector appraised the Senior Superintendednt of Police, Jhansi about the information on telephone. DIGP, Jhansi also informed the SSP about the presence of Dhan Singh Dheemar gang in the dense forest spanning 8 or 10 Km. adjoining the river Pahuj alongwith 8 kidnapped persons. The DIG handed over his informer to Shri S.P. Singh, since the presence of dacoit Dhan Singh in the ravines and jungles in the area adjacent to Datia (M.P) was confirmed by both the sources. It was decided to conduct a combing operations in the forest of Gattara Village Sajanni P.S. Samthar. . Accordingly on 18.8.2000 a strike force was formed under Inspector S.P. Singh, which entered the forest for reaching at the place pointed out by the informer. At around 8.00 am the police party noticed that 10-12 heavily armed people were approaching them. When the dacoit gang was quite near. Inspector S.P. Singh asked them to surrender since they were surrounded. The dacoits resorted to unprovoked firing. Due to the sudden firing, one bullet whizzed past the head of the Inspector Singh, who escaped death. Inspector S.P. Singh directed his team to take cover and start firing, in self-defence. A shrill cry was heard as if someone had been shot. A man came running towards them with his hands up, shouting that he was a kidnapped victim. To avoid bodily harm to any innocent person, Inspector S.P. Singh and his team stopped firing and chased the criminals, but they had managed to escape. The kidnapped victim identified himself as Pradeep Kumar Srivastava. During search, approaching cautiously, Inspector S.P. Singh saw that one of the dacoits was dead. This dacoit was later identified as Chhadami Dheemar a diehard, notorious criminal and member of Dhan Singh gang carrying a reward of Rs. 22,500/-. He had earlier escaped from police custody with gang leader Dhan Singh and Prem Dhobi. The following items were recovered from the site of encounter:-

(i) One .303 Bore Rifle (ii) One Belt having 10 Cartridges of .303 bore. (iii) One used Cartridge in the Chamber of Rifle. (iv) One Belt having 25 Cartridges of .325 Bore. (v) One Belt having 25 Cartridges of 12 Bore.(vi) 6 Nos. Chains made of steel.

In this encounter, Shri Sharad Pratap Singh, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th August, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 77 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Naina Singh Koranga,
Subedar, 6 Assam Rifles.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on information regarding presence of militants of National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) group at Laju, a column under Subedar Naina Singh of B Coy was launched to kill/apprehend these militants, who were carrying out extortion from Laju village, Tirpa District. Subedar Naina Singh searched the entire village of about 200 houses from 0700 hours to 1600 hours, on 2.5.2002 but there was no sign of the militants. Thereafter, on his own initiative, Subedar Naina Singh led his troops down the steep mountainside through thick jungle to the jhoom huts of the village. Near one hut, the entrance to which was blocked, Subedar Naina Singh became suspicious and cordoned it with his troops. Thereafter taking one more jawan with him, Subedar Naina Singh moved closer to the entrance and as he kicked it open, he spotted four to five persons sitting inside, with weapons. Sensing the grave danger posed to his troops by the armed militants, Subedar Naina Singh immediately dived and pinned them down, simultaneously shouting for additional help, from his column. Immediately four more jawans entered the hut and overpowered the other persons and recovered additional weapons. In a swift action, Subedar Naina Singh was able to capture five NSCN (K) militants alive and recovered four weapons including two AK-56 Rifles, one 7.62 mm SLR and one M-21 Rifle, without a shot being fired.

In this encounter Shri Naina Singh Koranga, Subedar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd May, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 78 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri R.S Manral,
Commandant, 120 Bn, BSF.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20.10.2001 at about 1345 hrs, on specific information about planting of IEDs by militants, Commandant R.S. Manral, ordered Road opening party deployed in that particular area to block likely escape routes of the militants. He drew his operation plan and mobilized available troops of 138 Bn and Special Operation Group. Comdt. Manral, divided the troops in three different parties and ordered them to cordon the entire area before launching search operation. After the search started, one of the search parties spotted three militants hiding in thick vegetation near a nallah. The militants opened heavy fire on the search party with their automatic weapons. Their fire was very intense, but seucurity forces neutralized the fire effectively. During this exchange of fire, one of the militants was killed on the spot. However, the remaining two militants attempted to escape taking advantage of undulating ground nallah and thick vegetation. But Comdt. Manral, who was present on the spot, sighted the fleeing militants and exhorted his party to intercept them. Comdt. Manral leading his party from the front without caring for his life in the face of bullets being fired by the militants started chasing them. The party succeeded in cornering the militants into a vegetable garden surrounded by boundary wall which provided good cover to the militants. The militants trapped inside the garden, engaged troops and exchange of fire dragged on four some time. Comdt. Manral then decided to storm the vegetable garden to deny the advantage of ensuing darkness to the militants. He physically crawled with his party as close as 15 yards of the vegetable garden, from where he directed constable Bimlesh and Trilochan Singh of his party to lob grenades inside the vegetable garden to flush out the militants. Crawling further, the officer positioned himself and covered the escaped route of the militants. As a result of grenades thrown by Comdt. Manral's party, two militants hold up inside the garden tried to escape from the vegetable garden by firing heavily on Comdt. Manral and his party. Comdt. Manral had anticipated this and was prepared for such an attempt. He engaged both the militants personally from close range and killed them on the spot. In this operation, a total of three dreaded militants of JEM group were killed. On searching of the area 02 AK rifles, 01 Pistol CZ, 03 Rifle Grenades, 02 receiver Unit IED, 05 Electric Detonators, 01 tiffin Box (IED fitted) were recovered.

In this encounter Shri R.S Manral, Commandant 120 Bn BSF displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th October 2001

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 79 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Anu T.P., Assistant Commandant, 136 Bn.
2. Balwinder Kumar, Constable, 136 Bn.
3. Udhab Rabha, Constable, 136 Bn.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 14.05.2002, on the basis of a specific information regarding presence of terrorists in Kalahara forest, Shri Anu T.P. AC, Coy Comdr, 136 Bn. Triyath (Rajouri), J&K planned a special operation. Shri Anu T.P. AC alongwith 14 ORS from Ops Base Manu moved into the forest at 1000 hrs, for a seek and destroy mission. While combing the forest area, the party observed suspicious movement of a women towards a Dhoke and she on questioning confirmed the presence of the militants in the area. AC Anu alongwith Constable Balwinder Kumar tactfully advanced towards the Dhok, where terrorists were suspected to be hiding. As they were nearing the Dhok, two terrorists jumped out the door lobbing grenades and firing in an attempt to escape towards a nallah, where stops were already positioned. Constable Udhab Rabha showing his presence of mind reacted effectively, killing both the terrorists on the spot. Thereafter, intermittent firing continued from the Dhok where remaining terrorists were hiding. However, AC Anu and Constable Balwinder Kumar continued firing towards the Dhok, which prevented militants from escaping. AC Anu and Constable Balwinder Kumar then tactically moved forward, by crawling and reached about 10 to 15 yards near the Dhok and took Commanding positions. After a little while, two more terrorists in a bid to escape came out of Dhok firing heavily. AC Anu displaying exemplary leadership and courage, killed both the militants on spot with Constable Balwinder Kumar. AC Anu anticipated that more terrorist could be hiding in the Dhok. In the mean time reinforcement from Tac HQ 136 Bn and 142 Bn arrived with Rocket launcher. Since the time was running out and the operation had to be accomplished before dark, the Dhok was demolished by firing rockets. On search of the debris dead body of one more militant was recovered in addition to the recovery of 3 No. AK 56 Rifles, one hand grenade, 1 wireless set and amn. In all five foreign terrorists belonging to HM (PPR) and Al- Bader were killed in the encounter.

In this encounter, S/Shri Anu T.P. AC, Balwinder Kumar, Const. & Udhab Rabha Const. 136 Bn. BSF displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th May, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 80 -Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Prem Pal Singh
Constable, 104 Bn.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receipt of an information on 9th December 2001 a joint cordon and search operation was carried out in village Karpora (Budgam). The village was encircled from the three different directions simultaneously and a separate inner cordon around the suspected house was also laid. A systematic search of the houses was undertaken. At about 0900 hrs, when the house of one Gulam Nabi Wani was being searched, the militants hiding inside suddenly opened heavy fire, accompanied by lobbing / firing grenades from UBGL. Constable Prempal Singh, who was in the inner cordon, came under the sudden barrage of bullets and grenade splinters of the militants. He sustained bullet injury on his left forearm resulting in fracture of the radius bone . One bullet also hit him on the chest, but his BP jacket saved him. Undeterred and undaunted, Constable Prempal Singh, changed his position and stuck to his assigned task, unmindful of his injury. Continuing to be highly vigilant, he spotted one of the militants peeping through a window on the first floor of the house planning an escape. In utter disregard to his grievous bullet injury and shock of having been hit on his chest, Const. Prempal Singh decided to crawl to a better position from where he could fire more effectively at the militant. Exposing himself in the crossfire, he soon reached the chosen position and fired so accurately in spite of his injury that the militant was hit on his head and dropped dead from the first floor window, to the ground outside. The elimination of the first hardcore militant by Constable Prempal Singh boosted the morale of Ops party and demoralized the remaining two militants. The Ops party highly inspired by this display of dauntless courage, killed the remaining two militants in the fierce encounter. All the stain militants were identified as Pakistanis belonging to Jaish – e – Mohd outfit. On search of the area, 03 AK series rifles, 06 AK series Mag, 02 Chinese Pistol, 01 UBGL and amn were recovered.

In this encounter, Shri Prempal Singh, Constable 104 Bn. BSF displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th December, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 81 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Rakesh Dabral,
Subedar.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 4th February 2002, Sub (G) Rakesh Dabral of DC(G) Team, Bandipur received an information regarding presence of two dreaded militants in a hide out near village Kunan, adjoining SHQ Bandipur. Sub (G) Rakesh Dabral alongwith four persons of DC(G) Team Bandipur immediately rushed to the site requesting Sector HQ Bandipur to send reinforcement, Sub(G) Rakesh Dabral led his team of five members and reached very close to the hideout located in a Nullah on a hill. On seeing the approaching troops, the hiding militants started firing indiscriminately. Sub (G) Rakesh Dabral and his team took position on ground and effectively retaliated the militant's fire. The reinforcement consisting of one HC and 4 others, reached about 50 ft behind the position of Sub (G) Rakesh Dabral. They were asked to give close fire support from the flank. Sub(G) Dabral braving heavy volume of fire from the militants, crawled and reached close to the hideout and fired on the militants resulting in killing one of the militant on the spot. The other militant took shelter behind two big boulders and continued firing. Sub(G) Rakesh Dabral hurled grenades at the militants. Exchange of fire between militants and troops continued and finally the second militant was also killed. Later on, the killed militants were identified as Javed code Deva S/O Mohd Amin Dewani R/O Kunan, Bandipur and Abu Bakar R/O Multan (Pak) belonging to LET outfit. Constable Javed Khan of 20 Bn BSF sustained minor splinter injuries during this encounter. On search of the area, 02 rifles AK Series, 102 Amn AK Series, 02 Wireless set and 04 Hand Grenades were recovered.

In this encounter, Shri Rakesh Dabral, Subedar, BSF displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th February 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 82 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Prakash Vaishanaw
Constable, 161 Bn.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 31st January 2002 at about 1650 hours OP Party consisting of Const Amarjit Singh, Const Ram Asare Saroj and Const Prakash Vaishanaw of 161 Bn BSF were returning to BOP Phanda, Dist. South Garo Hills (Meghalaya) after performing their duty. All the three Jawans were crossing a damaged culvert when they were ambushed by militants between Boundary pillar No. 1162/9-S and 1162 / 10-S. Militants opened a heavy volume of fire. Const Prakash Vaishanaw immediately jumped into the nullah and took position on a raised mound. As a result of firing by the militants Const Amarjit Singh suffered bullet injuries and succumbed on the spot. During the exchange of fire, one of the militants attacked Const Ram Asare Saroj with a Khukari in a bid to kill him and snatch his personal weapon. Constable Prakash Vaishnaw fired immediately and killed the militant on the spot. Another militant, who was hiding in the ambush attacked Const Prakash Vaishnaw but was also killed by effective fire. In the meantime, Const Ram Asare Saroj, who had suffered bullet injury also succumbed to the injuries. Remaining militant continuously fired on Const Prakash Vaishnaw to neutralize him. Due to brave, courageous and effective retaliation by Constable Prakash Vaishanaw, the militants fled the site, which prevented them from taking the weapons of killed Constables. 04 hand grenades of Chinese make, 124 AK Rifle Amns and one magazine were recovered from the spot. Later, it was learnt through media that two more militants suffered bullet injuries and one of them namely Sushanto Dango died on 02.02.2002 and another was in a critical condition.

In this encounter, Shri Prakash Vaishanaw, Constable 161 Bn. BSF displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st January, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 43 –Pres/2003- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Basuva Raj R. (Posthumous)
Constable, 171 Bn.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 24th January 2002, on receipt of an information about presence of militants at village – Darwan (Budgam), a BSF Party conducted a cordon and search operation in that village. When the party was laying the cordon, it was fired upon by militants. Party spotted two militants running towards a nullah and retaliated the firing. Both the militants, who probably sustained bullet injuries, managed to escape under the cover of darkness. The other militants, who were hiding in a house of village was cordoned from a distance. In the meantime another party also reached there and cordon of area was further strengthened. The families of adjacent houses were evacuated to safer places and an inner ring of cordon was thrown around the target house. A party led by Inspr S B Ali alongwith Const Basuva Raj R. , Const Rakesh Kumar and Const. Md Ravees entered into the premises of the house under the cover of cordon party. The party successfully cleared the ground floor of the house and proceeded to the first floor. Const Basuva Raj R., who was leading the party, saw one militant taking position behind a door. Const Basuva Raj R. jumped aside and fired at the militant injuring him. The injured militant ran out of the room through another door. Const Basuva Raj R. chased him and found himself in a room in which other militants were hiding. Surprised at the tenacity of Const Basuva Raj R. the militants ran up the stairs to the atic of the house. Const Basuva Raj R. chased the militant and fired on them while they were climbing the stairs. One of the militants, who had reached the attic and taken position, fired a burst on Const Basuva Raj R., as he entered attic. Constable Basuva Raj R. was hit on his face & fell down injured. Inspector S B Ali, who was just behind Const. Basuva Raj R., directed Const Rakesh Kumar and Const Md Ravees to retaliate the militants fire and he himself, braving the bullets, stormed into the attic and brought out injured Const alongwith his weapon. Militants had entrenched themselves by this time inside the attic of the house and started firing heavily on search party. The search party had to withdraw to outer premises of the house at a safe position where injured Const Basuva Raj R succumbed to his injures. Militants, who occupied positions at different places of the house, started heavy fire and hurling grenades on cordon party. When the encounter was in progress, a heavy blast took place inside the house and as a result, it caught fire, as it was made of wood. Fire spread and engulfed the house almost instantly causing a series of blasts of grenades and other amn inside, indicating that militants had a huge quantity of amn & explosives with them. The militants were asked to surrender but they did not do so and ultimately were burnt alive. The blasts of amn and fire continued for more than one hour till 1500 hrs on 24th January, 2002. Thereafter search was conducted and following were recovered from the debris (a) Burnt dead bodies of militants- 05 Nos (b) Rifle SK series – 03 Nos (c) Mag AK series – 15 Nos (d) Antenna Wireless set - 02 Nos (e) Lever Chinese Hand Grenades – 03 Nos (f) Burnt /damaged AK amn – 100 Nos.

In this encounter, (Late) Shri Basuva Raj R., Constable 171 Bn. BSF displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of President' Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th January 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 84 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Bureau of Investigation:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Pavanjeet Singh Sandhu, IPS (KTK: 89)
S.P. CBI

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Shri P.S. Sandhu, IPS, Karnataka (1989) was deployed under UN Peacekeeping Mission in Bosnia/Herzegovina & was Sarajevo Regional Commander in managing the International Police Task Force during the Dobrinja Arbitrage. He was tasked to solicit and encourage local police authorities to assist and contribute to the acceptance of the Arbitration Award. On 24/4/2001 on the announcement of Arbitration Award, the violence that was expected broke out. Shri Sandhu created and organized liaison between the Sarajevo Canton Ministry of Interior and the Republic of Srpska Police as well as IPTF Stations Sarajevo West and Sarajevo Central and political differences were overcome. His organisation and planning spread to the local police, Ministers and their Deputies and International Police involved in the operations. He operated from battle field, IEBL. He physically prevented the two ethnic groups from attacking each other when the houses were being attacked by missiles, cars were being set on fire and roads were being blocked by placing burning tyres at intersections. Small arms fire was also encountered during that period. It was while this was happening the High Representative Mr Patritch himself informed that reliable sources had informed him of possible presence of a Rocket Propelled Grenade with Launcher amongst the mob which could be used against the IPTF, SFOR or the local Police. During the difficult period the Regional Commander briefed the IPTF monitors of this new development and advised them on additional safety precautions under circumstances. Commander P.S. Sandhu consistently used exceptionally sound judgement and diplomacy when faced with difficult situation. By careful diplomacy, he was able to convince the Assistant to the Dy. Minister of Interior of Sarajevo Canton to make a written proposal for the Canton Police that could absorb 53 RS police officer living in Dobrinja area into the ranks of the Canton Police. This accomplishment was conceived with a two fold proposal i.e. firstly the offer of employment for RS Police could help solidify the Dobrinja community and further neutralize the violence and secondly, the long term effect would enhance the safety and security of the community as the RS Police join up the Canton police live will work in Dobrinja Community. It took only 7 days to bring the Dobrinja Community back to a state of normalcy.

Commander Shri PS. Sandhu through his dedication to duty & leadership abilities upheld the highest standard of the Indian Police and his contingent.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24.04.2001

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 85 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Industrial Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Babu Lal Ram
Head Constable (GD) CISF

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 09.04.2001 after conducting survey in the area under the Sidhai Police Station of West Tripura when an ONGC/ Seismic survey party duly escorted by CISF was returning to base complex at Fatickchera, was ambushed by ATTF militants at Srikrishan Thakurpara. On hearing the burst firing HC Babu Lal Ram along with other CISF personnel escorting the survey party opened fire at the militant in retaliation to save life of ONGC officials and the other personnel who went for carrying out seismic survey. HC Babu Lal Ram being in-Charge of his sub unit immediately reacted & guided his personnel to fire effectively on the militants. In this process HC Babu Lal Ram got five bullet injuries i.e. two rounds in his thigh, one round in shoulder, one round in left hand palm and one round in the abdomen. In spite of his bullet injuries the HC Babu Lal Ram had shown indomitable courage in retaliating fire till the militants ran away from the place of occurrence. HC Babu Lal Ram and other CISF Personnel not only saved the lives of ONGC officials but also their costly property including vehicles as well as arms and ammunitions of CISF personnel.

In this encounter, Shri Babu Lal Ram, Head Constable(GD) CISF displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th April 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 86 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

1. Shri Prithvi Singh, Constable 120 Bn.
2. Shri M.S. Bisht, Sub-Inspector (Posthumous)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 29.07.1999 a convoy along with 4 Gypsies and one Leyland truck was detailed under the command of SI M.S. Bisht with 19 personnel for conveyance of Dr. B.L. Meena CMO, GC CRPF, Imphal coming to Silchar by Flight to advise personnel of 120 Bn. CRPF on anti malarial precautions. The convoy left Silchar at about 1630 hrs for unit HQ and crossed ROP points at about 1830 hrs. As soon as the convoy reached the Jirihat tea garden area at about 1900 hrs, about 13 Kms away from Bn Hqr Uchathal, convoy vehicles came under sudden / heavy fire of automatic weapons from militants positioned on top of the surrounding hill features. The leading two Gypsies crossed the turning point and 3rd vehicle came under fire from right side. However, the personnel traveling in it escaped un hurt. The 4th vehicle Gypsy coming behind crossed the turning point, halted on right side of the road and the personnel swung into action in retaliating the militants fire. In the meantime, the last vehicle of SI M.S. Bisht, convoy commander came under heavy fire and the driver of the vehicle received bullet injuries on his right hand palm and left hand wrist. He immediately took the vehicle towards the right side hillock and stopped the vehicle and took position regardless of his injuries. SI M.S. Bisht in an attempt to jump out from the driver's side was badly hit by bullets on left thigh/Knee, right leg lateral surface and left hand. Despite grievous injuries all over his body SI M.S. Bisht got down from the vehicle and charged at the militants till he became unconscious. Ct. (GD) Prithvi Singh who was in the last vehicle of convoy sensed the seriousness of situation and opened fire from his SLR and fired 17 rounds. When his SLR got obstructed, he crawled slowly inching towards SI Bisht, without caring for his life and took the AK-47 lying beside SI (GD) M.S. Bisht who was unconscious and fired about 15 rounds intermittently with a firm determination to pin down the militants. Ct. Prithivi Singh exhibited exemplary courage in repulsing the attack of militants who were just 30 meters away from the spot, thus preventing them from taking away the weapons and wireless sets etc.

In this encounter, Shri Prithvi Singh, Constable(GD) & (Late) Shri M.S. Bisht, SI CRPF displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th July1999.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 87 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. R.P.S. Rana, Commandant.
2. Gajender Prasad Singh, Head Constable
3. Murari Prasad Singh, Constable / BUG

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 18.4.2001 at about 0645 hrs S.P. Kathua telephonically informed Commandant 39 Bn CRPF that a group of armed militants had entered in Kouli-Khabbal under village area of Dingamb (P.S. Raj Bagh) and are staying in one of the Gujjar's house. Shri R.P.S. Rana, Commandant along with 32 police personnel of Q.R Team including Commandant's escort party immediately rushed to the village and after reaching the road head walked one and half Km on foot inside the hills and reached the vicinity of the said Gujjar's house around 0730 Hrs. After proper cordoning the area and deploying his men, Shri R.P.S. Rana, Commandant, HC Gajender Prasad singh and Constable Murari Prasad Singh followed by 2 to 3 jawans advanced towards the Gujjar's house to ascertain the factual details and position of the militants. The militants spotted the approaching troops and tried to escape from the house firing indiscriminately and also simultaneously lobbing grenade on CRPF party. Shri R.P.S. Rana, Commandant, CRPF who was leading the troops from front without caring for his life, crawled forward and took position behind a big tree and fired a burst from his AK – 47 rifle on the fleeing militants. Mean-while HC Gajender Prasad Singh and Ct Murari Prasad Singh who were also with Commandant also crawled forward and opened fire which resulted in killing of two militants on the spot and seriously injuring one more militant. In the mean time rest of the troops also opened fire from their respective positions. Inspector Pandey who along with his party was positioned on a dominating hill having clear view of the operation being carried out by the Comdt – 39 Bn, conveyed through his W/Set to the Comdt that he had seen 3 to 4 militants fleeing towards the up hill of the north – east flank. The fleeing militants were firing rapid bursts from their weapons and also threw grenades towards the troops. Comdt Rana immediately directed his party to cover all escape routes towards eastern flank. He also directed Inspector Pandey to fire a H.E. Bomb towards the direction of fleeing militants. After the eastern flank had been covered by the party. Commandant Rana again directed Inspector Pandey

to fire one more H.E. Bomb which resulted in temporarily interrupting the militants escape routes from all sides. Heavy firing continued from both the sides. The whole area by now was completely cordoned and covered from all the directions by other security forces also. After ensuring the cordon and covered from all the directions, Commandant Rana along with 3 to 4 jawans and 2 civil police personnel tactically advanced by crawling to search the house. When the party reached 25 to 30 yards short of the militants hide – out, 2 militants were found dead along with their arms and amns. After recovery of arms and amns, and dead bodies, the search was continued to nab the other three fleeing militants. During the search suddenly a heavy burst was fired by one of the injured militant hiding behind a large boulder. Fortunately Commandant Rana, had a very narrow escape. He immediately showing exemplary courage crawled towards the backside of the militant hiding behind the boulder. On hearing sound in the grass the militant suddenly turned around and Shri Rana and the militant simultaneously fired on each other. The busted fired killed the injured militants instantly. One AK-47, 4 Magazines, 1 W/Set and 14 Hand Grenades and large Qty of amns were later recovered from the slain militant. The following arms and amns were recovered by CRPF during the operation: AK-47 Rifles (4), AK-47 Magazines (20), AK-47 Amns –428, Wireless set (1), Hand Grenade -14 and dead bodies of Militants (3). After arrival of re-enforcement, a combing operation was carried out by the security forces, during which dead bodies of 4 more militants were recovered. A total of 7 militants were killed in this operation. 8 AK Rilfles, 50 AK Magazines, 1020 AK amns, one UMG with Magazines and 308 matching amns, one Pistol with 2 magazine and silencer, 4 no. of Wireless sets and 49 Hand grenades were recovered from the slain militants.

In this encounter S/Shri R.P.S Rana, Comdt, Gajender Prasad Singh, HC & Murari Prasad Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th April, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 88 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mool Singh
Constable, 112 Bn. CRPF

Statement of service for which the decoration has been awarded:

E/112 Bn, CRPF was deployed at Lamdan for ROP duty. On 18.7.2000, continuously raining and fog had reduced the visibility on the road. Shri Debashis Biswas, AC briefed the troops appropriately before moving for ROP duties. The ROP consisting of four sections under Shri Debashis Biswas, OC Coy left the camp at 0810 hours. The leading section was under command of SI Nabor Kujur. Other three sections were following this Section. All these sections were walking on road. When the leading section was about to move upward from road to position themselves on a hillock (the place of their deployment), they came under heavy fire of sophisticated weapons by the PLA militants from the hillock features. Fire was opened by CRPF personnel in retaliation immediately but by this time casualty had occurred. The exchange of firing took place about 10-12 minutes. The militants numbering about 40 effectively pinned down the ROP with heavy fire. Retaliation by remaining three sections was either aimless or ineffective as the retaliation was being done from their positions without moving further toward the spot. In the ambush SI Nabor Kujur, CT Arun Kumar, CT Rang Lal Meena & CT Mukesh Kumar died. CT Mool Singh who was at the last place in the leading section also came under the heavy fire of the militants but did the commendable job and fired effectively from his SLR even after sustaining bullet injuries in both thighs (i.e fracture of thigh bone of both the legs) without caring his life until he lost consciousness. Because of his said daring action, the militants had no option but to run away taking cover of thick jungle. He not only saved his own life but also saved Arms/Amns & Radio instruments and precious lives of his other colleagues.

In this encounter, Shri Mool Singh, Constable. 112 Bn, CRPF displayed conspicuous gallantry, courage & devotion to duty.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th July, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 89 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. K.S. Rana, Assistant Commandant, CRPF
2. Hriday Ram, Head Constable, CRPF
3. Utpal Dev, Constable, 6 Bn. CRPF

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 5th April, 2001 information regarding presence of a group of dreaded foreign militants in area Zeradi-Neel-Khora-Neel under P/S Banihal Distrist Doda J&K was received. A party under Command of AC Shri K.S. Rana and an armed STF party under the command of Shri Pritam Singh, Dy. SP (Ops), J&K Police left Banihal at 2130 Hrs. on 5.4.2001 for Neel Top where D-Coy of 12 RR is located. To maintain the element of surprise vehicles were left at Chambalwas where the parties had reached about 2200 hrs. The CRPF and STF party reached D-Coy of 12 RR at Neel Top at about 0030 hrs on 6.4.2001 after marching 15 Kms. on foot from Chambalwas. 12 RR Column was also associated in this operation. The tasks were distributed/assigned to different parties. Column of 12 RR and party of J&K Task force were assigned the task to lay stops at possible escape routes/points. CRPF party comprising of 4 sections under AC K.S. Rana was assigned the task to comb the area and strike the suspected hideout. The parties accordingly left D-Coy 12 RR location Neel Top at about 0330 hrs on the 6.4.2001 through assigned routes to secure their position. The STF and RR groups reached their assigned positions and laid the stops by 0500 hrs. After having moved through rugged mountainous terrain for more than 5 hrs continuously in pitch dark night at about 0600 hrs on 6.4.2001, the striking party of CRPF, which was advancing towards the suspected hideouts, came under heavy militants fire from various directions. Undeterred by militants fire. HC Hriday Ram Section coommander and CT Utpal Dev crawled and tactically advanced towards available cover and spotted two militants with AK-47/56 rifles on the opposite side of flowing nallah. They retaliated and fired on militants. AC K.S. Rana on noticing all this immediately rushed to leading section amidst militants fire. While so advancing, his movement was noticed by militants who sprayed bullets to deter his advance and he had a narrow escape. After coming forward, he took command of the

situation and deployed his party and LMG group of the leading section at tactically suited vantage position. Amidst heavy militants fire at grave risk to their lives AC K.S. Rana along with HC Hriday Ram and CT Utpal Dev managed to cross the nallah through wooden planks laid over it. They crawled taking available natural covers and reached very close to the militants position and fired on them. They lauched quick assault on the militants & gunned them down before they could flee. One AK – 47 and one AK – 56 rifle with ammunitions and a W/set were recovered from the slain militants who were later indentified as Abu Khalid and Abhu Hafiz of foreign origin of out lawed LET outfit. The militants fire from the houses in the village Khora still continued on CRPF party and one section of CRPF party was engaged in exchange of fire. During exchange of fire two militants were seen fleeing towards ridge near village Khora and one of them was shot dead by this section of CRPF. Another militant in a bid to escape climbed the ridge and kept firing on CRPF party. He was also chased by personnel of CRPF and was ultimately killed. The slain militants were identified as Abu Gulshan and Abu Akhasha both of foreign origin of LET group. One AK-47, one AK-56 rifle, 4 Hand grenades and ammunitions were recovered from these 2 killed militants. Even after this, the intermittent fire form the houses of village Khora on CRPF party continued. Shri K.S. Rana, AC and Column Commander of 12 RR chalked out the further strategy to nab the hiding militants. After ensuring the evacuation of all the civilians at the safe place, Shri Rana and Column Comdr of 12 RR tightened the Cordon of the village. After repeated warning, when the militants did not surrender, both the officers directed to fire LMG, Rocket & Grenade on the houses/positions occupied by the militants as a result the house in which the militants had taken position caught fire. 2 charred bodies of militants were recovered which were beyond recognition. In this operation, 6 number of militants were eliminated and arms/amns were recovered.

In this encounter, S/Shri K.S. Rana, AC, Hriday Ram, HC & Utpal Dev, Constable displayed conspicuous gallantry, courage, devotion to duty of the high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(1) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th April, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 90—Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ganesh Kumar,
Constable, 128 Bn, CRPF

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27.1.2001, on the basis of information revealed by an apprehended militant, two platoons of D/128 Bn along with Civil Police under the command of Shri Love Kumar, Asstt. Comdt left for conducting raid of an underground camp located on a hilltop in dense jungle in Dubangal area of East Garo Hills, Meghalaya. While approaching the camp, the CRPF party was fired upon by militants. The CRPF men returned the fire and exchange of fire lasted for about 20 minutes. The retaliatory fire by the troops was not found very effective as the bamboo groves around the militant camp were preventing the bullets from hitting the targets. AC Love Kumar along with four other ranks cautiously and tactically advanced towards the militant's camp for a closer and more effective position. While moving so, the party saw one militant jumping down from the hill to the lower area of dense vegetation. CT Ganesh Kumar, one of the members of advancing party, without losing time, ran after the fleeing militant. At the same time, he also noticed that the militant was trying to change the magazine of his rifle. Ct Ganesh Kumar without thinking about the risk pounced upon the militant in a lightening speed and tried to overpower him. This scuffle continued for a while. The militant however managed to free himself and raised his weapons to fire upon Ct Ganesh Kumar. At that critical moment, Ct Ganesh Kumar reacted quickly and shot the militant dead, later identified as Mote Marak (Mito) of ANVC group. The following items were received from the site of action:-

1.	AK-56 rifle with bayonet	-1 no.
2.	AK-56 Magazine	-2 no.
3.	Wireless sets (Japan made)	-2 no.
4.	Hand Grenade (China Made)	-2 no.
5.	AK ammunitions	-147 no
6.	Detonators	-2 no.

In this encounter, Shri Ganesh Kumar, Constable, 128 Bn, CRPF displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th January, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 91 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. S.K. Das, Constable (Posthumous)
2. Ashok Kumar, Constable (Posthumous)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27.12.1999 two militants in civil police uniform approached the main gate of Cargo complex with a request to permit them to meet some SOG officials as they are coming from Shergarhi P.S. Constable Taslim Ali of 28 Bn who was on gate opening duty immediately stopped the intruders and directed them to show their identity. One of the intruders on the pretext of removing I/Card and handing over of his weapons to his partner, suddenly opened fire on Ct Taslim Ali. Immediately on injuring the Constable they barged into the Cargo Complex by pushing the small gate of entrance. On entering the complex, militant started indiscriminate firing on 10 to 12 SOG personnel standing in the open area without any arms. Ct Panner Selvam who was in sentry duty in Morcha No. 1 on seeing the happenings, immediately fired on running militants. However, he could not succeed in his task as SOG personnel who were un-armed running helter skelter in the opened area and militants went under the cover of fleet of bullet proof vehicles parked in the ground floor of building. Militants rushed to the main building & entered into first floor after killing Dy.SP of SOG and his PSO. Immediately on reaching Ist floor militants threw hand grenades, continued with volley of bullets to inflict more causalities on SOG and CRPF personnel. Ct. Samir Kumar Das sentry of A/28 Kote at First Floor who first mis-understood the firing militants as Civil Police, immediately retaliated the fire. This sudden and unexpected fire from Ct S.K. Das halted the approaching militants. Ct. S.K. Das continued his firing on militants, without caring for his life as there was no morcha in corridor. However, he sustained bullet injury in his vital part of brain and fell down on the spot. Seeing this, Ct. Ashok Kumar who was in A Coy line immediately rushed to the entrance of the lines and taking the cover of entrance door started inflicting firing on militants. Due to this résistance from CRPF side, the militants rushed back to the other end of the corridor where SOG KOTE and captured weapons were kept. After setting down at the other end they started heavy firing on Ashok Kumar who was bravely encountering the fire. However, Ct Ashok Kumar also sustained bullet injury and later succumbed to his injuries. Meanwhile, Shri S.P. Pokhriyal, 2 I/C and DC(Ops) along with QRT rushed from Hqrs to the spot. Immediately on reaching the spot he along with CRPF personnel entered into the complex by scaling the wall of J&K Project building. After taking the stock of situation, he took over the control of operation. On conclusion of operation and search, 2 charred dead bodies of militants were recovered. It was later confirmed by SOG tht they were Fidayeens of LET. In this attack, 9 personnel of SOG, J&K & 2 CRPF personnel died on the spot.

In this encounter, Late S/Shri S.K. Das, Constable & Ashok Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th December 1999.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 92 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Nirmal Prakash
Constable, 136 Bn.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

One section comprising of HC Narayan Singh (Section Commander), Ct Nirmal Prakash. Ct Bishan Singh, Ct Mustaq Ahmad Khan and Ct. Mumtaj Ali Khan of 136 Bn of CRPF was deployed for patrolling duty on 30.3.2002 in the area of Police Station City Chowk to Kanak Mandi, Residency Road to Raghunath Bazar in Jammu City. At about 1020, E/136 Bn CRPF on patrolling had reached Raghunath Mandir and was moving towards Hari Theatre. Suddenly on hearing the sound of firing and grenade blasts, 136 Bn of CRPF rushed towards the site of incident. The Fidayeens had already shot down two civilians in front of the Hari Theatre near Raghunath Mandir. One of the Fidayeen saw the CRPF men rushing towards them. He opened fire on CRPF personnel. At that movement when a Fidayeen threw another hand grenade, he was identified by Ct Nirmal Prakash of E/136 Bn. The member of the crowd by the time had either taken shelter in various shops or were running away from the site of incident. The second Fidayeen got mixed himself with the running crowd and entered the Raghunath Mandir. Section Commander HC Narayan Singh in order to disperse the crowd in the highly crowded market, ordered Ct Nirmal Prakash to fire two rounds in the air. This gave an ooportunity to isolate the Fidayeen. Seeing the CRPF men rushing towards him, he opened fire on CRPF personnel. The whole CRPF section on the direction of HC Narayan Singh, Section Commander, took positions. Because of the parking of vehicles HC Naryayan Singh and Ct Nirmal Prakash were unable to have aimed firing at the Fidayeen. At this juncture Ct Nirmal Prakash suddenly came out in the open facing the Fidayeen and aimed fire burst with his SLR which hit the head of the Fidayeen killing him instantaneously. Had Ct Nirmal Prakash not taken risk of his life and killed the Fidayeen, there would have been large scale causalities of civilians in the highly crowded Raghunath Bazar of Jammu City. The second Fidayeen was chased by the same CRPF Section and was surrounded inside the Raghunath Mandir-Jammu, which compelled the second Fidayeen to blow himself with the explosives materials/grenades tide to his waist. The Second Fidayeen had earlier killed two SSB personnel who were deployed for security duties at the Raghunath Mandir ground, JK Police Ct Dhiraj Kohli, Shri Laxman Dass, an employee of the Mandir and one lady namely Ratna Sharma w/o Mandal Lal r/o Gwalior (M.P). Ct Nirmal Prakash was again instrumental with the remaining Section of CRPF which has chased the second Fidayeen and ultimately resulting in his elimination in the shape of suicide. i) AK-47 Rifle – 2 nos ii) Loaded Magazine – 3 Nos. iii) Empty Magazine – 1 No. iv) Hand Grenades – 6 Nos. v) Chinese made pistol – 1 No., were recovered from the slain militant.

In this encounter, Shri Nirmal Prakash, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th March, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 93 -Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Lakhwinder Singh,
Constable.

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27.10.2000 around midnight (2320 hrs) suspected LeT Fidayeen militants (suicidal squad)) attacked on the camp of 'C' Coy, 50 th Bn CRPF located at Surenkote. The attack by the Fidayeen militants was mounted on the company post from rear side of the camp. Constable B.P. Roy who was on sentry duty in Morcha No. 3 located at the rear side of the camp observed the movement of a silhouette at a very close range from the Morcha. The militant had crossed the lower boundary wall and was in the process of sneaking into the camp area. Constable B.P. Roy sensing the eminent danger immediately raised an alarm to alert all other sentries as well as the personnel present in the camp, simultaneously he came out of his sentry post without carrying for this life and fired upon the Fidayeen militants. However while doing so his rifle was got hit by the extremist's bullet damaging the slide-cocking handle rendering it ineffective/non-functional. The extremist was firing volley of burst from automatic weapon which hit Constable B.P. Roy fatally injuring him and later on he succumbed to his injuries. The militant sensing the opportunity moved ahead towards the residential line to inflict more causalities. However when the militant reached near Morcha No. 7 where Constable Lakhwinder Singh was on duty and was already alerted because of the alarm raised by Constable B.P. Roy and subsequent firing, Constable Lakhwinder Singh started firing on the Fidayeen militants and did not allow him to move further up. The firing by Contable Lakhwinder Singh was so effective that it hit the Fidayeen militant seriously injuring him which resulted the extremist beating a hasty retreat towards the boundary wall in the direction of Morcha No. 3. Later on when the firing stopped, thorough search of the entire camp and the adjacent area was carried out by the coy personnel. The dead body of Constable B.P. Roy was found outside Morcha No. 3 and the dead body of Fidayeen was found outside the boundary wall. The dead body of the Fidayeen militant was later identified as LeT suicidal squad member (Fidayeen extremist) hailing from Saudi Arabia. Following arms and Amns were recovered from the Fidayeen militant:

1) Rifle AK-47 -1 no.
2) Mag Ak-47 - 7 no.
3) AK- 47 Amns - 100 rds.
4) Hand Grenade - 4 no.

In this encounter, Shri Lakhwinder Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of the high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th October 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 94 –Pres/2003- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of I T B P:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. Kundan Prasad, Asst. Comdt.
2. Surjeet Singh, Head Const.
3. Netra Singh, Const

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 21.02.2002 Shri Kundan Prasad, AC, ITBP Manigam Post received an information about the movement of terrorists belonging to Hizbul- Mujahideen in village Tsuntwaliwar in Distt. Srinagar. A Cordon and search party led by Shri Kundan Prasad, AC, left for Tsuntwaliwar village at 0100 hours on 22.2.2002. While carrying out the search Shri Kundan Prasad AC, came to know that terrorists had succeeded in slipping through the cordon, taking advantage of foggy weather and undulating ground from the north of village. Situation was reviewed and while main search party was asked to return to their Coy Headquarter, a small team comprising of 11 personnel under the charge of Shri Kundan Prasad AC, stayed back in one of the deserted house at the outskirt, in the north of village, so as to give an impression that entire cordon and search had been called off and the party had returned with disappointment. After 13 hours of wait around 1700 hrs two suspicious persons wearing FIRAN were noticed by the police party from north approaching towards the village. Immediately 11 member team was divided in to four sub groups and was directed to take position at different vintage points to prevent escape. The militants were able to smell the movement of Forces and opened fire on the nearest group. One of the bullets hit the helmet of Constable Milap Chand who had miraculous escape. Realizing that the long exchange of fire would help the terrorists in escaping in the darkness, Shri Kundan Prasad, AC along with HC Surjeet Singh decided to occupy a dominating position above the terrorist. This required running in open field for almost 30 yards directly in line of fire of the terrorist. Shri Kundan Prasad, AC, was determined to complete the operation before the darkness, hence, alongwith HC Surjeet Singh decided to take the risk. To pin down the terrorist Shri Kundan Prasad, AC ordered the sub-group in the West to engage them with fire. Taking advantage of this covering fire, he along with HC Surjeet Singh in dare devil act, ran in open stretch of almost 30 yards, through a maze

of bullets in cross fire and managed to occupy a dominating position behind the terrorists. Both of them were fired upon by militants from a close distance but swift movement of the personnel and poor visibility did not permit correct aiming and it was a providential escape for ooth of them. Before terrorists could escape Shri Kundan Prasad, AC and HC Surjeet Singh opened fire and succeeded in killing one of the militants later identified as Manzoor Ahmed Bhatt S/o Gulam Ahmed Bhatt, r/o Watlar, Gandherbal. The other militant taking the advantage of foggy weather managed to escape towards forest land adjacent to village. Shri Kundan Prasad AC, immediately re-organised his team to chase the terrorist and at the same time sought the help of Coy Headquarter to send the men to block the escape route of the militant from eastern flank of the forest. Inspector Bhagwati Prasad alongwith reinforcement reached and started combing the mountain forest area from east to west direction. The terrorist hiding behind the bush could not escape the observant eyes of Constable Netra Singh. The low visibility had reduced the gap between terrorist and search party to almost 5 yards. Noticing the hiding terrorist, who was priming the grenade to throw at them, Ct. Netra Singh fired with reflex action before the terrorist could throw the grenade, killing the terrorist later identified as Fayaaz Ahmed Reshi s/o Gulam Ahmed Reshi, r/o Kandipora, Distt. Anantnag (J&K). (i) AK-56, 2 Nos (ii) Rounds AK-56, 264 Nos (iii) UBGL Grenades 09 Nos (iv) Grenade (Hand) 04 Nos (v) Rocket – 03 Nos (vi) Pistol (Chinees) – 01 No.& (vii) VHF Sets- 02 Nos (Foreign make) were recovered after the operation.

In this encounter, S/Shri Kundan Prasad, AC, Surjeet Singh, HC & Netra Singh, Const. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st February, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 9th March, 2003

No. 6/11/CI/2002 - The following two paragraphs published in the Lok Sabha Bulletin - Part II, dated 1st April (No. 3734) and 7th April, 2003 (No. 3760), are hereby published for general information:-

"No. 3734

Nomination of Members to the Standing Committees

The following changes have been made by the Chairman, Rajya Sabha in respect of nomination of members of Rajya Sabha on the Standing Committees w.e.f. 26.03.2003:-

Sl. No.	Names of Members	From	To
1.	Shri Mukhtar Abbas Naqvi	Finance	Information Technology
2.	Shri Swaraj Kaushal	Information Technology	Finance

No. 3760

Nomination of Members to the Standing Committees

The Speaker has nominated the following members of Lok Sabha to the Standing Committees as indicated against each Committee:-

Sl. No.	Name of Committee	Names of members nominated
1.	Commerce	(1) Kumari Uma Bharati (2) Dr. Raman Singh (3) Shri Bhartruhari Mahtab (4) Shri Naval Kishore Rai
2.	Home Affairs	Shri Tarlochan Singh Tur
3.	Human Resource Development	(1) Shri G.J. Javia (2) Shri Ali Mohd. Naik
4.	Science & Technology, Environment & Forests	Dr. Bikram Sarkar

5.	Industry		Shri Vijay Sankeshwar
6.	Transport, Tourism & Culture		Shri Chandresh Patel
7.	Agriculture		Shri Girdhari Lal Bhargawa
8.	Information Technology	(1)	Shri Nikhil Kumar Chowdhary
		(2)	Shri Arun Kumar
		(3)	Dr. Bikram Sarkar
9.	Defence	(1)	Smt. Vasundhara Raje
		(2)	Shri Tejveer Singh
		(3)	Shri Chandrakant Khaire
10.	External Affairs	(1)	Shri Manibhai Ramjibhai Chaudhri
		(2)	Shri Kirti Jha Azad
		(3)	Shri Ramshakal
		(4)	Shri Vinay Katiyar
		(5)	Shri K. Yerrannaidu
		(6)	Shri Surender Singh Barwala
11.	Finance		Shri P.D. Elangovan
12.	Food, Civil Supplies & Public Distribution	(1)	Shri Kishan Lal Diler
		(2)	Shri Jaiprakash
		(3)	Shri Kalava Srinivasulu
		(4)	Shri Adhi Sankar
13.	Labour & Welfare	(1)	Shri Raj Narain Passi
		(2)	Shri Punnu Lal Mohale
		(3)	Shri Dalpat Singh Parste
		(4)	Shri Ashok Argal
		(5)	Dr. D.V.G. Shankar Rao
		(6)	Shri Bhartruhari Mahtab

2. The Speaker has also changed the nomination of Dr. Laxminarayan Pandeya from the Committee on Defence to the Committee on Commerce.

Brahm Dutt

(BRAHM DUTT)
DEPUTY SECRETARY

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 5th February 2003

No. F. 9-25/2000-U. 3—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated January 13, 2003, the Central Government hereby declares that the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore comprising of five institutions has been notified as Deemed to be University under De-novo category. This notification may be kept attached with the notification of even number dated January 13, 2003.

S P GAUR, Jt. Secy.

The 13th March 2003

No. F. 9-9/98-U. 3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare that S.R.M. Engineering College, Kattankulathur, Chennai is included under the ambit of S.R.M. Institute of Science and Technology, Chennai, as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect subject to a review after three years.

S P GAUR, Jt. Secy.

No.13(28)/96-MRD-Pt.III

MINISTRY OF TOURISM & CULTURE
(DEPARTMENT OF TOURISM)

...

New Delhi-110001

01.4.2003

CORRIGENDUM

In partial modification of the Notification No. **13(28)/96-MRD-Pt.III dated 8th November, 2002** constituting the **'National Tourism Advisory Council'** and indicating its composition, the representatives of the following organizations in Delhi are included as members of the Council:

1. ***World Tourism Organization***

2. ***World Travel & Tourism Council***

(Amitabh Kant)

Joint Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003